उत्प्रेरक

सुशासन की ओर अग्रसर

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

2022

सत्यमेव जयते

सीएजी संस्थान में नई पहलों तथा अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

2022

Girish Chandra Murmu

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

प्राक्कथन

सीएजी संस्थान में विभिन्न पहलों को प्रदर्शित करने के हमारे प्रयासों को जारी रखते हुए, मुझे नई पहलों और अच्छी प्रथाओं के संकलन के दूसरे संस्करण "उत्प्रेरक... सुशासन की ओर अग्रसर" को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

यह संकलन प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्भियांत्रिकी का उपयोग करके परिणामों को गति देने के हमारे अभिनव प्रयासों को प्रदर्शित करता है। क्षमता निर्माण; लेखापरीक्षा पद्धति, हमारी प्रक्रियाओं में तकनीकी उपकरणों का उपयोग; लेखापरीक्षा और लेखांकन में व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्भियांत्रिकीय और हितधारकों के साथ जुड़ाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस संकलन के माध्यम से, हम अपने हितधारकों के साथ जुड़ने और हमारे कर्मियों की गतिशीलता और उत्साह को प्रदर्शित करने की उम्मीद करते हैं, जो तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और शासन संरचनाओं के साथ तालमेल रखने के लिए अथक प्रयास और नवाचार करते हैं। इसके अलावा, हम आशा करते हैं कि सीएजी के संगठन में इन पहलों और अच्छी प्रथाओं को साझा करना समाज तक हमारी पहुंच बढ़ाएगा और इन पहलों को दोहराने के लिए संगठन के भीतर कार्यालयों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi - 110124
Tel. No. : ++91 11 23235797 • Fax : ++91 11 23233618 • e-mail : cag@cag.gov.in

विषय सूची

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन में प्रगति 8

लेखापरीक्षा पद्धति में बड़ी कामयाबी तथा नवीन एवं प्रभावशाली लेखापरीक्षा के दृष्टांत

डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा 16

स्पेक्ट्रम प्रबंधन की लेखापरीक्षा में एकीकृत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण 18

एल एंड डीओ के तहत दिल्ली में नजूल भूमि के प्रशासन की लेखापरीक्षा 21

नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन– एक नई पहल 23

तीव्र एवं तीव्रतर – परिणाम का अनुसरण 26

वाउचर लेखापरीक्षा का प्रभाव 27

"प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण" की प्रदर्शन लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और मूल कारण विश्लेषण को अंतर्निर्मित करना 29

रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा 31

लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य संग्रहण तथा रिपोर्टिंग हेतु प्रौद्योगिकी उपकरण

डेटा संचालित लेखापरीक्षा – नवीन तकनीकों का कार्यान्वयन 34

"धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को आयकर विभाग द्वारा दी गई छूट" की निष्पादन लेखापरीक्षा 37

तमिलनाडु के समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की लेखापरीक्षा 39

वन विभाग में वृक्षारोपण के निर्धारण में यूएवी प्रौद्योगिकी का उपयोग 41

हितधारक सहभागिता में सुधार

नव परिवर्तन –चाहे घर या बाहर – आईडीएलआई के मामले में 55

सुशासन के लिए मिलकर काम करना 46

उपयोगकर्ता के लिय अनुकूल सेवाएँ 47

क्षमता निर्माण हेतु पहल

''लेखापरीक्षक, अपने आप को प्रशिक्षित करें!'' – शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और शिक्षण माध्यम के रूप में थिएटर 55

स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के लिए क्षमता निर्माण 60

व्यापार प्रक्रियाओं में सुधार

'ई–ऑफिस' में ई–फाइल लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकास 64

पेंशन प्रोसेसिंग का डिजिटलीकरण 66

पुराने पेंशन अभिलेख का डिजिटलीकरण 67

लोक लेखा समिति की सिफारिशों की निगरानी के लिए वेब एप्लीकेशन 69

वाउचर जाँच प्रक्रिया का डिजिटलीकरण 70

प्रदर्शन एक नजर में– रेलवे लेखापरीक्षा के प्रबंधन में सहायता 71

प्रदर्शन एक नजर में – लेखा और हकदारी कार्यों के प्रबंधन में सहायता 73

लेखापरीक्षा टूलकिट 75

भारत के सार्वजनिक लेखापरीक्षक संस्थान की पहल 76

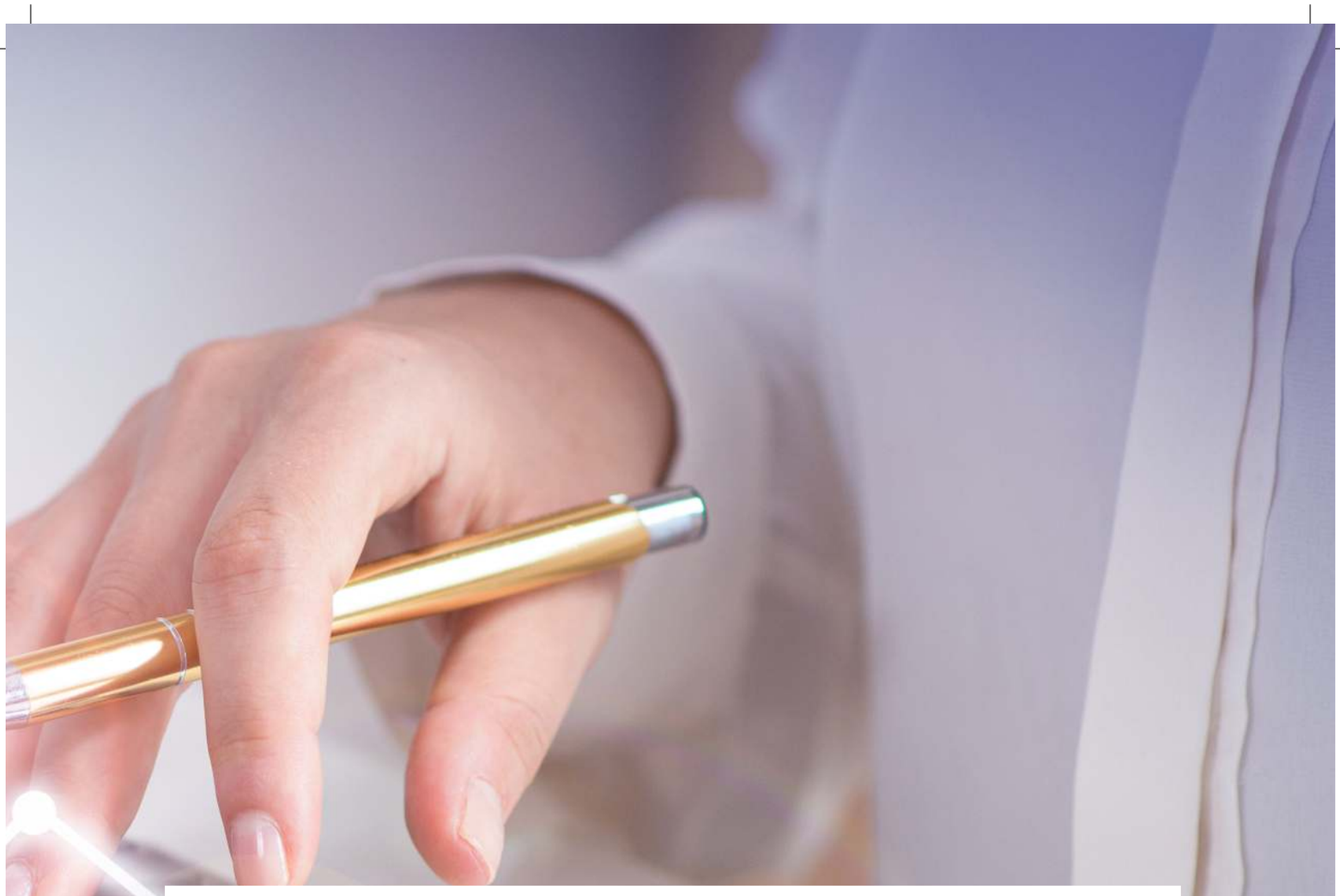

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन

मानव विकास की पूर्णता के लिए, सतत विकास का कारण, संगठन सिद्धांत के रूप में सुस्थापित एवं मान्यता प्राप्त है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि अर्थव्यवस्था के विकास पर नजर रखने वाली मानक लेखांकन प्रक्रियाएं विकास की पर्यावरणीय लागतों, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या इसकी गिरावट के कारण बताने में विफल रही हैं।

इसलिए, सीएजी ने सभी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए प्राकृतिक संसाधन लेखा बनाने की पहल को स्वयं हाथों–हाथ लिया है। सीएजी ने वर्ष 2020–21 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन लेखाओं का एक संग्रह भी जारी किया।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन में प्रगति

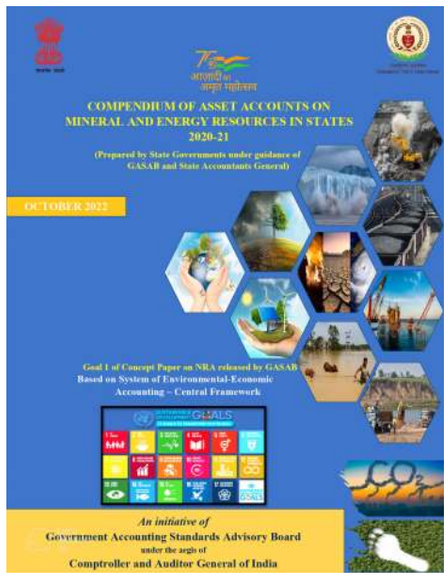

सरकार की सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही सीएजी संस्था का एक अच्छा उदाहरण प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एनआरए) के नवीन क्षेत्र में हमारे प्रयास हैं। सीएजी 2.0 के रूप में स्वयं अन्वेषण के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की दिखाई गई दिशा से प्रेरित होकर, हमने एनआरए की अवधारणा को विकसित करके सरकार की सहायता करने के लिए और फिर 28 राज्यों और जम्मू–कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों को परिसंपत्ति खाते तैयार करने के लिए सौंप दिया, जो कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, एनआरए के मूल्य वर्धित संकलन को जारी करके शीर्षस्थ रहा। महामारी सहित विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमने अनजाने क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया।

पारंपरिक लेखांकन इस तथ्य से सीमित है कि यह केवल मापने योग्य आर्थिक गतिविधि पर विचार करता है और पर्यावरण जैसे किसी अन्य कारक पर प्रभाव पर विचार नहीं करता है। इसके विपरीत पर्यावरणीय आँकड़े केवल कुछ उद्देश्यों पर ध्यान देते हैं और पूर्ण वृतांत प्रस्तुत नहीं करते हैं। जब हम एक प्रणाली या दूसरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो संसाधनों की स्थिरता या स्टॉक का मूल्य और संसाधनों का प्रवाह छूट जाता है।

एनआरए, इसके विपरीत, एक ऐसी प्रणाली है जो प्राकृतिक पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच गतिशील अंतःक्रिया को ग्रहण करती है। यह वास्तविक आर्थिक लागत लाभ पर पहुंचने के लिए, आर्थिक उत्पादन में उपयोग किए गए संसाधनों के मूल्य के साथ–साथ पर्यावरणीय क्षेत्र में होने वाली लागत, उपचार की लागत और नुकसान को कम करने सहित दोनों को मापता है। यह संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सक्षम करेगा और अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए अंततः हरित सकल घरेलू उत्पाद की स्थिरता और माप के लिए अग्रणी होगा।

संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में पर्यावरण–आर्थिक लेखांकन–केंद्रीय ढांचा (एसईईए–सीएफ) की एक प्रणाली विकसित की। यह चार चरणों की प्रक्रिया निर्धारित करता है जो इस प्रकार है:

- परिवर्तन सहित स्टॉक की भौतिक और वित्तीय शर्तों में संसाधन वार मिटाएं परिसंपत्ति खाते
- प्रवाह के संदर्भ में आपूर्ति और उपयोग तालिकाएं, मौद्रिक और भौतिक दोनों मूल्यों को आच्छादित करती हैं
- आर्थिक योग समायोजित ह्रास दिखाने वाले आर्थिक खाते
- लेन–देन स्तर के विवरण और पर्यावरणीय प्रभावों सहित प्रयोजनमूलक खाते।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'सतत विकास के लिए एजेंडा' अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शामिल हैं, जो कि 2030 तक सबको साथ रखते हुए, अधिक से अधिक मानव कल्याण के लिए कार्यों के विकास को कारगर बनाने में मदद करते हैं। भारत उनमें से एक है। 190 से अधिक देशों, जिन्होंने एसडीजी को लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए थे, इनमें से छह लक्ष्यों का एसईईए–सीएफ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित हैं।

भारत को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद करने के लिए एनआरए की एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। मौजूदा प्रणाली में आर्थिक लेखांकन और पर्यावरणीय लागतों का एक एकीकृत ढांचा नहीं था, और प्राकृतिक संसाधनों के लिए केवल भौतिक आंकड़े उपलब्ध थे। अंतर को दूर करने के लिए, और 2030 के लक्ष्य वर्ष तक एसडीजी पर प्रगति हासिल करने के लिए भारत की सहायता के लिए, सीएजी की संस्था ने कदम उठाने का फैसला किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था के तत्वावधान में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) जुलाई 2020 में एनआरए पर एक अवधारणा पत्र लेकर आया, जिसने 2030 के एस.डी.जी. लक्ष्य के साथ अभिसरण में कार्य योजनाएँ निर्धारित कीं। कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने के लिए **गसब** ने एक सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें प्रख्यात विषय विशेषज्ञ, हितधारक मंत्रालय, नियामक निकाय और शैक्षणिक समुदाय के सदस्य भी शामिल थे। इसने संयुक्त राष्ट्र के एसईईए–सीएफ द्वारा सुझाई गई चार चरण की रणनीति के अनुरूप लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों की भी परिकल्पना की, जैसा कि नीचे दिया गया है।

अल्पकालिक लक्ष्य	मध्यावधि लक्ष्य	दूरगामी लक्ष्य
• राज्यों में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खाते तैयार करना • प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित राजस्व और व्यय पर प्रकटीकरण विवरण की शुरूआत और तैयारी *(2019–20 से 2021–22 तक)*	• खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर राष्ट्रीय परिसंपत्ति खाते तैयार करना • राज्यों में अन्य चार संसाधनों अर्थात् जल, भूमि और वानिकी और वन्यजीव संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति खाते तैयार करना • प्राकृतिक संसाधन इनपुट, उत्पादों और अवशिष्टों के प्रवाह को दर्शाने वाली भौतिक और मौद्रिक शर्तों में आपूर्ति और उपयोग तालिका तैयार करना *(2022–23 से 2024–25 तक)*	• घटाव समायोजित आर्थिक समुच्चय को उजागर करने वाले आर्थिक खातों की तैयारी; तथा • पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए की गई आर्थिक गतिविधियों के बारे में लेनदेन और अन्य जानकारी रिकॉर्ड करने वाले कार्यात्मक खातों की तैयारी। (2025 – 26 तक)

इस अवधारणा पत्र के आधार पर, सीएजी की संस्था और **गसब** ने 2021–22 की नियत तारीख तक अवधारणा पत्र में परिकल्पित अल्पकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए खनिजों और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खाते तैयार करने का निर्णय लिया। ऐसा करने के लिए, देश के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यों का समन्वय करने की आवश्यकता है ताकि उनके संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के विस्तृत परिसंपत्ति खाते तैयार किए जा सकें।

एन.आर.ए. में सी.ए.जी. कैसे मदद कर सकता है?

सीएजी पर्यावरण संबंधी लेखाओं को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट स्थिति में है क्योंकि इसके पास सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति के साथ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ–साथ संस्थागत पहुंच का उपयोग करने का ज्ञान और क्षमता है, जहां इसके अधिदेश में लेखापरीक्षा और लेखा दोनों शामिल हैं। अतः सीएजी ने प्राकृतिक संसाधन लेखा तैयार करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हाथों हाथ लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार के कदम उठाने के संयोजन से, एक अवधारणा पत्र विकसित करने के साथ शुरू किया, फिर खाका तैयार किया, एक मजबूत प्रक्रिया निर्धारित की और सभी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में प्रगति की निगरानी की।

गसब के नेतृत्व में भारत में एन.आर.ए. के कार्यान्वयन में शामिल कदमों को नीचे दर्शाया गया है:

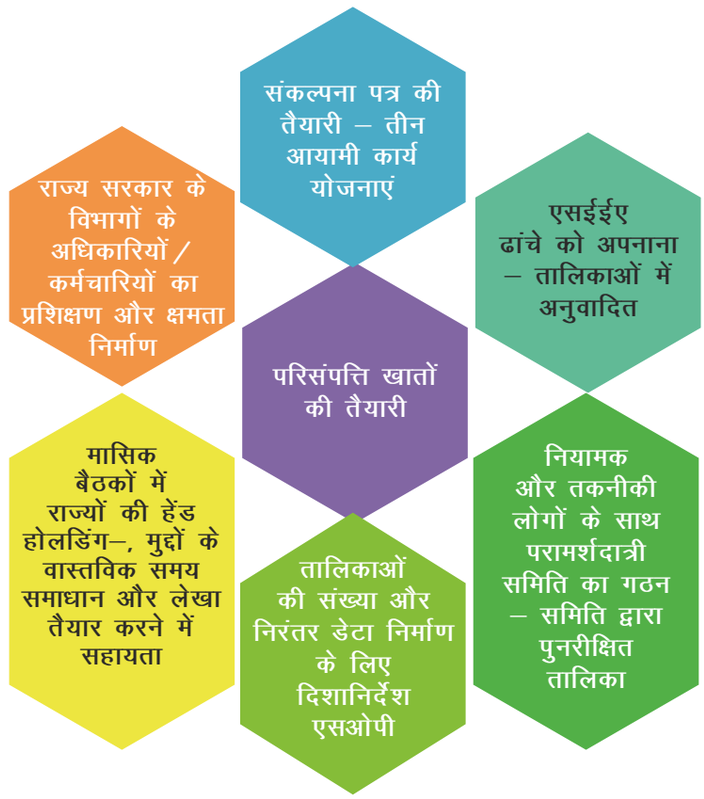

गसब उपरोक्त मजबूत और समावेशी कार्यप्रणाली के माध्यम से वर्ष 2020–21 के लिए खनिज और उर्जा संसाधनों पर अपने पहले परिसंपत्ति खातों का निर्माण करने में और सभी 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नेतृत्व करने में सफल रहा। जबकि इस प्रक्रिया में सभी 40 प्रमुख खनिजों, 63 लघु खनिजों और चार जीवाश्म ईंधनों को शामिल किया गया था, और प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले और शोषित सबसे महत्वपूर्ण खनिजों को चुनने और फिर वर्ष 2020–21 के लिए परिसंपत्ति खाते तैयार करने की अनुमति दी गई थी।

राज्यों द्वारा तैयार किए गए इन परिसंपत्ति खातों के आधार पर, गसब खनिज एवं उर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों पर एक संग्रह के साथ आया जिसे अब से एनआरए का संकलन कहा गया जिसमें राज्यों में संसाधनों का स्टॉक और प्रवाह था। वर्ष के दौरान शुरुआती स्टॉक, परिवर्धन और निष्कर्षण के साथ शुरू होने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख खनिजों के स्टॉक और प्रवाह की समग्र राज्य–वार स्थिति और वर्ष 2020–21 के अंत में समापन स्टॉक संग्रह में उपलब्ध हैं। वर्ष के अंत में प्रमुख निष्कर्षणकर्ताओं की राज्य–वार स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता को भी विभिन्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

संसाधनों के प्रवाह और कमी दर का उपयोग उनके टिकाऊ जीवन और अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे कि बाजार मूल्यों और उनके जिला खनिज नींव के संग्रह के राजस्व के लिए भी किया गया था।

संग्रह में उपलब्ध विवरण का एक उदाहरण जीवाश्म ईंधन के लिए नीचे सार दर्शाया गया है:

स्टॉक और प्रवाह	मदवार विवरण	कोयला	लिग्नाइट	कच्चा तेल / पेट्रोलियम	प्राकृतिक गैस
शामिल राज्यों की संख्या		14	4	7	7
				मिलियन टन में	लाख घन मीटर में
प्रारंभिक जमा		1,03,017.95	7,951.31	916.26	3,05,539.73
योग		2,614.34	0	2.50	4,409.96
निष्कर्षण	सरकारी क्षेत्र	479.64	26.79	14.47	6,739.11
	निजी क्षेत्र	115.65	21.82	0.25	1,622.30
	अवैध / अन्य	1.48	0	0.015	10.43
	कुल	596.77	48.61	14.75	8,371.84
जमा शेष		1,05,035.91	7,902.68	904	3,01,577.85

राज्य–वार स्थिति को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है:

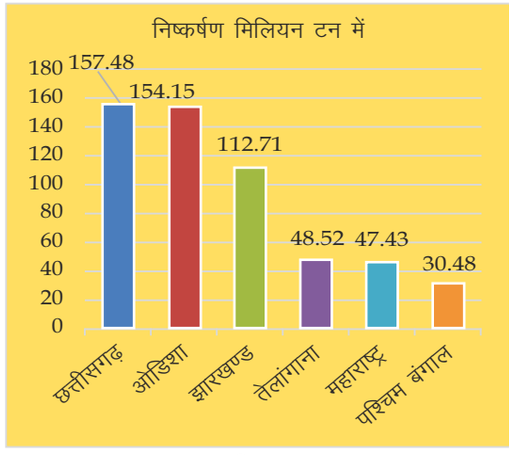

कोयला (मुख्य निष्कर्षक राज्य)

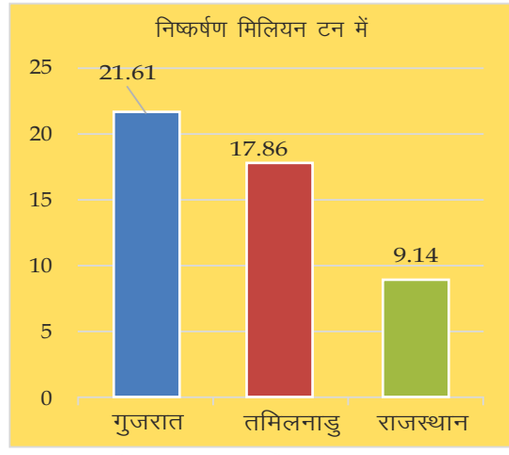

लिग्नाइट (मुख्य निष्कर्षक राज्य)

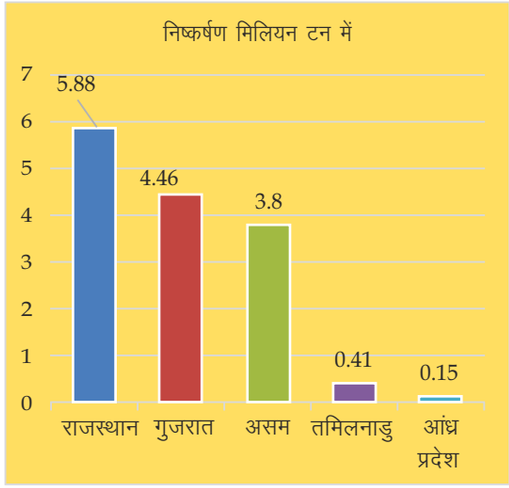

कच्चा तेल (मुख्य निष्कर्षक राज्य)

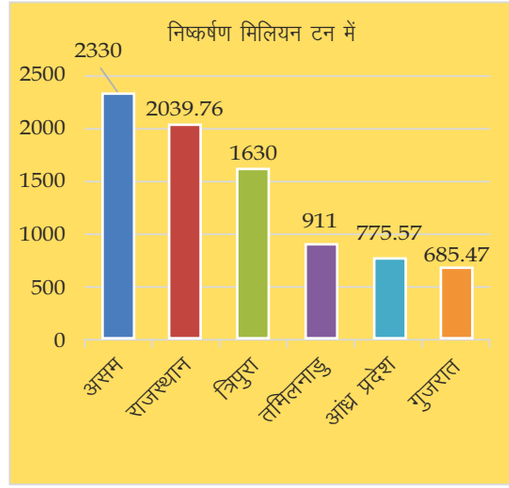

प्राकृतिक गैस (मुख्य निष्कर्षक राज्य)

नवीन दृष्टिकोण और बेहतर परिपाटी

खनन मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों द्वारा खनन निगरानी प्रणाली के विकास और खनन क्षेत्रों को भू–टैग (Geo-Tagging) और भू–बाड़ (Geo-fencing) के विकास के प्रयासों में संशोधनों से लेकर अध्ययन के दौरान कई नवीन दृष्टिकोण और कुछ अच्छी कार्यप्रणालियों का अवलोकन किया गया। अन्य अच्छी कार्यप्रणालियों में अवैध खनन का पता लगाने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी की तैनाती, खनन गतिविधियों के नियंत्रण और निगरानी में उपग्रह आधारित निगरानी पद्धति, खनन की आईटी सक्षम निगरानी और संसाधनों के उपयोग शामिल हैं। इन मामलों के अध्ययन को बेहतर प्रथाओं और इसके प्रसार के साझाकरण को सक्षम बनाने के लिए एनआरए संकलन में रेखांकित किया गया है।

अध्ययन के दौरान कुछ अभ्युक्तियाँ

एनआरए संकलन में रुचि के कई प्रमुख बिंदु भी सामने आए, जो निर्णय निर्माताओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। इसमे निम्नलिखित शामिल है:

- भंडार का जीवन काल और प्रवाह के आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध कराया गया था। राज्यों में कई संसाधन असुरक्षित हैं क्योंकि ज्ञात भंडार का वर्तमान स्तर 10 वर्ष से कम की अवधि में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
- राज्य सरकार के विभागों के आंकड़ों और पट्टेदारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच भिन्नता देखी गई।
- राज्य निष्कर्षण, उत्पादन और प्रेषण से शुरू होने वाली खनन गतिविधियों के समस्त विस्तार का दोहन नहीं कर रहे थे। इसने राज्यों को पट्टेदारों द्वारा दावा किए गए उत्पादन हानि के साथ–साथ अयस्क के निष्कर्षण की तुलना में ग्रेडवार उत्पादन की निगरानी के लाभ से वंचित कर दिया
- अधिकांश राज्य उत्पादित खनिजों के वर्ग का प्रग्रहण नहीं कर रहे थे यद्यपि रायल्टी वर्ग पर आधारित है। इससे उत्पादन ग्रेडवार और राजस्व संग्रह की निगरानी करना मुश्किल हो गया।
- रॉयल्टी और उपज के औसत बाजार मूल्य के बीच भिन्नता को परिसंपत्ति खातों के माध्यम से दर्ज किया गया था, जिसे वसूली योग्य मूल्य के अनुरूप लाने के लिए रॉयल्टी के समय पर संशोधन को सुनिश्चित करने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है।

- कई राज्य अवैध खनन और उससे जुर्माने की वसूली का डाटासेट नहीं रख रहे थे। खनिज का नाम शामिल न करने, मात्रा और शामिल रायल्टी, प्रभारित शास्ति, शास्ति की कम वसूली आदि के अनेक मामले देखे गए।
- सभी राज्यों ने अभी तक खदान क्षेत्रों की जिओ–फेंसिंग एवं जिओ–टैगिंग का काम पूरा नहीं किया गया है।
- जिला खनिज फाउंडेशन योगदान की प्राप्ति में अंतर देखा गया।

भविष्य में उठाए जाने वाले कदम

संग्रह के अध्याय VII में तीन खंड हैं जिनमें आगे उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की गई है। इन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- **खंड क:** मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। इस खंड में ध्यान देने की आवश्यकता वाले कुछ क्षेत्रों पर चर्चा की गई है।
- **खंड ख:** नई प्रणालियों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी नियमित आधार पर व्यापक और विश्वसनीय तरीके से मूल बिंदु पर डेटा कैप्चर करने में सक्षम होगी।
- **खंड ग :** उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व प्राप्तियों को अनुकूलित करने और आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों की स्थिरता करने के लिए खनिजों के निष्कर्षण एवं उनके अंतिम प्रयोग तक के लिए उनके 360 डिग्री प्रोफाइलिंग का सुझाव बेहतर प्रबंधन के लिए दिया गया है।

निरंतरता योजना

राज्यों को निरंतर तरीके से परिसंपत्ति खाते तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए, गसब ने अंतिम स्तर, यानी जिला खनन कार्यालयों से डेटा / इनपुट एकत्र करने और एकत्र करने के लिए त्रैमासिक रिपोर्टिंग ढांचे को लागू करने के लिए दिशानिर्देश/एसओपी विकसित किए हैं, जिन्हें बाद में एक डेटाबेस में विकसित किया जा सकता है। इससे भविष्य के वर्षों में परिसंपत्ति खाते तैयार करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। गसब ने राज्यों के लिए संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उनकी स्थिरता और राजस्व के अनुकूलन के लिए आपूर्ति और उपयोग की मैपिंग का भी सुझाव दिया है।

http://gasab.gov.in/gasab/pdf/Compendium-of-Asset-final.pdf

प्रतिवेदन एक्सेस
हेतु स्कैन करें

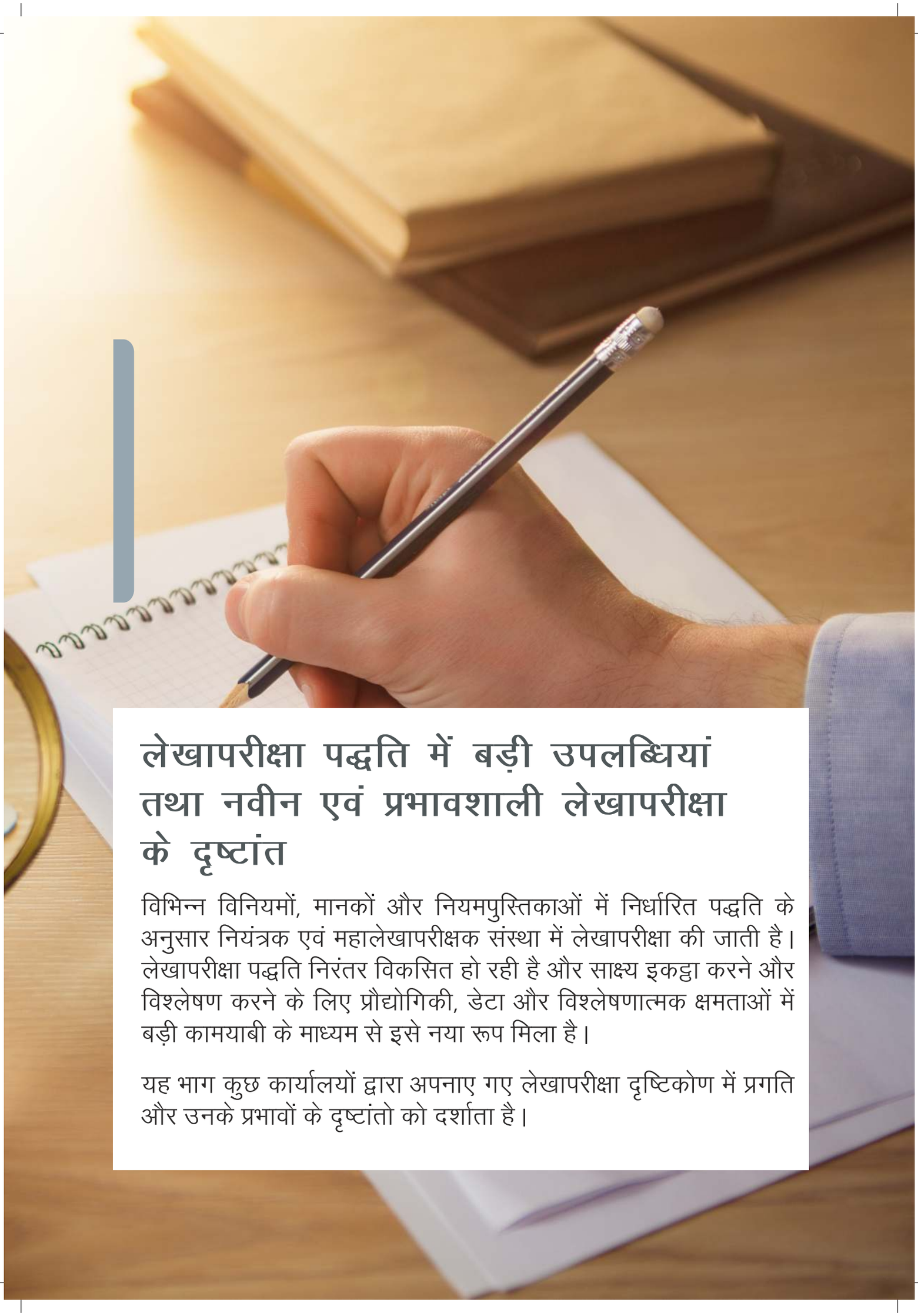

लेखापरीक्षा पद्धति में बड़ी उपलब्धियां तथा नवीन एवं प्रभावशाली लेखापरीक्षा के दृष्टांत

विभिन्न विनियमों, मानकों और नियमपुस्तिकाओं में निर्धारित पद्धति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्था में लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा पद्धति निरंतर विकसित हो रही है और साक्ष्य इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में बड़ी कामयाबी के माध्यम से इसे नया रूप मिला है।

यह भाग कुछ कार्यालयों द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में प्रगति और उनके प्रभावों के दृष्टांतो को दर्शाता है।

डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवम्बर, 2015 से डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (डीईआरएस) परियोजना शुरू की थी, ताकि पुलिस से आपदा कॉलों के लिए केन्द्रीकृत आपातकालीन 24x7 प्रतिक्रिया प्रणाली का उन्नयन किया जा सके और इसे उपलब्ध कराया जा सके। पुलिस विभाग द्वारा कॉल सेंटर, प्रथम प्रतिक्रिया वाहन (एफआरवी) और तकनीकी सहायता के समूह को सिस्टम इंटीग्रेटर को आउटसोर्स किया गया था। एक बार लागू होने के बाद, एफआरवी से शहरी क्षेत्रों में आपदा कॉल के पांच मिनट के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर उस स्थान पर पहुंचना अपेक्षित था।

प्रधान महालेखाकार (मध्य प्रदेश) के कार्यालय ने डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा की, जिसके दौरान आठ जिलों में 103 एफआरवी का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया और लेखापरीक्षिती से 4 टीबी डेटा डंप लिया गया और केंद्रीय स्तर पर इसका विश्लेषण किया गया। नवंबर 2015 से मार्च 2020 की अवधि के लिए 52 जिलों में से आठ में पुलिस नियंत्रण कक्षों में अनुरक्षित अभिलेखों की भी जांच की गई।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पाए गए:

- विभाग ने कुछ जिलों में अधिशेष श्रमबल के बावजूद एफआरवी में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी उपलब्ध नहीं कराए।
- 22 प्रतिशत से भी कम कॉल में कॉल के तीन मिनट के भीतर डिस्पैच प्राप्त किया गया।
- डीईआरएस में औसत प्रतिक्रिया समय शहरी क्षेत्रों में 24 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 56 मिनट था।
- शहरी क्षेत्रों में 2016–19 के दौरान 13.2 प्रतिशत से भी कम कॉल में एफआरवी पांच मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए थे।
- एफआरवी 31 से 720 मिनट के विलंब के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इनमें बलात्कार, घरेलू हिंसा और महिलाओं का अपहरण आदि जैसी गंभीर घटनाएं शामिल थीं।
- मॉडल में नए साल, होली और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण दिनों में एफआरवी की तैनाती या पुनः तैनाती के पैमाने का प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि आपदा कॉल में वृद्धि हुई थी और इसके परिणामस्वरूप आगमन में विलंब हुआ था।
- निविदा में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई थी। परियोजना सलाहकार ने चयनित बोलीदाता के साथ हितों के संभावित टकराव का खुलासा नहीं किया और चयन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे रहे। परियोजना प्रबंधन सलाहकार के चयन के अंतिम चरण में पसंदीदा बोली को बदलने के लिए मूल्यांकन मानदंडों में बदलाव किया गया था।
- एफआरवी को यातायात, सड़क की स्थिति, अपराध दर और भौगोलिक स्थितियों जैसे कारकों पर विचार किए बिना प्रति पुलिस स्टेशन एक एफआरवी की सरलीकृत धारणा पर तैनात किया गया था।
- प्रत्येक 100 कॉल में से केवल 20 को कार्रवाई योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इन कार्रवाई योग्य कॉलों में से केवल दो के पास एफआरवी के प्रेषण का समर्थन करने के लिए वैध डेटा था।
- संशोधित प्रणाली मोबाइल डेटा टर्मिनलों जैसे एफआरवी में लगाए जाने वाले तकनीकी उपकरणों के उपयोग से लाभान्वित होने के लिए थी। ये या तो लगाए नहीं गए थे या कार्यात्मक नहीं थे और कार्यात्मक होने पर, पुलिस कर्मियों ने अपेक्षित अनुक्रम में डेटा फीड नहीं किया।

चार्ट 3.2
महिलाओं संबंधी घटनाओं में एफआरवी को भेजने में विलंब

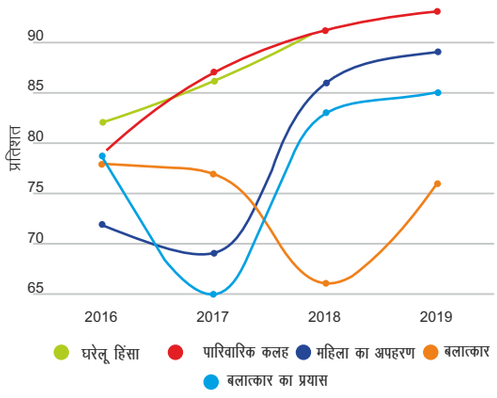

चार्ट 3.3
महिलाओं संबंधी घटनाओं में एफआरवी के पहुंचने में विलंब

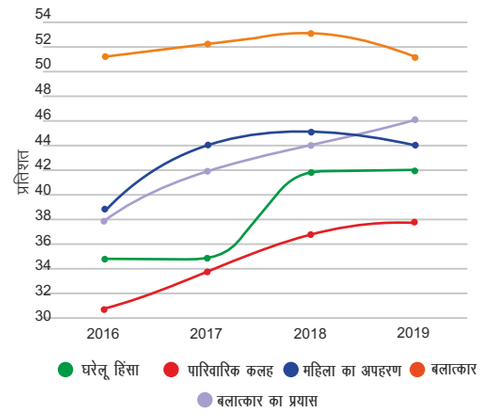

महिलाओं से संबंधित अपराधों में एफआरवी के प्रेषण और उसके पहुंचने में देरी

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि सिस्टम डिजाइन और कार्यान्वयन में कमियों के कारण, विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में क्रमशः 5 मिनट और तीस मिनट के भीतर आपदा कॉल के स्थान पर पहुंचने के परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और डीईआरएस के चरण–II में डीईआरएस की सभी सिफारिशों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

प्रतिवेदन एक्सेस
हेतु स्कैन करें

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi/audit-report/details/115502

स्पेक्ट्रम प्रबंधन की लेखापरीक्षा में एकीकृत लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

एक आर्थिक संसाधन के रूप में स्पेक्ट्रम इस तथ्य को देखते हुए असामान्य है कि यह अक्षयशील और असंचेय दोनों है, हालांकि यह तेजी से संकुचित हो सकता है। इन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत, इष्टतम रूप से, कुशलतापूर्वक और मितव्ययता से किया जाना आवश्यक है ताकि हस्तक्षेप मुक्त रेडियो वातावरण में बड़े रेडियो संचार नेटवर्क के लिए समान पहुंच उपलब्ध हो सके।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन में रेडियो संचार सेवाओं के कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियामक, प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और विशेष तकनीकी प्रक्रियाएं शामिल हैं, नोडल एजेंसी को सरकारी प्रयोक्ताओं और निजी सेवा प्रदाताओं की मांगों को संतुलित करने की आवश्यकता है। सरकारी विभाग राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं, जबकि निजी भागीदार मूल्य वर्धित सेवाओं में योगदान करते हैं।

दूरसंचार विभाग ने सीएजी से मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम की उपयोगिता की लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2020)। **महानिदेशक (वित्त एवं संचार) नई दिल्ली के कार्यालय** ने स्पेक्ट्रम के प्रबंधन की लेखापरीक्षा करने हेतु रक्षा मंत्रालय (एमओडी), अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी), गृह मंत्रालय (एमएचए), रेल मंत्रालय (एमओआर), चुनिंदा पीएसयू अर्थात् ऑयल एवं नेचुरल कॉरपोरेशन गैस लिमिटेड (ओएनजीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के लेखापरीक्षा कार्यालयों को शामिल करके एक नया दृष्टिकोण अपनाया।

सरकारी मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) बैंडों के साथ–साथ गैर–आईएमटी बैंडों में प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम सौंपा गया है। ग्राहकों को दूरसंचार अभिगम सेवाएं (संचार सेवाएं) प्रदान करने के लिए अपनी उपयोगिता के कारण आईएमटी बैंड की बहुत मांग है।इस प्रकार, महत्वपूर्ण आईएमटी बैंड के स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और उपयोग का निर्धारण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा विभाग–वार प्रशासनिक स्पेक्ट्रम सौंपने संबंधी प्रारंभिक आंकड़ों की जांच के आधार पर महत्वपूर्ण आईएमटी बैंडों में उच्चतम स्पेक्ट्रम आवंटन और फ्रीक्वेंसी कार्य वाले विभागों का चयन किया गया था। चूंकि ऐसे बैंडों के बहुत वाणिज्यिक उपयोग और मूल्य हैं, इसलिए आईएमटी बैंडों का सौ प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया गया था।

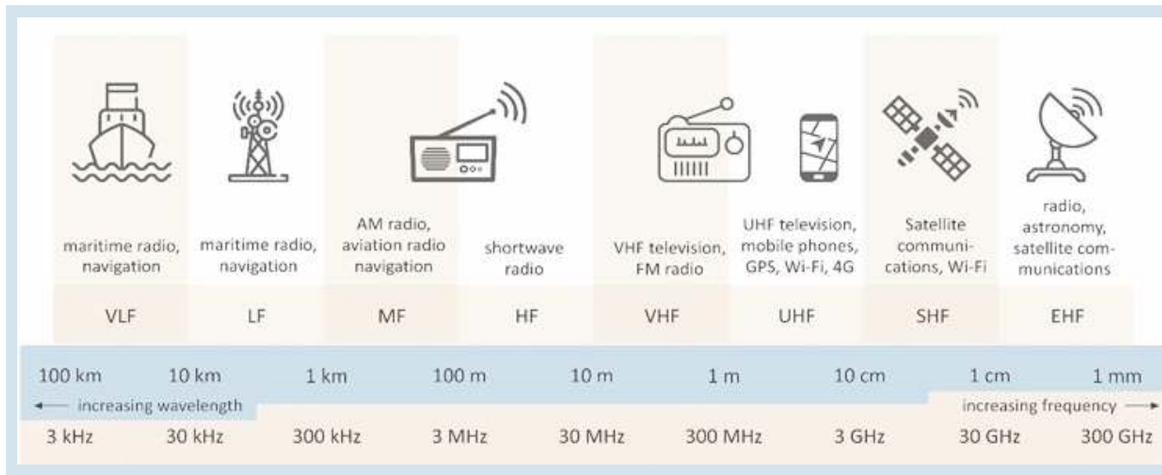

लेखापरीक्षा फोकस और पृष्ठभूमि के विषय को समझाने के लिए, प्रतिभागी कार्यालयों के साथ वर्चुअल कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसने लेखापरीक्षा टीमों को रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की मुख्य विशेषताओं, स्पेक्ट्रम बैंड और आईएमटी से इन्हें स्वयं को परिचित कराने हेतु सक्षम बनाया। इसके अलावा, कार्यालय ने विषय की बारीकियों को समझने में लेखापरीक्षा दलों की सहायता के लिए एक तकनीकी सलाहकार (सेवानिवृत्त वायरलेस सलाहकार) को कार्य पर रखा। लेखापरीक्षिती के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में अपनाए गए स्पेक्ट्रम प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया गया और इस पर चर्चा की गई ताकि वह स्पेक्ट्रम बैंड के साझाकरण स्पेक्ट्रम स्थानांतरण निधि, कीमत निर्धारण पद्धति आदि के संबंध में स्पेक्ट्रम प्रबंधन में तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों की व्याख्या कर सके।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- 470–646 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1427–1500 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300–2400 मेगाहर्ट्ज, 2500–2690 मेगाहर्ट्ज, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज, 24.25–28.5 गीगाहर्ट्ज जैसे अधिकांश बैंडों में सरकारी विभागों को आवंटित/प्रदत्त स्पेक्ट्रम के संबंध में पाया गया कि विभिन्न कारणों से वर्षों तक इनका या तो कम उपयोग किया गया था और या इनका उपयोग किया ही नहीं गया था।
- जीएसएम–आर आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशंस (एमटीआरसी) प्रणाली के लिए आवंटित 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में रेलवे द्वारा स्पेक्ट्रम का उप–इष्टतम उपयोग।
- स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली (एएसएमएस) के कार्य न करने से डाटाबेस में और स्पेक्ट्रम प्रयोक्ताओं की निगरानी में कमी आ जाती है।
- जीसैट 29, जीसैट 19 और जीसैट 11 पर बैंडविड्थ क्षमता क्रमशः जून 2017, नवंबर 2018 और दिसंबर 2018 में उनकी शुरूआत के बाद से ही लंबे समय तक निष्क्रिय रही।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वीडियो और ऑडियो के प्रसारण के लिए पुराने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टेलीविजन (एटीटी) के उपयोग को इसके खराब दर्शक कवरेज और उपयोग किए गए कम स्पेक्ट्रम के कारण कम स्कोर दिया गया।

प्रभावः

- कार्यकारी समूहों की सिफारिशों पर कार्रवाई में तेजी लाई गई है।
- गैर/कम उपयोग के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए आईएमटी बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली गई थी। ओएनजीसी द्वारा अभ्यर्पित स्पेक्ट्रम को जुलाई 2022 में नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के अलावा अन्य उपयोगों के लिए स्पेक्ट्रम के आबंटन/असाइनमेंट के लिए नीति निर्माण सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
- रेलवे ने दीर्घकालिक विकास (एलटीई) आधारित नेटवर्क शुरू होने के बाद 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खाली करने पर सहमति व्यक्त की है।
- रक्षा से स्पेक्ट्रम प्रभारों में छूट के लिए मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

https://cag.gov.in/hi/audit-report/details/116504

प्रतिवेदन एक्सेस
हेतु स्कैन करें

एल एंड डीओ के तहत दिल्ली में नजूल भूमि के प्रशासन की लेखापरीक्षा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), दिल्ली, भारत सरकार (जीओआई) की पट्टे पर ली गई संपत्तियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इन संपत्तियों में नजूल भूमि (दिल्ली में भारत की राजधानी के संरूपण के लिए वर्ष 1911 में अधिग्रहित भूमि) और पुनर्वास भूमि (पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास के लिए जीओआई द्वारा अधिग्रहित भूमि) शामिल हैं। लगभग 20,000 एकड़ के कुल क्षेत्रफल वाली नजूल भूमि में कनॉट प्लेस, चाणक्य पुरी, जोर बाग, गोल्फ लिंक, सुंदर नगर, डिफेंस कॉलोनी आदि जैसे दिल्ली के केंद्र में स्थित प्रमुख इलाके शामिल हैं। ये संपत्तियां आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी जाती हैं।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य का कार्यालय, नई दिल्ली भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के अधीन नजूल भूमि के प्रशासन की अनुपालन लेखापरीक्षा करता है। एल एंड डीओ की लेखापरीक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे; फाइलें बहुत पुरानी थीं (100 वर्ष या उससे अधिक); और लेखापरीक्षा प्रश्नों पर प्रदान किए गए कई उत्तर संदिग्ध/गलत थे। यह कार्यालय, विभिन्न दस्तावेजों को स्कैन करके; उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों का दौरा करके और साइटों का भौतिक सत्यापन करके इन कठिनाइयों को दूर कर पाया।

कोविड–19 महामारी के चरम पर होने के बाद भी, लेखापरीक्षा टीम घर से कार्य करने में सक्षम थी क्योंकि स्कैन किए गए दस्तावेज उनके पास उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, संपत्तियों के विवरण को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा टीम ने

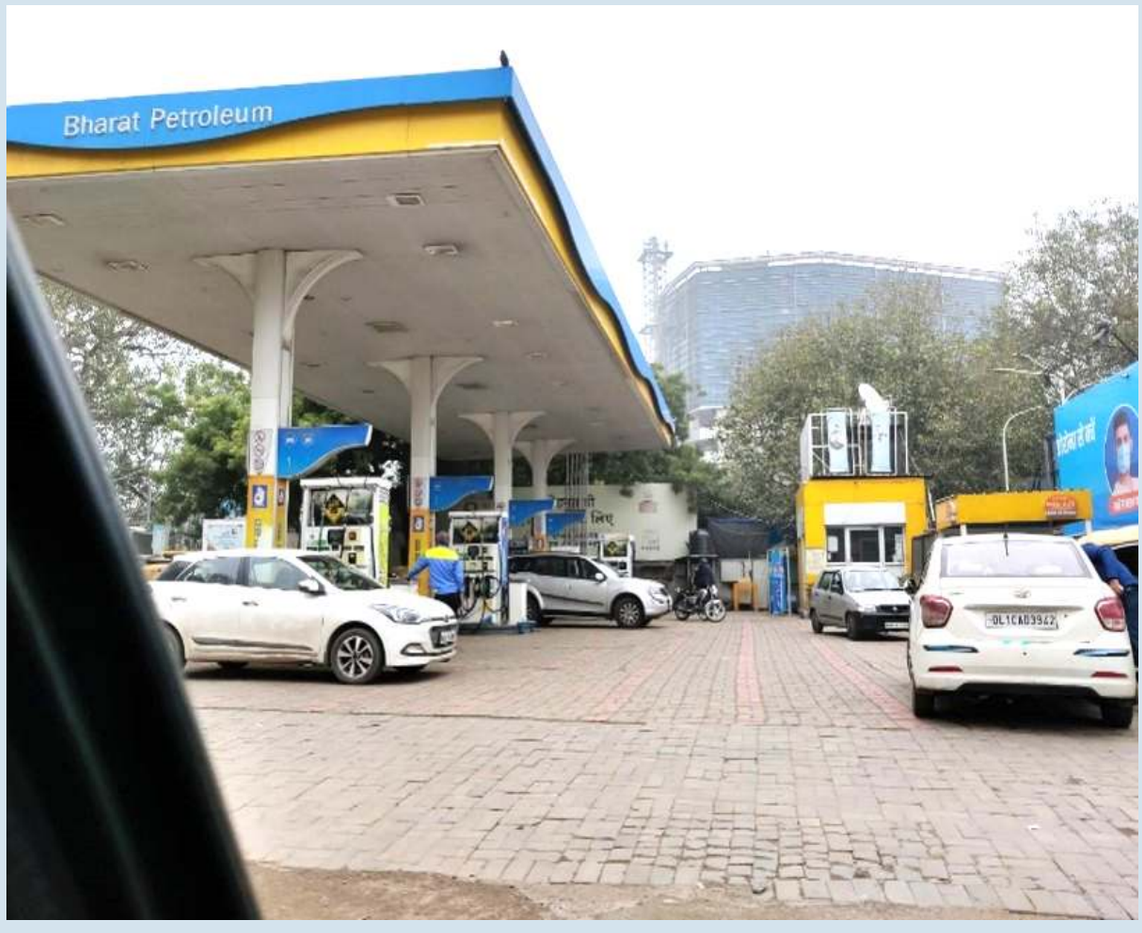

उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों का दौरा किया, जिससे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सामने लाने में मदद मिली।

एल एंड डीओ द्वारा लेखापरीक्षा को दिए गए कुछ विवरण गलत प्रतीत हुए और इन्हें नए तरीके अपनाकर सत्यापित किया गया। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

क. मिंटो रोड स्थित कृष्णा फिलिंग स्टेशन के मामले में, एल एंड डीओ ने उत्तर दिया कि 2008 में आवंटन के बाद से पेट्रोल पंप, भूमि उपयोग और अन्य मुद्दों के कारण कार्यशील नहीं था। लेखापरीक्षा टीम के एक सदस्य ने ग्राहक के रूप में पेट्रोल पंप (जनवरी 2021) का दौरा किया और साइट पर इसे कार्यात्मक पाया।

ख. लाजपत नगर स्थित विमहंस अस्पताल के मामले में एल एंड डीओ ने उत्तर दिया कि 2003–04 से ईडब्ल्यूएस शर्त (अस्पताल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रोगियों का मुफ्त इलाज) का अनुपालन नहीं करने के मद्देनजर संपत्ति का कब्जा एल एंड डीओ द्वारा वापस ले लिया गया था। लेखापरीक्षा टीम के एक सदस्य ने विमहंस अस्पताल में इलाज के लिए एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की और यह पाया कि परिचालन चालू हालत में था क्योंकि बाह्य रोगी विभाग के लिए अपॉइंटमेंट दी गई थी।

प्रभाव

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि उप–रजिस्ट्रार कार्यालय (संपत्ति के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी) और एल एंड डीओ पूरी तरह से अलग–थलग कार्य कर रहे थे, जबकि उनका कामकाज उन संपत्तियों के संबंध में एक दूसरे पर निर्भर था, जहां एल एंड डीओ पट्टेदार था। एल एंड डीओ की जानकारी के बिना पट्टेदार से खरीदारों के बीच संपत्तियों का हक बदला जा रहा था।

एल एंड डीओ ने संपत्तियों के पंजीकरण के संबंध में जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार नहीं किया था। इससे न केवल अनर्जित पट्टे के कारण वित्तीय हानि हुई, बल्कि दंड मुक्ति सहित निजी पार्टियों को संपत्तियों की बिक्री भी हुई। परिणामस्वरूप, उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, एल एंड डीओ से संबंधित संपत्तियों की पहचान करने की स्थिति में नहीं थे और एल एंड डीओ की पट्टे की संपत्तियों को इसकी जानकारी के बिना बेच दिया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष के आधार पर, एल एंड डीओ ने उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्देश दिया है कि एल एंड डीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी एल एंड डीओ संपत्ति को पट्टे पर/फ्रीहोल्ड (बिक्री विलेख, बिक्री के लिए करार आदि) पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

https://cag.gov.in/hi/audit-report/details/115176

प्रतिवेदन एक्सेस
हेतु स्कैन करें

नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन– एक नई पहल

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने अप्रैल 1976 में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (यूपीआईएडी) अधिनियम, 1976 की धारा 3 के तहत एक नियोजित, एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक शहर बनाने के उद्देश्य से न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) का गठन किया, जो दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

जुलाई 2017 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राधिकरण की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपा और उसके बाद वर्ष 2005–06 की अवधि से सीएजी को एकमात्र लेखापरीक्षक नियुक्त किया। मीडिया, प्राधिकरण के कामकाज में कमियों को उजागर कर रहा था। इसके कामकाज में अनियमितताओं को उजागर करने वाली सार्वजनिक शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं और विकास कार्यों का निष्पादन भी सीबीआई की जांच के दायरे में था। इस पृष्ठभूमि में नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन की निष्पादन लेखापरीक्षा, **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ** के कार्यालय द्वारा की गई थी।

2005–06 से 2017–18 की अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सरकार और प्राधिकरण को ₹50,000 करोड़ से अधिक की हानि के विषय में बताया गया। इसके अतिरिक्त, ₹34,000 करोड़ के आवंटन में एक या अधिक अनियमितताएं पाई गईं।

लेखापरीक्षा की संकल्पना काफी चुनौती पूर्ण थी क्योंकि लेखापरीक्षा 13 वर्ष की अवधि को कवर करते हुए पहली बार की जानी थी। इस मुद्दे को समाहित करने के लिए, प्राधिकरण के पास एक स्वायत्त स्थिति थी, जिसमें कार्य विनियमों का अपना सेट था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को विनियामक आदेशों की स्थापना से लेकर वास्तविक कार्यान्वयन तक निर्णय लेने के सभी पहलुओं को आच्छादित करना पड़ा था। चुनौती को पूरा करने के लिए, कृषि उपयोग, वाणिज्यिक उपयोग, औद्योगिक और संस्थागत उपयोग जैसे भूमि उपयोग के संदर्भ में प्रत्येक श्रेणी और इसके अधीन उप–श्रेणियों को कवर करते हुए एक प्रतिनिधि नमूने का चयन किया गया था और महत्वपूर्ण विसंगतियों वाले क्षेत्रों में जांच को नमूने से परे बढ़ाया गया। कंपनी रजिस्ट्रार, यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण) और यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खनन विभाग और राज्य के स्टांप और पंजीकरण विभाग जैसे अन्य विभागों और एजेंसियों के आंकडें का भी उपयोग किया गया था। इसरो से उपग्रह चित्र प्राप्त किए गए और नोएडा के अधिकारियों के साथ चयनित स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्राधिकरण के शासकीय ढांचे में गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हैं, जिसके कारण सभी प्रमुख हितधारकों अर्थात प्राधिकरण, राज्य सरकार, उद्योगों और बड़े पैमाने पर जनता और विशेष रूप से घर के खरीदारों आदि के लिए बेहद खराब परिणाम आए है। प्रतिवेदन, नियमों और आदेशों के उल्लंघन, जानबूझकर तथ्यों को छिपाने और नियंत्रण से अधिक शक्ति के प्रयोग के उदाहरणों से भरा हुआ है।

प्रतिवेदन ने औचित्य के गंभीर प्रश्न उठाए हैं और प्रत्येक स्तर पर अर्थात निष्पादन अधिकारियों, सीईओ और बोर्ड स्तर पर प्रशासन की विफलता की ओर इशारा किया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- भूमि अधिग्रहण के दौरान वैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के माध्यम से किसानों के अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया था।
- संपत्तियों की लागत निर्धारण की एकरूपता में कमी, लागत निर्धारण की प्रणाली में विसंगतियों और आवंटित संपत्तियों की कीमत निर्धारण में खामियां पाई गई थी।
- संपत्तियों के आवंटन में सम्यक तत्परता की कमी, नियमों और आदेशों का उल्लंघन, गलत बयानी और जानबूझकर तथ्यों को छिपाना पाया गया था। कई मामलों में, उन सत्वों को आवंटन किया गया था जिनके पास ऐसी परियोजनाओं

को निष्पादित करने के लिए वित्तीय क्षमता नहीं थी, जोकि आवंटन हेतु विवरणिका, में निर्धारित एक आवश्यक मानदंड था।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपर्युक्त निष्कर्षों और उनके पीछे के कारणों को विस्तार से दर्शाया गया है, जो स्पष्ट रूप से खामियों, निर्णयों जिनके कारण ऐसी स्थिति, घटनाओं की श्रृंखला हुई है और जिम्मेदार पक्ष को इंगित करता है। प्रतिवेदन में, भूमि अधिग्रहण के वैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कैसे किया गया है, कई वर्षों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं में अपनी जीवन भर की बचतों का निवेश करने वाले घर के खरीदारों की स्थिति, तंत्र जिसके माध्यम से आवंटन के नियमों और शर्तों को दरकिनार किया गया था और इस प्रक्रिया में प्राधिकरण के अधिकारियों की भागीदारी के बारे में भी बताया गया है।

परिणाम और प्रभाव

प्रतिवेदन में की गई 27 सिफारिशों में से 23 को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सरकार और प्राधिकरण ने प्रमुख क्षेत्रों में हमारे तर्क को स्वीकार कर लिया है और वह पद्धतियों, प्रक्रियाओं और शर्तों की मौजूदा प्रणाली में बदलाव हेतु प्रतिबद्ध है। प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

योजना	• लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, सरकार ने नोएडा के योजना विनियम, 2010 की समीक्षा का निर्देश दिया।
कीमत निर्धारण	• नोएडा के लिए कीमत निर्धारण के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाएंगे। • नोएडा ने लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुसार संपत्तियों की लागत निर्धारण के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। • नोएडा भूमि अधिग्रहण के लिए अनुग्रह राशि भुगतान, भूमि अधिग्रहण पर भुगतान किए गए अतिरिक्त मुआवजे और नीति नहीं बनाने के कारण आबादी भूखंडों (आबादी भूखंडों, भू–स्वामियों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे के अतिरिक्त दिए गए विकसित भूखंड है) के भुगतान के संबंध में भुगतान की गई ₹1,733.20 करोड़ की लागत की वसूली करने के लिए सहमत हो गया। • नोएडा ने सहमति जताई है कि भविष्य में वह एफएआर (फ्लोर क्षेत्र अनुपात) के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण करेगा अर्थात एफएआर जितना अधिक होगा, आरक्षित मूल्य भी उतना ही अधिक होगा।

आवंटन	• आवंटन और देय राशि के संग्रह के लिए नियम और शर्तों को सुदृढ़ किया जाएगा। • नीतियों में खामियों को ठीक किया जाए और आवंटन में स्व–निर्णय को दूर किया जाना चाहिए। • लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद चार वाणिज्यिक बिल्डरों के प्लॉट रद्द कर दिए गए और एक मामले में आवंटन राशि जब्त कर ली गई। • नोएडा ने स्वीकार किया है कि स्पोर्ट्स सिटी प्लॉटों में सब–डिवीजन के 81 हिस्सों के कारण स्पोर्ट्स अवसंरचना और परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं।

https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh/hi/audit-report/details/114926

प्रतिवेदन एक्सेस
हेतु स्कैन करें

तीव्र एवं तीव्रतर – परिणाम का अनुसरण

भारतीय रेल देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। भारतीय रेल के अधिकांश मार्ग बेहद व्यस्त हैं और हावड़ा – नई दिल्ली मार्ग से अधिक व्यस्त कोई भी नहीं है। सरकार गतिशीलता और समयबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु रेलवे से आग्रह कर रही थी। इस खामी के प्रति हमने परिणामों की लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहाँ पर भारतीय रेल (भा. रे.) की सबसे व्यस्त लाइन पर चलने वाली ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार की गुंजाइश थी।

हमने पाया कि जबकि ट्रेनों का समय पर निष्पादन और समय की पाबंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है, विभिन्न ट्रेनों के लिए यात्रा का समय नहीं बदला है, और इसके विपरीत इसमें वृद्धि हुई है। जब हमने लेखापरीक्षा शुरू की थी, तब भारतीय रेल का समय की पाबंदी निष्पादन केवल 69% था। हमने समय की पाबंदी में सुधार और यात्रा के समय को कम करने के लिए नए और पहले कभी नहीं आजमाए गए तरीकों का उपयोग करके विशिष्ट उपायों का सुझाव देने का इरादा किया। **प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज** की लेखापरीक्षा टीम ने कुछ सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (यूआईसी) के साथ बातचीत करने, रेलवे बोर्ड (सीआरबी) के पूर्व अध्यक्ष के साथ कार्य करने, फुट प्लेटिंग निरीक्षण करने लोकोमोटिव में यात्रा करके एक लाइन का निरीक्षण करने, और वास्तविक जटिल ट्रेन परिचालनों का अनुकरण करने जैसे कई आयाम प्राप्त किए। टीम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे संस्थानों के विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य डोमेन विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया।

हमने पाया कि भारतीय रेल ने मैन्युअल रूप से अपनी कार्य समय सारिणी तैयार की। हमने नई दिल्ली – हावड़ा मार्ग की सभी ट्रेनों के कंप्यूटर–आधारित अनुकरण का उपयोग किया और एक नई कार्य समय सारिणी को तैयार किया जो यात्री ट्रेनों के लिए 100 प्रतिशत समयबद्धता प्राप्त करने के अलावा मौजूदा संसाधनों के भीतर लगभग 5.5 घंटे यानी 23 प्रतिशत परिचालन समय बचा सकती है। अनुकरण अभ्यास में बताया गया कि प्रत्येक 100 किमी चलने के लिए, 110 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए 22–25 मिनट की औसतन बचत संभव है। इसी तरह 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए औसतन 10–12 मिनट की बचत संभव है।

इसमें व्यस्त लाइन में 12,000 से अधिक टकरावों का समाधान शामिल था। टीम ने विभिन्न खंडों में कई अप्रयुक्त अतिरिक्त माल ढुलाई पथों का भी निर्धारण किया, जिनमें अतिरिक्त राजस्व लाने की क्षमता है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने निष्पादन के उपयुक्त संकेतक तैयार करने के लिए कई अन्य देशों और उनके सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों से परामर्श किया क्योंकि भारतीय रेल के परिभाषित परिणाम नहीं थे। एक अन्य नवाचार को मार्ग के आधार पर डेटा का विश्लेषण करने के लिए अपनाया गया था, न कि क्षेत्रों के आधार पर, जो उप इष्टतम परिणाम देने वाली पहले की कार्य प्रणाली थी।

हमने देखा कि छह आंतरिक और नियंत्रणीय कारक महत्वपूर्ण थे, जो नेटवर्क पर ट्रेनों के लिए कुल रोधक का 66 प्रतिशत था। हमने देखा (2017–18 और 2018–19 के दौरान) कि भारतीय रेल ने प्राथमिकता पर इन कारकों का समाधान नहीं किया, जैसा कि वित्तीय परिव्यय और उनकी महत्ता के अनुरूप व्यय से देखा गया है। हमने पाया कि पूंजीगत व्यय का केवल 20 प्रतिशत इन पांच महत्वपूर्ण कारकों (अर्थात पथ, यातायात, अभियांत्रिकी ब्लॉक, सिग्नलिंग और दूरसंचार) पर किया गया था, जिसने संचयी रोधक समय में 51 प्रतिशत योगदान दिया। हमने यह भी पाया कि यात्रा के समय को कम करने और मौजूदा संसाधनों के भीतर समय की पाबंदी में सुधार करने की महत्वपूर्ण गुंजाइश है, क्योंकि भारतीय रेल की समय सारिणी में 3–5 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (यूआईसी) की तुलना में काफी अधिक शिथिलता/स्लेक (15–30 प्रतिशत) है। हमारे प्रतिवेदन में ट्रेन के निष्पादन और कर्मचारी उत्पादकता की वैश्विक बेंचमार्किंग, भारतीय रेल द्वारा किए गए निवेश और इसके परिणाम, समय की पाबंदी के साथ यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी के साथ वैकल्पिक समय सारिणी शामिल है।

शायद, एक पेशेवर लेखापरीक्षक के लिए उच्चतम प्रशंसा, अपने ग्राहक से होगी। उस संबंध में, हम जानते थे कि यह एक अच्छी तरह से किया गया कार्य था, जब रेलवे बोर्ड के एक पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "..... जो हासिल किया गया है वह अपने आप में एक पथप्रदर्शक कवायद है, जिसे रेलवे अधिकारियों ने भी कभी नहीं किया।

https://cag.gov.in/rly/allahabad/hi/audit-report/details/116069

प्रतिवेदन एक्सेस हेतु स्कैन करें (पृष्ठ 16–79)

वाउचर लेखापरीक्षा का प्रभाव

आमतौर पर यह देखा गया कि प्रेषण विभागों में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय बुकिंग किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में असमायोजित और अप्रयुक्त अग्रिमों की वापसी न किया जाना भी प्रचलित हैं। इन मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभागों के लिए **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) का कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** द्वारा उच्च मूल्य वाले भुगतान वाउचरों के माध्यम से वस्तु शीर्ष 24 (मुख्य निर्माण कार्य) के तहत व्यय का विश्लेषण किया गया था।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (एफएचबी) के अनुसार, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) नकदी और भंडार, प्राप्ति और व्यय के मूल अभिलेखों की सभी प्रकार की यथार्थता के लिए उत्तरदायी हैं। प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) डीडीओ की शक्ति रखता है और इसके लिए उत्तरदायी होता है। लेखा कार्यालयों में वाउचर लेवल कंप्यूटराइजेशन (वीएलसी) प्रणाली में वन विभाग के संबंधित प्रभागों द्वारा प्रदान किए गए संकलित मासिक लेखाओं के माध्यम से वन लेखाओं का लेखांकन डेटा प्राप्त किया जाता है। इसलिए नमूना जांच के लिए वन प्रभागों के चयन में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित वीएलसी डेटा और मासिक लेखाओं का उपयोग किया गया था।

हमने महालेखाकार (ले एवं हक)–II, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में उपलब्ध वाउचरों की गहन संवीक्षा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, महालेखाकार (ले एवं हक)–II, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय से वन प्रभागों की लेखापरीक्षा के लिए चयनित परीक्षण महीनों के वाउचर प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्रारंभ में, महालेखाकार (ले एवं हक)–II, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय के परिसर में लेखापरीक्षा संवीक्षा की गई और बाद में वाउचरों को अपने परिसर में संवीक्षा के लिए लखनऊ में लेखापरीक्षा कार्यालय ले जाया गया। मुख्य शीर्ष –4406: –– सामाजिक वानिकी को नमूना जांच के लिए चयनित किया गया था जिसमें वन प्रभागों द्वारा एक विशेष माह में एक करोड़ रूपये से अधिक व्यय किया गया था।

मार्च 2017 माह के मासिक वाउचर की जांच के दौरान, हमने पाया कि वन प्रभागों में से एक डीडीएसएफ अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने ट्रैक्टर/जेसीबी से जुड़े मैकेनिकल अर्थ औगर (गड्ढे खोदने का एक उपकरण) का उपयोग करके वृक्षारोपण और सुरक्षा उद्देश्य से गड्ढों और खाइयों की खुदाई का कार्य निष्पादित किया था। भुगतान वाउचर में भुगतान किए गए व्यक्ति के नाम, ट्रैक्टर/जेसीबी नंबर जिसके माध्यम से गड्ढों और खाइयों की खुदाई की गई है, खोदे गए गड्ढों की संख्या/खाइयों की मात्रा, दरों और भुगतान की गई राशि आदि का विवरण था। एक ही कार्य के लिए एक ही व्यक्ति को बार–बार समान भुगतान पाया गया था।

इसलिए, वृक्षारोपण कार्यों में प्रयुक्त वाहनों का सत्यापन परिवहन विभाग के एम–परिवहन एप (एम–परिवहन एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से नागरिक, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, भुगतान कर, चालान, आपातकालीन सेवाओं इत्यादि जैसी परिवहन सेवाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों तक आसानी से पहुँच सकते है) के माध्यम से किया गया था। इन प्रभागों के भुगतान वाउचरों (मार्च 2017, मार्च 2018 और मार्च 2019) पर दर्ज इन ट्रैक्टर/जेसीबी की पंजीकरण संख्या से पता चला कि ये नंबर ट्रैक्टर/जेसीबी से संबंधित नहीं थे, बल्कि मोटरसाइकिल, जीप, स्कूटर, मोपेड आदि के रूप में पंजीकृत थे। अन्य चयनित वन प्रभागों के वाउचरों की संवीक्षा में भी यही पद्धति अपनाई गई थी और विभाग को एक समेकित मसौदा पैराग्राफ जारी किया गया था।

प्रभाव

विभाग द्वारा 1058 भुगतान वाउचरों से संबंधित ₹ 137 करोड़ के धोखाधड़ी से भुगतान पर मसौदा पैराग्राफ विभाग को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, विभाग ने 14 अधिकारियों को निलंबित करके और 137 कर्मचारियों के विरूद्ध चार्जशीट जारी करके बड़ी संख्या में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त, शेष दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डीडीओ/डीएफओ (भारतीय वन सेवा अधिकारियों) के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए विभाग द्वारा मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था।

https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh/hi/audit-report/details/117336

प्रतिवेदन एक्सेस हेतु स्कैन करें (पृष्ठ 57–58)

"प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण" की निष्पादन लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और मूल कारण विश्लेषण को अंतर्निर्मित करना

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा–I), राजस्थान ने लाभार्थियों की सही पहचान, सभी इच्छित लाभार्थियों की कवरेज और सही और समय पर भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए डीबीटी प्रणाली की प्रभावकारिता और दक्षता का निर्धारण करने के लिए राजस्थान में "प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू की। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (एसजेईडी) के तहत सबसे अधिक व्यय वाली दो योजनाओं अर्थात मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (सीएमओएएसपीएस) और मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना (सीएमईएनएसपीएस) को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

इस लेखापरीक्षा में अपनाई गई कुछ नई पद्धतियों का विवरण नीचे दिया गया है:

- सभी डीबीटी योजनाओं के आंकड़ों का केंद्रीकृत मिलान उपलब्ध नहीं था। इसलिए, लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित योजनावार/विभागवार राशि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न विभागों की प्रशासनिक/वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखाकार (ले. व हक), राजस्थान, जयपुर की वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण प्रणाली, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा संकलित जानकारी और राज्य सरकार के वित्त लेखे जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई थी।

- हमने जांच की कि क्या डीबीटी को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पुनर्भियंत्रण किया गया था, ताकि मध्यस्थ स्तर, इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में विलंब और चोरी और दोहराव को कम किया जा सके। इस तरह के विश्लेषण ने

सीएमओपीएपीएस और सीएमईएनएसपीएस का कार्य प्रवाह आरेख

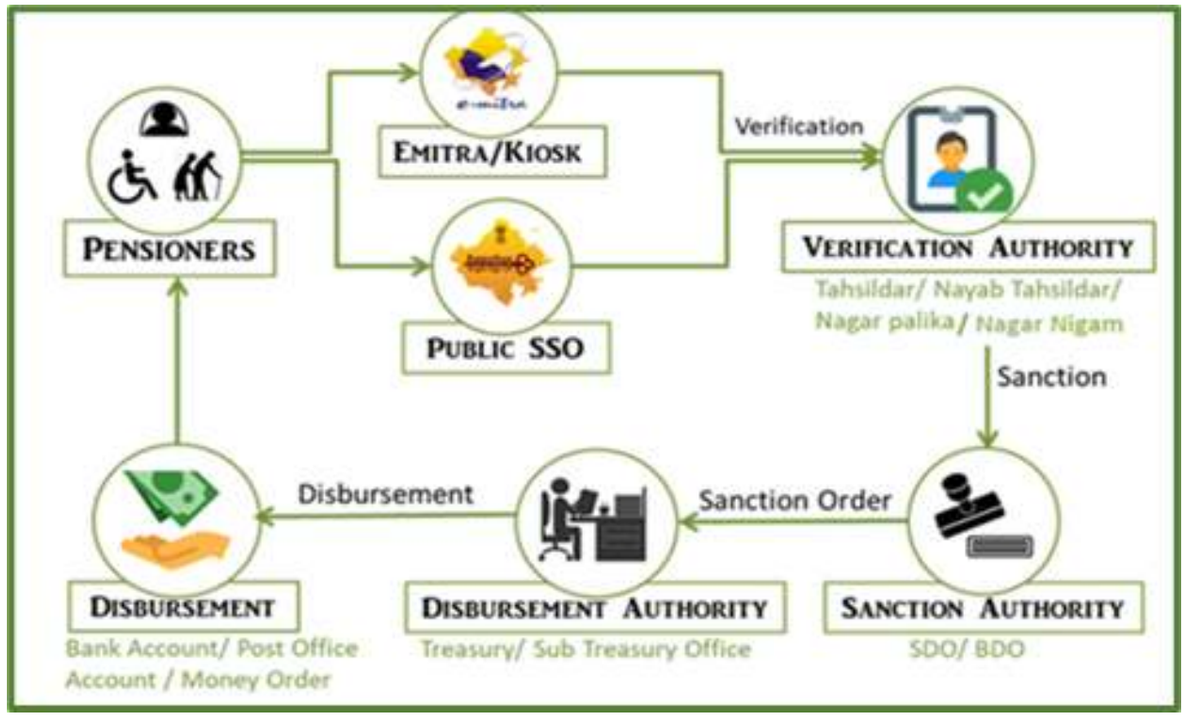

हमें राज्य में कई विभागों और एजेंसियों द्वारा निपटाए गए कार्यों को कवर करते हुए कार्य प्रवाह और प्रक्रिया प्रवाह आरेख तैयार करने में सक्षम बनाया जो राज्य सरकार के लिए मूल्यवान जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।

- बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने वाली दो योजनाओं में से प्रत्येक के लिए 240 लाभार्थियों और मनीऑर्डर के माध्यम से (कुल 552 लाभार्थियों) पेंशन प्राप्त करने वाली दोनों योजनाओं के 72 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया।

- राजएसएसपी डाटा डंप (दोनों योजनाओं से संबंधित जानकारी युक्त) का डेटा विश्लेषण किया गया।

- मूल कारण विश्लेषण, उन कारकों की पहचान करने के लिए किया गया था जिनके परिणामस्वरूप निष्पादन में कमी आई थी। उदाहरण के लिए, असफल भुगतानों के मूल कारण विश्लेषण से पता चला है कि प्रक्रियात्मक समस्याएं उन मामलों में मौजूद थीं जहां गलत/अद्यतन लाभार्थी विवरणों के कारण विफलता हुई और पेंशन भुगतान को फिर से शुरू करने में विफलता के कारण को संबोधित करने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली परिणामी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संवीक्षा के परिणामस्वरूप मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिली जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सामने लाई गई है।

- सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा को निष्पादन लेखापरीक्षा के एक प्रमुख घटक के रूप में निर्बाध रूप से एकीकृत किया गया था। डेटा की सुरक्षा, अखंडता और विश्वसनीयता जैसे सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट पहलुओं को उजागर करने के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी से संबंधित कमियों को योजना कार्यान्वयन में परिणामी समस्याओं से जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त, योजना कार्यान्वयन में समस्याओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान भी प्रदान किए गए थे।

लेखापरीक्षा प्रभाव

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा की कई सिफारिशों को स्वीकार किया, क्योंकि वे मूल कारण विश्लेषण पर आधारित थीं और व्यावहारिक थीं।

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi/audit-report/details/117263

प्रतिवेदन एक्सेस
हेतु स्कैन करें

रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा

रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों का "निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा" **सीआरए विंग** द्वारा की गई थी (क) इस क्षेत्र के निर्धारितियों के संबंध में नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं आदि की पर्याप्तता की जांच करने के लिए; (ख) ऐसे विधायी प्रावधानों के अनुपालन में दक्षता और प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए; और (ग) यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रणालियां, आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रियाएं और निगरानी तथा समन्वय तंत्र पर्याप्त और मजबूत थे। कई स्रोतों [kimberleyprocessstatistics-org, जीजेईपीसी (रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद) इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय आदि], के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रुझानों के सहसंबंध के आधार पर जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे विस्तृत रूप में दिए गए हैं:

2010 से 2020 के दौरान अपरिष्कृत हीरे के आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य वृद्धि में नियमित प्रवृत्ति थी, जिसके लिए आयात और निर्यात की सूक्ष्मता से विस्तृत जांच की आवश्यकता थी। 2009–10 से 2019–20 की अवधि के दौरान, अपरिष्कृत हीरे के कुल आयात का 76 प्रतिशत और अपरिष्कृत हीरे के कुल निर्यात का 80 प्रतिशत तीन देशों अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम और हांगकांग को किया गया था, जिनका वैश्विक हीरा खनन में अंशदान नगण्य था।

ग्राफ 2.4: भारत में मोतियों का आयात और निर्यात

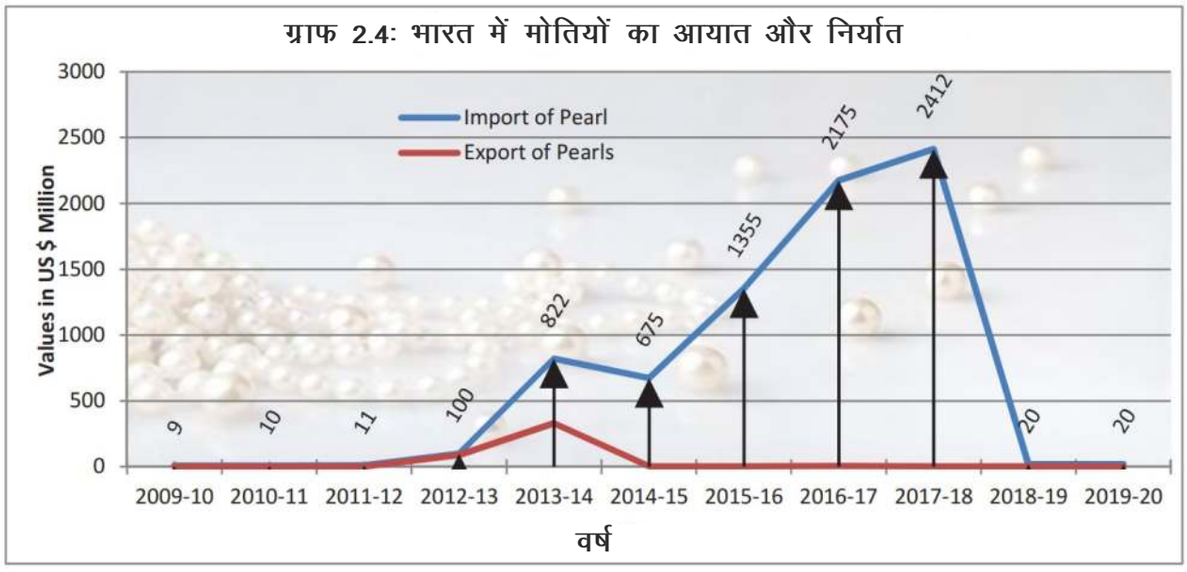

मोतियों के आयात और निर्यात के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि हालांकि वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान मोतियों के निर्यात में बहुत अधिक भिन्नता नहीं थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान मोतियों के आयात में अचानक वृद्धि हुई थी और वित्त वर्ष 2018–19 से आयात में अचानक गिरावट आई थी। वित्त वर्ष 2012–13 से 2017–18 के दौरान रुझान, मोतियों के आयात के संभावित अधिक बीजक तैयार किए जाने तथा निर्धारण से बचने वाली महत्वपूर्ण आय के अन्तर्निहित जोखिम का संकेतक था।

लेखापरीक्षा ने 360 डिग्री विश्लेषण किया और संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधियों की जांच न किया जाना; अस्पष्टीकृत अतिरिक्त उत्पादन, स्टॉक का कम लेखांकन, और निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए दावों में अंतर की तुलना में कर चोरी जिसके लिए आगे की जांच और विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, के अंतर्निहित जोखिम के साथ संबंधित पक्ष के अभिलेखों का सत्यापन नहीं करने जैसी विभिन्न अनियमितताओं को पाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अभिलेखों में आयकर विवरणी (आईटीआर) और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) में किए गए प्रकटीकरणों के अनुसार वस्तु सूची के मात्रात्मक विवरणों की की गई जांच/सत्यापन का विवरण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग इस संबंध में किसी भी दिशा–निर्देश/एसओपी के अभाव में फर्जी प्रविष्टियों/क्रय से जुड़े समान रूप के मामलों में अस्वीकृति प्रदान करने में असंगत था। संवर्धनों को मनमाने ढंग से या विवेकाधीन तरीके से और अपीलीय चरण में संवर्धन की गैर–स्थिरता के अंतर्निहित जोखिम के साथ निर्धारण आदेश में उचित औचित्य दर्ज किए बिना किया गया था।

हमारे द्वारा इंगित किए गए मुद्दे, रत्न और आभूषण क्षेत्र के संबंध में आयकर विभाग (आईटीडी) में कमजोर निगरानी तंत्र का संकेतक थे। चूंकि, इस क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग, गलत बीजक तैयार करने और लेनदेन का महत्वपूर्ण जोखिम और दावों की आड़ में काले धन को खपाने का जोखिम शामिल है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि ये मुद्दे जोखिमों को दूर करने के लिए इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों/एसओपी और निर्देशों के अभाव में आयकर विभाग द्वारा जांच किए जाने से बच गए।

लेखापरीक्षा प्रभाव

- सीएएसएस (कंप्यूटर सहायता संवीक्षा चयन) के लिए मानकों को विकसित करने और एक मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने हेतु प्रमुख जोखिम क्षेत्रों को आयकर विभाग को बताया गया था। एसओपी तैयार करने की सिफारिश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विचाराधीन है।

- इसके अलावा, अतिरिक्त कच्चे माल की बिक्री और समावेशन के माध्यम से अपवंचन की संभावना को रोकने के लिए अनियमित अतिरिक्त उत्पादन का सत्यापन न करने के कारणों की जांच के संबंध में सिफारिशें की गई थी। आगामी '2021–22 के लिए लेखापरीक्षा का संग्रह' के लिए आयकर विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली लेखापरीक्षा जांच–सूची पर यथावत विचार करने और समावेशन के लिए सिफारिश को लिखा गया है।

प्रतिवेदन एक्सेस हेतु स्कैन करें

https://cag.gov.in/en/audit-report/details/116646

लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य संग्रहण तथा रिपोर्टिंग हेतु प्रौद्योगिकी उपकरण

लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य संग्रहण और बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सुधार करने में प्रौद्योगिकी साधनों का लाभ उठाया जाता है। हमने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। इस खंड में हमने कुछ पहलों को दर्शाया हैं, जहां कार्यालयों ने लेखापरीक्षा में नवीनतम प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग किया है।

डेटा संचालित लेखापरीक्षा – नवीन तकनीकों का कार्यान्वयन

डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषणात्मक केंद्र (सीडीएमए) सीएजी संगठन में डेटा विश्लेषिकी के लिए केन्द्रीय अभिकरण है और यह डेटा विश्लेषिकी पर क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। सीडीएमए दो तरीकों से कार्य करता है। एक तरीके में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करके और उनका डेटा विश्लेषिकी मॉडल/प्रश्नों आदि को मान्य और इष्टतम बनाकर, जिनका उपयोग दोहराव/आवधिक तरीके में किया जाता है, के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

सीडीएमए का दूसरा तरीका एक–एक डेटा विश्लेषिकी परियोजनाओं को शुरू करता है, जहां, डेटा या तो क्षेत्रीय कार्यालयों से या लेखापरीक्षा सत्वों से प्राप्त किया जाता है। डेटा विश्लेषिकी मॉडल तब विभिन्न डेटा विश्लेषिकी उपकरणों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। डेटा विश्लेषिकी रिपोर्ट, जो हितधारकों के साथ साझा की जाती हैं, विसंगतियों या बाह्य के रूप में विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों पर प्रकाश डालती हैं और ये लेखापरीक्षा दिशानिर्देश तैयार करने का आधार बनती हैं।

नवीन समाधानों का कार्यान्वयन

सीडीएमए, एसक्यूएल जैसे पारंपरिक अपवाद क्वेरी टूल का उपयोग करने के अतिरिक्त, बिग डेटा टूल्स के विभिन्न सेटों जैसे पायथन, आर, केएनआईएमई, टेब्ल्यू आदि पर कार्य कर रहा है। इसने डेटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कई मामलों में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छवि विश्लेषणात्मक, रिवर्स जियो कोडिंग और अन्य सांख्यिकीय विधियों जैसी नवीन तकनीकों का भी उपयोग किया है। सीडीएमए द्वारा हाल ही में उपयोग की जाने वाली कुछ नवीन तकनीकों के परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं:

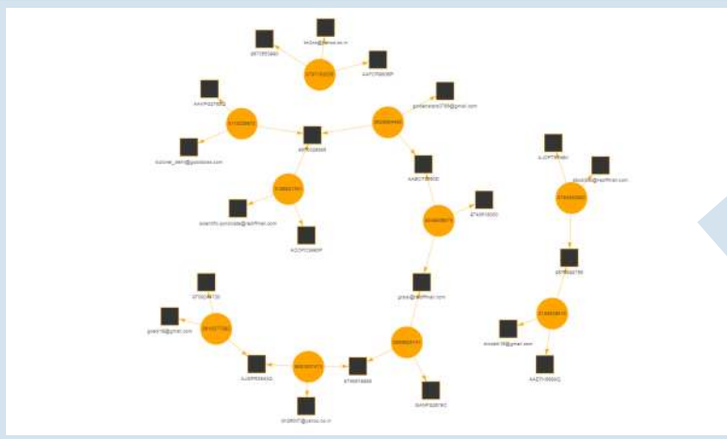

कई विशेषताओं (ईमेल, पैन, मोबाइल, आदि) के आधार पर डुप्लिकेट पंजीकरण की पहचान करने के लिए नेटवर्क विश्लेषण।

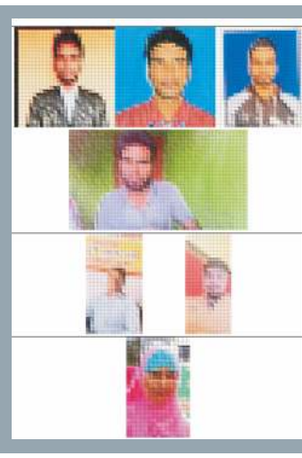

पायथान में छवि विश्लेषणात्मक और चेहरा पहचान उपकरण का उपयोग गैर–मानव तस्वीर के उपयोग का पता लगाने के लिए किया गया था; एक ही तस्वीर का एक से अधिक बार उपयोग और एक ही व्यक्ति की अलग–अलग तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा है।

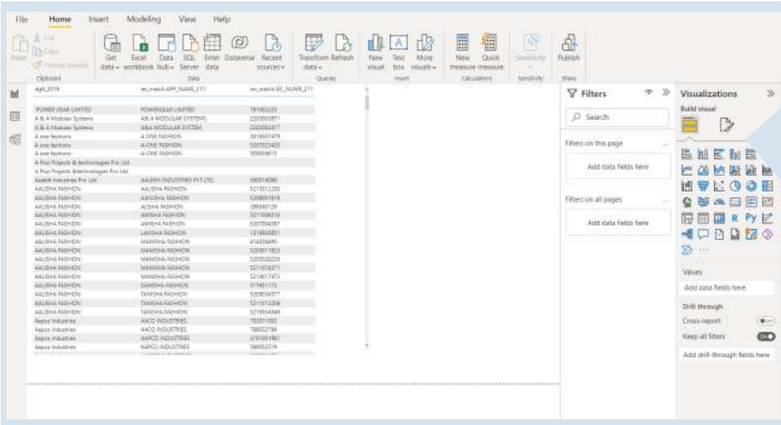

पावर बीआई में फर्जी लॉजिक का उपयोग ईपीसीजी और एमईआईएस योजनाओं, डीजीएफटी में डिफॉल्टर लाइसेंसधारकों की पहचान करने के लिए किया गया था।

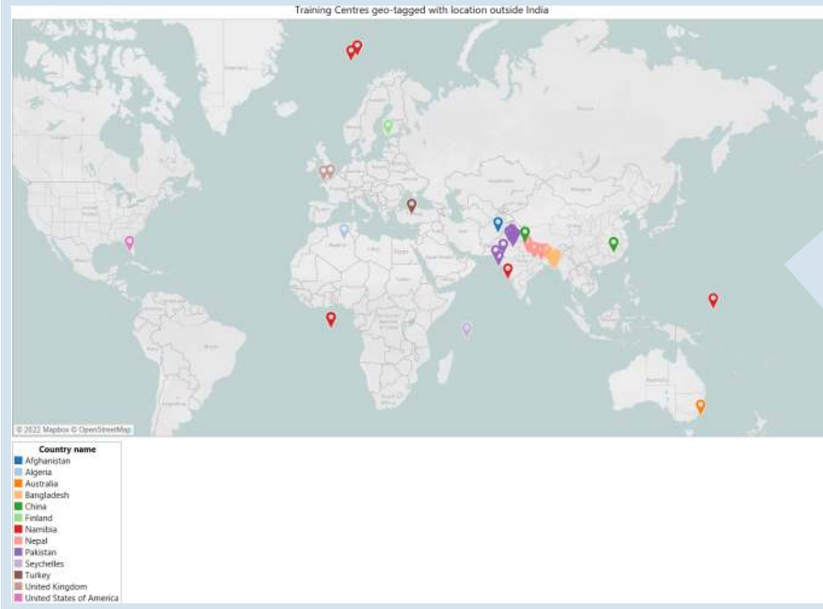

पीएमजी–दिशा डेटा में आईपी एड्रेस के आधार पर लोकेशन को–ऑर्डिनेट्स के रिवर्स जियोकोडिंग ने सुझाव दिया कि कई प्रशिक्षण संस्थान स्पष्ट रूप से भारत के बाहर स्थित थे।

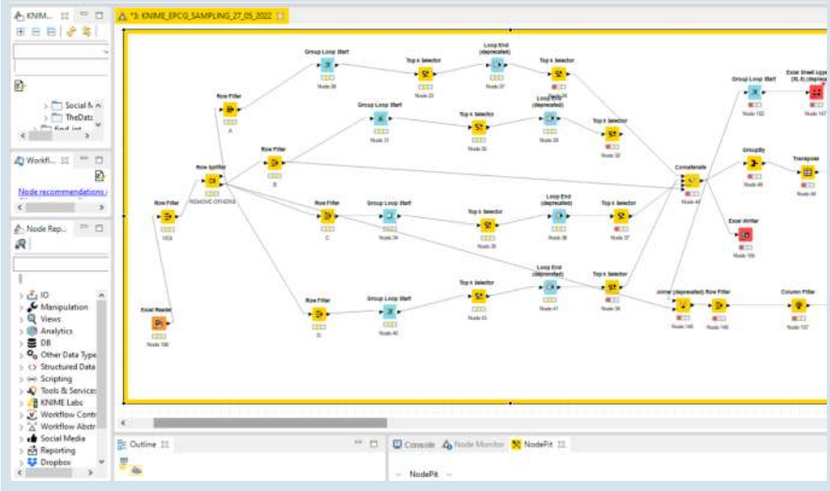

ईपीसीजी योजना के लिए पीए में केएनआईएमई का उपयोग करते हुए, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में रेड़ फ्लैग वाले डेटा संव्यवहार के सत्यापन के लिए नमूना चयन के लिए बहु स्तरीय जोखिम मॉडल विकसित किया गया था।

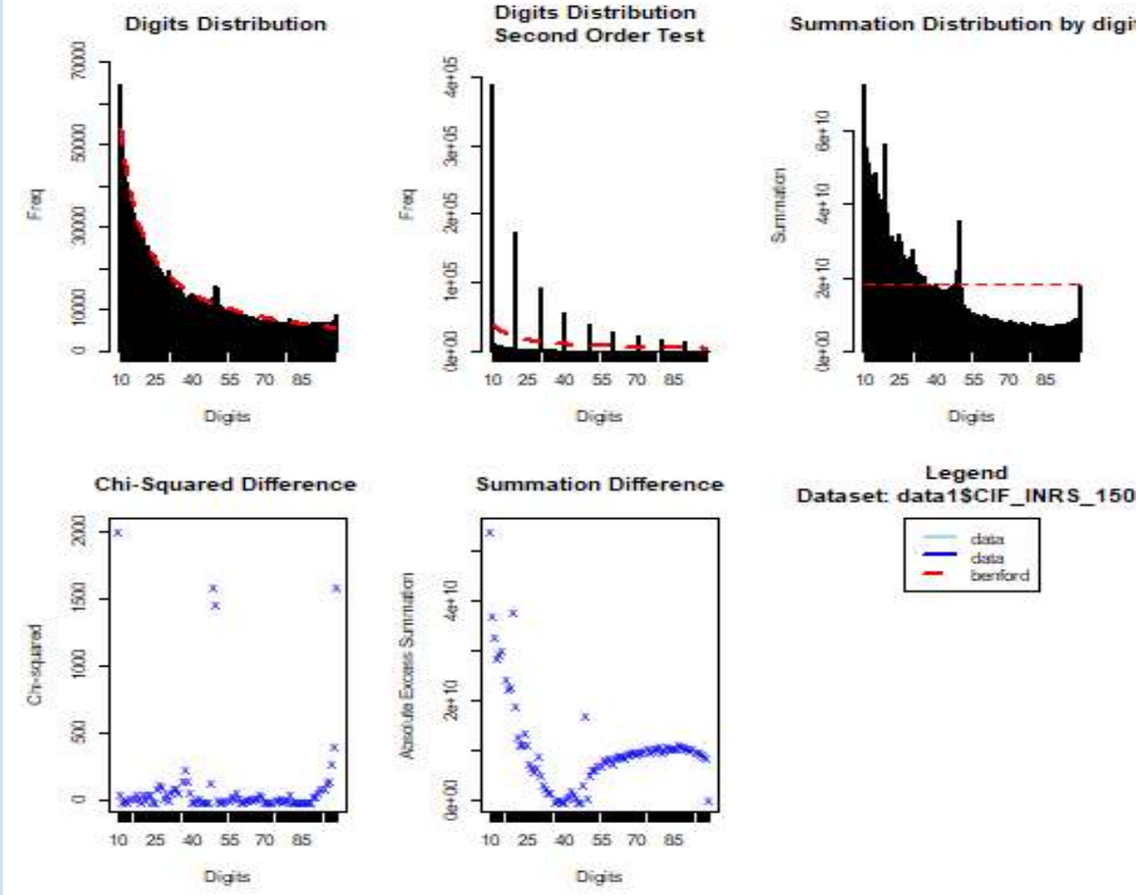

नवीन तकनीकों से प्राप्त लाभ

वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए प्रमुख डेटा–संचालित लेखापरीक्षाओं के दौरान निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए गए:

- इसने पारंपरिक यादृच्छिक नमूना चयन दृष्टिकोण से उच्च जोखिम वाले संव्यवहार और सत्वों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता की
- मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिकल मॉडल, प्रारंभिक चरण में जोखिमों का पता लगाने में सहायक थे और इन्होंने लेखापरीक्षा की विस्तृत योजना के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया
- उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके दोहरे लाभार्थियों की पहचान की गई थी
- इसने गैर–मानव तस्वीर; एक ही तस्वीर; एक से अधिक बार; और एक ही व्यक्ति की अलग–अलग तस्वीरों के उपयोग का पता लगाने में सहायता की
- डेटा सेट में हुए हेरफेर के कुछ रूपों की पहचान तब की गई थी जब डेटा ने बेनफोर्ड कानून से विचलन को दर्शाया
- वाहन, सारथी डेटा पर क्षेत्रीय कार्यालयों को उपयोग करने के लिए तैयार प्रश्न और बोधगम्य टेब्ल्यू मॉडल उपलब्ध कराए गए थे
- डेटा विश्लेषणात्मक मॉडल के उपयोग ने ऑफसाइट लेखापरीक्षा को बढ़ावा दिया

हम, उच्च जोखिम वाले बारंबार लेखापरीक्षा और एकल उपयोग उच्च जोखिम लेखापरीक्षा दोनों के लिए विश्लेषिकी के उपयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं।

"धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को आयकर विभाग द्वारा दी गई छूट" की निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रत्यक्ष कर विंग ने "धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा दी गई छूट" की निष्पादन लेखापरीक्षा की। हमने आयकर अधिनियम के तहत लाभ उठाने वाले धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों की प्रक्रिया के अनुपालन की निगरानी की प्रभावशीलता धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को छूट देने में आईटीडी की दक्षता; और धर्मार्थ न्यासों/संस्थानों के निर्धारण से संबंधित अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी अनुदेशों में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच की। हमने 6,064 मामलों की जांच की, जिसके संबंध में ₹1.67 लाख करोड़ की छूट का दावा किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा नमूने के अतिरिक्त कुल पाप्यूलेशन का भी विश्लेषण किया गया था।

जनसंख्या और लेखापरीक्षा नमूने का सांख्यिकीय विश्लेषण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय 4 में, लेखापरीक्षा संसृति की रूपरेखा, संदर्भ विश्लेषण और उच्च मूल्य निर्धारणों की रूपरेखा लौटाई गई आय और निर्धारित आय के आधार पर कुल जनसंख्या का वितरण दावा की गई छूटों से संबंधित राज्य–वार डेटा किन्तु पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं; प्राप्त विदेशी अंशदान किन्तु पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं; न्यासों/संस्थाओं को उनकी गतिविधियों और उनके प्रकारों आदि के आधार पर वर्गीकरण को शामिल किया गया था। डेटा संख्या के ऐसे विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

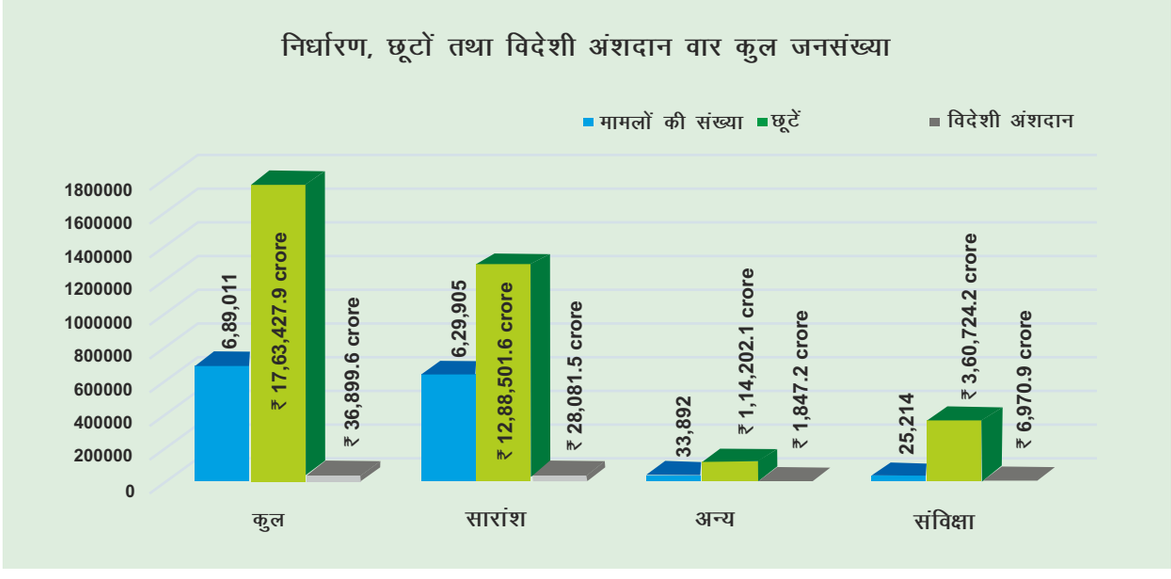

निर्धारण, छूट और विदेशी अंशदान–वार कुल जनसंख्याः उपरोक्त अवधि के दौरान न्यासों/संस्थाओं द्वारा दावा की गई ₹17,63,427.9 करोड़ की कुल छूटों में से 73 प्रतिशत (₹12,88,501.6 करोड़) छूट को संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था जबकि विभाग द्वारा छूट के 20 प्रतिशत (₹3,60,724.2 करोड़) की संवीक्षा की गई और अवधि के दौरान न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त कुल ₹36,899.6 करोड़ के विदेशी अंशदान में से, विदेशी अंशदान के 76 प्रतिशत (₹28,081.5 करोड़) को संक्षिप्त रूप से संसाधित किया गया था। जबकि विभाग द्वारा विदेशी अंशदान के केवल 19 प्रतिशत (₹6,978.4 करोड़) की संवीक्षा

की गई थी। यह दर्शाने के लिए कि क्या आयकर विभाग का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों पर केन्द्रित था, हमने वितरण के विशेषताओं की जांच की।

आय विवरण और निर्धारित आय के आधार पर कुल जनसंख्या का वितरणः वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, संसाधित/निर्धारित/संशोधित कुल 6.89 लाख मामलों में से 5,11,951 मामलों (कुल मामलों का 74.3 प्रतिशत) में आय विवरण शून्य थी, जबकि 4,33,620 मामलों (कुल मामलों का 62.9 प्रतिशत) में निर्धारित आय शून्य थी। सभी चार निर्धारण वर्षों अर्थात निर्धारण वर्ष 2014–15 से निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या शून्य से अधिक आय विवरणों वाले मामलों के लिए सबसे अधिक (22,376 मामले) थी, इसके बाद शून्य से अधिक और ₹ 50 लाख (2,717 मामले) तक की आय विवरणों वाले मामले थे, जिसके बाद ₹ 1 करोड़ से अधिक (201 मामले) की आय विवरण वाले मामले थे।

विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ लेकिन पंजीकरण की स्थिति उपलब्ध नहीं: धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निर्धारण वर्ष 2014–15 से निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए संसाधित/निर्धारित/संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) से संबंधित आंकड़ों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि 347 मामलों में, जहां विदेशी अंशदान प्राप्त हुए थे, वहां एफसीआरए के तहत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- आईटीडी प्रणाली में कमियां जिसके कारण छूट के गलत दावों के साथ–साथ राजस्व रिसाव की संभावना देखी गई।
- आयकर अधिनियम में सीएसआर निधि से दान के लिए धारा 80 जी के तहत कटौती की अनुमति देने पर कोई स्पष्टता नहीं है।
- आयकर अधिनियम में आय की अनुमति का निर्धारण करने के उद्देश्य से "प्रशासनिक और स्थापना व्यय" शीर्ष के तहत विभिन्न व्यय की अनुमति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
- आयकर अधिनियम में वर्तमान वर्ष की आय में से किसी न्यास द्वारा दूसरे न्यास को दान को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, कुछ न्यास/संस्थाएं चालू वर्ष की आय में से 15 प्रतिशत के अनुमेय संचय का लाभ उठाकर अनुचित लाभ उठा रही हैं और उसके बाद शेष आय को अन्य न्यासों को हस्तांतरित कर रही हैं और इस प्रकार एक से अधिक दान की श्रृंखला बना रही हैं।
- अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों की संख्या की तुलना में विभाग द्वारा बहुत कम सर्वेक्षण किए गए थे।
- आयकर विभाग के पास आईटीआर फॉर्म –7 में दर्शाए गए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है जिसे एफसीआरए अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रकटीकरण किया गया है। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों को पाया जहां कमियों के परिणामस्वरूप विदेशी अंशदान पर छूट का गलत दावा किया गया।

http://cag.gov.in/en/audit-report/details/116754

प्रतिवेदन एक्सेस हेतु स्कैन करें

तमिलनाडु के समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की लेखापरीक्षा

तमिलनाडु में एक बहुत लंबी तटरेखा (1076 किमी) है और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी और जैव–क्षेत्र रिजर्व है जो डुगोंग, समुद्री कछुए आदि जैसे कई अद्वितीय और लुप्तप्राय समुद्री जानवरों का घर है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, **प्रधान महालेखाकार कार्यालय (ऑडिट–II), तमिलनाडु और पुडुचेरी, चेन्नई** ने तमिलनाडु के समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू की थी।

लेखापरीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि यह एक तकनीकी विषय पर है और राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आम तौर पर किए जाने वाले पारंपरिक लेखापरीक्षा कार्यों से पूरी तरह से भिन्न थी। चूंकि लेखापरीक्षा में समुद्री और तटीय पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा दलों को संरक्षण तंत्र पर अंतर्दृष्टि से सज्जित करना और तटीय और समुद्री संरक्षण के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में बेहतर समझ विकसित करना आवश्यक था। कार्यालय ने इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए निम्नलिखित पहल की:

- प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों के वैज्ञानिकों के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किए गए। यह कार्यालय दो स्तरों पर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) के साथ जुड़ा हुआ है:

- मन्नार बायोस्फीयर की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों के क्षरण, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में समुद्री जीवों के संरक्षण, माइक्रोप्लास्टिक्स के कारण महासागरों समुद्रों के / प्रदूषण आदि से संबंधित विषयों पर एनसीएससीएम में काम करने वाले वैज्ञानिकों के गेस्ट लेक्चर्स आयोजित किये।

- राज्य में तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की स्थिति पर एनसीएससीएम द्वारा प्रकाशित अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त की।

- तटीय क्षेत्र प्रबंधन पहलुओं के कार्यान्वयन की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए विभाग से तटीय जोनेशन मानचित्र प्राप्त किए गए थे।

- मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और जैव–क्षेत्र रिजर्व के चुनिंदा द्वीपों में संयुक्त स्थल निरीक्षण आयोजित किए गए थे।

- राज्य में 13 तटीय जिलों में फैली एक लंबी तटरेखा है और इसलिए सीआरजेड उल्लंघनों की पहचान और विश्लेषण एक कठिन कार्य था। इसके अलावा, स्थानिक डेटा उपलब्ध नहीं था और सीआरजेड मानचित्रों की शेप फाइलें प्रस्तुत नहीं की गई थीं। लेखापरीक्षा ने 2011 से लेकर गूगल अर्थ हिस्टोरिकल इमेजरी पर तमिलनाडु सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (टीएनएससीएम) मैप्स की पीडीएफ फाइलों को ओवरले करके एरियल इमेज एनालिसिस जैसे नवाचारों का इस्तेमाल किया। इस अभिनव दृष्टिकोण ने लेखापरीक्षा को तमिलनाडु की पूरी तटरेखा के सीआरजेड जोनेशन मानचित्रों और तमिलनाडु के वर्तमान तटीय मानचित्र को अध्याशेषित (सुपरइम्पोज) करने में मदद की। लेखापरीक्षा ने सीआरजेड क्षेत्र में 130 से अधिक उल्लंघनों की पहचान की। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक निरीक्षणों के दौरान क्षेत्र में कई उल्लंघनों का सत्यापन किया गया था।

नो–डेवलपमेंट जोन में अवैध निर्माण: मैसर्स गोल्डन बे रिसॉर्ट्स

नो–डेवलपमेंट जोन (इंटर–टाइडल एरिया) में बोट जेट्टी, रिसॉर्ट और अन्य जैसी सुविधाओं का निर्माण

मड रोड का अवैध निर्माण जल प्रवाह को बाधित कर रहा है – मैंग्रोव को प्रभावित कर रहा है

इंटरटाइडल जलमार्ग

मैंग्रोव जलमार्ग से कटा हुआ

परिणाम और प्रभाव

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सीआरजेड मंजूरी के लिए आवेदन जमा करने से लेकर हर स्तर पर सीआरजेड उल्लंघनों पर कई अभ्युक्तियों के लिए लेखापरीक्षा को सुविधा प्रदान की। इसके अलावा, खाड़ी मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के द्वीपों में तेजी से फैलने वाली समुद्री शैवाल प्रजातियों जैसे कप्पाफाइकस और डुगोंग (समुद्री गाय), समुद्री घास आदि के संरक्षण की अनुपलब्धता के कारण कोरल रीफ के क्षरण के खतरनाक स्तर को उजागर करने में लेखापरीक्षा को सक्षम बनाया।

लेखापरीक्षा प्रभाव

तमिलनाडु सरकार ने निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (टीएनएससीजेडएमए) द्वारा मंजूरी के लिए शक्तियों का अनुचित उपयोग।
- टीएनएससीजेडएमए की सिफारिशों के बिना मंजूरी देने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों, जिला तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (डीसीजेडएमए) को शक्तियों का अनुचित प्रत्यायोजन।
- डीसीजेडएमए में स्थानीय पारंपरिक समुदायों का गैर–प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और कार्रवाई की गई थी.
- सरकार ने चिन्हित उल्लंघनों पर कार्रवाई करने और डुगोंग के संरक्षण के लिए एक रिजर्व घोषित करने का आश्वासन दिया

https://cag.gov.in/hi/audit-report/details/116716

प्रतिवेदन एक्सेस हेतु स्कैन करें

वन विभाग में वृक्षारोपण के निर्धारण में यूएवी प्रौद्योगिकी का उपयोग

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा–II), ओडिशा ने *"वन विभाग में वृक्षारोपण गतिविधियों के निर्धारण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा* की, जिसका उद्देश्य मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण का निर्धारण करना था। पारंपरिक लेखापरीक्षा अर्थात् संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) द्वारा समर्थित अभिलेख/दस्तावेज की जांच करने के अलावा, हमने पारंपरिक लेखापरीक्षा पद्धति में कमियों को दूर करने के लिए नई साक्ष्याकंन विधि का उपयोग किया। लेखापरीक्षा ने वृक्षारोपण का निर्धारण करने के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों अर्थात सैटेलाइट इमेजेज और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का उपयोग किया। निर्धारण में पेड़ों की गिनती, पेड़ की ऊंचाई का माप, प्रजाति निर्धारण, मंडप का घनत्व, समोच्च मानचित्रण, जल निकासी पैटर्न विश्लेषण और सतह नमी संरक्षण शामिल थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यूएवी को विभिन्न पहलुओं में वृक्षारोपण वृद्धि का निर्धारण करने के लिए तीन सहायता प्राप्त प्राकृतिक उत्थान (एएनआर) और एक मैंग्रोव वृक्षारोपण क्षेत्रों में तैनात किया गया था। सबसे पहले, अनिश्चित वृक्षारोपण स्थलों को गूगल अर्थ का उपयोग करके चुना गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

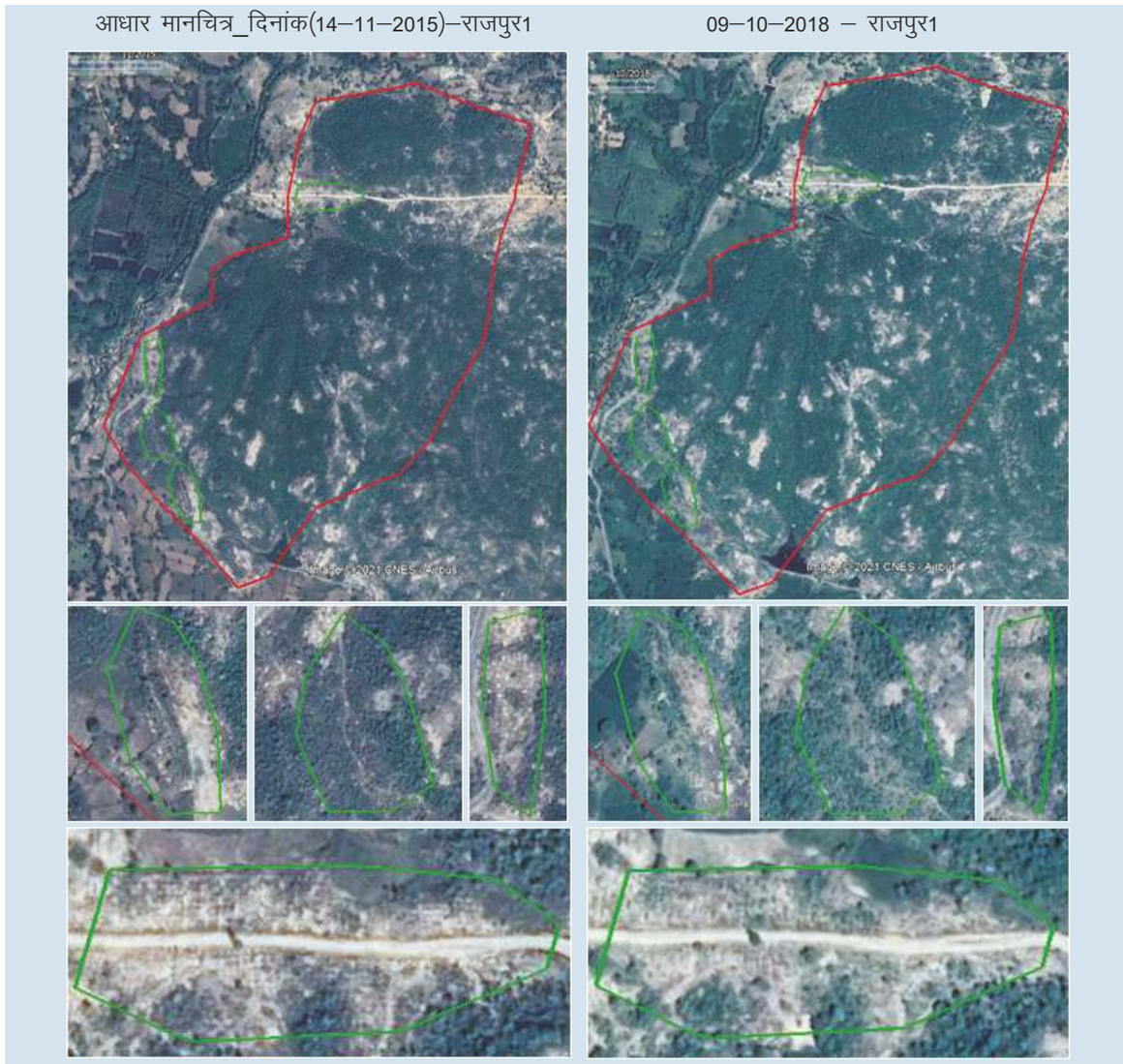

गूगल अर्थ विश्लेषण के अनुसार, अलग–अलग समयावधि में पूरे चयनित वृक्षारोपण स्थल में केवल 2.95 हेक्टेयर में परिवर्तन दिखाई दिया। गूगल अर्थ के माध्यम से संदिग्ध वृक्षारोपण स्थलों का चयन करने के बाद आगे का विश्लेषण किया गया।

- हमने वृक्षारोपण जर्नल में और जेपीवी और यूएवी विश्लेषण के बीच देखे गए उत्तरजीविता प्रतिशत में एक बड़ा अंतर देखा। वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्षारोपण जर्नल और यूएवी उत्पादन के बीच अंतर का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

वृक्षारोपण पत्रिका के अनुसार		
राजपुर 2		
सागौन	–	4000
करंज	–	500
सिसो	–	1000
बाँस	–	1500
सिमरूबा	–	1000
गम्भरी	–	1000
सिरिस	–	500
नीम	–	500
कुल	–	**10000**

यूएवी आउटपुट के अनुसार		
राजपुर 2		
सागौन	–	340
करंज	–	0
सिसो	–	3
बाँस	–	0
सिमरूबा	–	36
गम्भरी	–	0
सिरिस	–	8
नीम	–	2
कुल	–	**389**
*सीमा से बाहर पेड़ सिमरूबा 3, सिरिस 4, सागौन 37		
समग्र उत्तरजीविता प्रतिशत 3.89		

- सागौन के पेड़ों की ऊंचाई विश्लेषण, जैसा कि वृक्षारोपण स्थल में देखा गया है, से पता चला है कि 43.14: सागौन के पेड़ 5 साल की अवधि के बाद भी ऊंचाई में 5 फीट से कम थे।

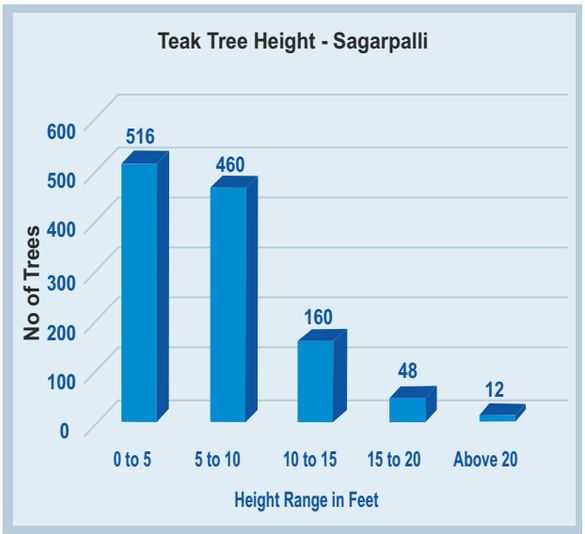

चार्ट 1: सागौन के पेड़ की ऊंचाई विश्लेषण

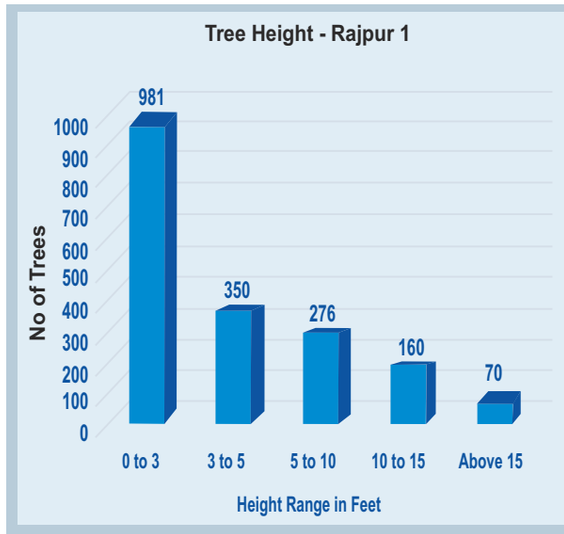

चार्ट 2: पेड़ की ऊंचाई विश्लेषण

- मैंग्रोव वृक्षारोपण के मामले में, यूएवी का उपयोग करके निर्धारण करना एक सफल निगरानी विधि साबित हुआ है। चूंकि मैंग्रोव वृक्षारोपण स्थल गंदा, उथला इलाका होने के कारण पूरी तरह से दुर्गम था, इसलिए सामान्य पारंपरिक पद्धति के माध्यम से निगरानी और निर्धारण लगभग असंभव था। उत्तरजीविता का प्रतिशत 36.46 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जो एक असफल वृक्षारोपण था।

- प्रासंगिक नियमों के अनुसार, खाइयों को इलाके की ढलान के साथ लंबवत खोदा जाना चाहिए ताकि जल प्रतिधारण को अधिकतम किया जा सके। जैसा कि नीचे दी गई तालिका और चित्र से देखा जा सकता है, खाइयों को न तो इलाके की ढलान के लंबवत क्रियान्वित किया गया था और न ही वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर। इस गतिविधि पर काफी व्यय करने के बाद भी, जल प्रतिधारण क्षमता में कोई सुधार नहीं हुआ है, जैसा कि वृक्षारोपित पेड़ों की उत्तरजीविता से देखा जा सकता है।

चित्रः वृक्षारोपण स्थल पर खोदी गई पानी की खाई का चित्र

क्र. सं.	क्षेत्र	खाइयों की कुल संख्या	जल निकासी के लंबवत नहीं	वृक्षारोपण क्षेत्र से बाहर
1.	राजपुर (नियमित)	215	70	55
2.	राजपुर (अतिरिक्त)	703	211	55
3.	सागरपल्ली	121	34	2

तालिकाः वृक्षारोपण स्थल पर खोदी गई खाइयों का विश्लेषण

हमने देखा कि वृक्षारोपण स्थल (लाल वृक्षारोपण सीमा के अंदर एक्वा पॉलीगॉन) के भीतर अवक्रमित पैच में रोपण के बजाय, सुलभ पथ मार्गों/वन पथों (नीली रेखाओं) के साथ पेड़ (हरे डॉट्स) लगाए गए थे। इससे एएनआर वृक्षारोपण को क्रियान्वित करने अर्थात अवक्रमित वन पैच में रोपण करके वन आवरण को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने का आशय विफल हो गया।

सरकार ने आश्वासन दिया कि उड़न दस्ता द्वारा वृक्षारोपण स्थलों के सत्यापन के बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

सागरपल्ली वृक्षारोपण का यूएवी छायाचित्र

https://cag.gov.in/en/audit-report/details/116569

प्रतिवेदन एक्सेस हेतु स्कैन करें (पृष्ठ 5–53)

हितधारक सहभागिता में सुधार

मजबूत और प्रभावी हितधारक सहभागिता एक सफल संगठन की आधारशिला है। प्रभावी सहभागिता हितधारकों की जरूरतों को संगठनात्मक लक्ष्यों में बदलने में मदद करता है और प्रभावी कार्यनीति विकास के लिए आधार बनाता है। सक्रिय हितधारक सहभागिता अनिश्चितता, असंतोष और विघटन सहित हितधारक समूहों के साथ संभावित जोखिमों और संघर्षों को कम कर सकता है और आगे बेहतर मूल्य संवर्धन प्रदान करने में मदद करता है।

इस भाग में हमारे हितधारकों की सहभागिता में सुधार लाने के लिए हमने कुछ पहलों का प्रदर्शन किया है।

नव परिवर्तन –चाहे घर या बाहर – आईडीएलआई के मामले में

लेखापरीक्षा के दौरान कुछ नवाचार किए जाते हैं और कुछ अन्य हमारे लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जाते हैं। हालांकि सुशासन की हमारी तलाश केवल अपने संगठन तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा मामला है, जहां हमारे एक अधिकारी ने, जो **दिल्ली विकास प्राधिकरण** के भूमि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे, एक आईटी आधारित भूमि निपटान प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास किया, जिसकी कोशिश कई बड़े नाम वाले विक्रेताओं द्वारा की गई थी, लेकिन व्यर्थ रही।

हमारी राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, एनएएए और हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र आईसीआईएसए से सीखे गए कौशल का उपयोग करके भूमि निपटान विभाग को कम्प्यूटरीकृत करना संभव था, जो बड़े पैमाने पर लोगों से सार्वजनिक व्यवहार कर रहे थे। वेब–आधारित समाधान 'आईडीएलआई प्रणाली' या 'भूमि सूचना प्रणाली का अंतःक्रियात्मक निपटान' नाम से विकसित किया था, जो वित्तीय संव्यवहार सहित जनता को रियलटाइम सेवाएं प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग 2018 में भूमि और दुकानों की मेगा ई–नीलामी आयोजित करने के लिए भी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप डीडीए में ् 15000 करोड़ का संव्यवहार हुआ। वर्तमान में, प्रणाली को स्थापित कर दिया गया है तथा इसे आईडीएलआई प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना नियोजित है।

इससे पारदर्शिता आई और दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि निपटान विभाग में भ्रष्टाचार को दूर किया गया। इस प्रणाली में मुख्य रूप से जनता के लिए ध्वनि सुरक्षा के साथ ई–कैप्चर, ई–म्यूटेशन, ई–रूपांतरण, ई–पुनः आवेदन, ई–ईओटी, ई–नियुक्ति, ई–पुर्नस्थापन आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूल थे, जहां बिचौलिए प्रणाली को भेदने के लिए किसी भी भ्रष्ट कर्मियों के साथ सांठगांठ नहीं कर सकते थे। अन्य विशेषताओं में शीर्ष प्रबंधन आदि के लिए विभिन्न रिपोर्ट को सृजित करने वाले मॉड्यूल शामिल हैं। सेवाओं को 2017 से मॉड्यूलर विधान में विकसित किया गया था, जिसमें भविष्य में और सुधार की गुंजाइश थी। इस शुरू से अंत तक वेब–आधारित एप्लीकेशन की सफलता से दिल्ली की व्यापार को सरलता की रैंकिंग को कई पायदान ऊपर कर दिया है।

यह पहल दिल्ली के नागरिकों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनसुनवाई के दौरान शुरू की गई थी, जिन्होंने दलालों, अधिकारियों और बड़े पैमाने पर प्रणाली के हाथों हुई अपनी पीड़ा का वर्णन किया था। इस प्रणाली ने जनता के सामने आने वाले सभी मुद्दों के साथ–साथ कार्यालय की आवश्यकताओं को भी संबोधित किया। पूरी प्रणाली निशुल्क की गई थी, अन्यथा खरीद अनुमानों के अनुसार ₹300 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया था। हमारे अधिकारी ने अनुरक्षण और उन्नयन की व्यवस्था भी की, जिसमें एक प्रोग्रामर और एक सलाहकार के साथ एक टीम को प्रशिक्षित किया गया जिन्हें उनके डीडीए से जाने के बाद नियुक्त किया गया। इस मापनीय और प्रतिकृति मॉडल का अब कई संगठनों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

नवाचार को एक विकास दर्शन द्वारा समर्थित किया गया था कि आवेदक अपने स्वयं के मामले की निगरानी करेंगे और उन्हें सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों के बजाय स्वामी बना देंगे। इस सशक्तिकरण ने सूचना विषमता को समाप्त कर दिया, जिसने पहले उन्हें दलालों और बिचौलियों की दया पर छोड़ दिया था। शून्य–त्रुटि अवधारणा इस तर्क में अंतर्निहित थी कि अपने बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जिसने यह सुनिश्चित किया कि संवेदनशील प्रलेखन में कोई त्रुटि नहीं थी और साथ ही डेटा एंट्री स्टाफ का काम भी कम किया था। आंतरिक रूप से अभिलेखों की वास्तविक जांच जीएनसीटी दिल्ली के डोरिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई थी।

सुशासन के लिए मिलकर काम करना

हमने हमेशा अपने ग्राहकों और हितधारकों के लिए चिंता के मुद्दों को संबोधित करके जोखिम और महत्व के क्षेत्रों को सक्रिय रूप से संबोधित करने में सक्षम बनाने के लिए एक लेखापरीक्षा दृष्टिकोण विकसित करना चाहा है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में 'लेखापरीक्षा दिवस' पर अपने संबोधन के दौरान इच्छा जताई थी कि लेखापरीक्षा हितधारकों तक पहुंच सकता है। इससे प्रेरणा लेते हुए **रेलवे विंग** ने तत्काल प्रभावी हितधारक परामर्श सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू की।

फरवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के शीर्ष स्तर के अधिकारियों और रेलवे लेखापरीक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक संवादात्मक बैठक के साथ प्रक्रिया शुरू हुई। इस संवादात्मक बैठक का उद्देश्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया में रेलवे प्रबंधन की भागीदारी को बढ़ावा देना था। बोर्ड के सदस्यों ने लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया में लेखापरीक्षित संस्थाओं को शामिल करने की पहल का स्वागत किया। इसके परिणामस्वरूप कुछ ठोस अनुवर्ती कार्रवाई हुई और कुछ परिणाम दिए गए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

संप्रति – परियोजना से संबंधित कार्यों और महत्व के लक्ष्यों की निगरानी पर स्थिति सतर्कता

त्रैमासिक रिपोर्ट के रूप में एक नया लेखापरीक्षा उत्पाद (संप्रति के रूप में नामित – निगरानी परियोजना से संबंधित कार्यों और महत्व के लक्ष्यों पर स्थिति सतर्कता) पेश किया गया था। इसे जोनल प्रमुखों के साथ–साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संबोधित किया गया। यह रिपोर्ट डेटा विश्लेषण, व्यय विश्लेषण और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पर आधारित थी। संप्रति में राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण परियोजनाओं/क्षेत्रों के दो से तीन विषय शामिल हैं।

लेखापरीक्षा चिंता के तीन मुद्दे हैं जिनकी जांच संप्रति के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाएगी:

- विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप डीजल इंजनों से संबंधित मुद्दे
- एमसीडीओ से प्राप्त विद्युतीकरण से संबंधित मुद्दे
- आईआरपीएम डेटा का डेटा विश्लेषण।

रेलवे लेखापरीक्षा विंग को लेखापरीक्षा में विलंब, सूचना और आईटी अनुप्रयोगों तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इन मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा विंग ने संवादात्मक बैठक के दौरान लेखापरीक्षा समीक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया। तदनुसार, मार्च 2022 में एक लेखापरीक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसमें रेलवे और सीएजी दोनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

लेखापरीक्षा समीक्षा समिति ने मई से जुलाई 2022 तक तीन बैठकें की हैं और लेखापरीक्षा के लिए बेहतर प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान की है। समिति ने संसद की लोक लेखा समिति को की गई कार्रवाई नोटों को तेजी से अंतिम रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डेटा और आईटी प्रणालियों तक लेखापरीक्षा पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं।

उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल सेवाएँ

I. जीईएमएस और स्पार्क के राज्य सरकार के पोर्टल के साथ एकीकरण

सेवा और पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिटरी ऑफ केरल (स्पार्क) सेवा और पेरोल प्रबंधन के लिए केरल सरकार का एक वेब आधारित जी2ई एकीकृत समाधान है जो एक ही आवेदन पर पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के पेरोल और वित्त संबंधी गतिविधियों को लाने का प्रयास करता है। केरल में महालेखाकार (ले. व हक.) का कार्यालय जीईएमएस आवेदन के माध्यम से राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के सेवा विवरण और वेतन विवरण रखता है। जीईएमएस आवेदन के माध्यम से एजी द्वारा सूचित वेतन पात्रता के आधार पर स्पार्क गोक (केरल सरकार) द्वारा पेरोल को संसाधित किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (ले.व हक.), केरल के कार्यालय ने केरल सरकार के समर्थन से एक मध्यवर्ती उत्पाद के माध्यम से जीईएमएस और स्पार्क अनुप्रयोगों को एकीकृत किया। इससे राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को शामिल करते हुए विभिन्न वेतन संशोधनों के लिए स्पार्क (राज्य मानव संसाधन) प्रणाली से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना संभव हो गया है। अनुरोध के आधार पर स्पार्क को राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में सशर्त अवकाश शेष राशि को अद्यतन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया था। राजपत्रित अधिकारी क्रेडिट पर छुट्टी की उपलब्धता के आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पार्क (राज्य मानव संसाधन) प्रणाली को उचित रूप से संशोधित किया गया है ताकि जब राजपत्रित अधिकारी ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन करें, तो आवेदन स्वचालित रूप से एजी सिस्टम के साथ एक अनुरोध साझा करेगा ताकि अधिकारियों की सशर्त छुट्टी शेष राशि का प्रग्रहण किया जा सके। यह व्यवस्था चार विभागों में लागू की गई है।

स्थानांतरण/पदोन्नति के लिए ऑनलाइन आदेश की राज्यव्यापी प्राप्ति की परियोजना भी हासिल कर ली गई है। इस ऑनलाइन प्रणाली में शिफ्ट होने से आवेदनों की हार्डकॉपी मिलने में होने वाले विलंब को समाप्त किया जा सकता है। पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आदेश और सीटीसी प्राप्त करने की प्रणाली प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार करेगी। इसके अलावा, इन मॉड्यूल के कार्यान्वयन ने पेपरलेस कार्यालय बनने के हमारे लक्ष्य में योगदान दिया है।

II. शिकायत निवारण पहल

बड़ी संख्या में आगंतुक अपनी शिकायतों के समाधान और अपनी पेंशन और जीपीएफ मामलों की स्थिति की जानकारी के लिए **महालेखाकार (ले व हक), हरियाणा** के कार्यालय पहुँचने लगे थे। इस 'आसान पहुँच' से कार्यालय में कठिनाइयाँ उभरनी शुरू हो गईं थीं और कर्मचारियों और अधिकारियों को भी परेशानी होने लगी थी। एक औपचारिक व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि आगंतुकों की चिंताओं को दूर किया जा सके। राज्य में पेंशनभोगियों और जीपीएफ अंशदाताओं की शिकायतों को भौतिक रूप से बातचीत और निवारण करने के उद्देश्य से कार्यालय परिसर में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को अप्रैल 2022 में कार्यात्मक बनाया गया था। प्रतिदिन लगभग 60 से 70 शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ का दौरा करते हैं और उनकी शिकायतों को नोट किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है।

प्रकोष्ठ का संचालन महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी करते हैं जिनके पास पेंशन और जीपीएफ डेटाबेस और अनुप्रयोगों तक पहुंच है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का उद्देश्य केंद्र पर आने वाले लोगों की शिकायतों को कम करना और उन्हें मौके पर ही समाधान/सूचना प्रदान करना है। कतिपय मामलों में, नई शिकायतें भी प्राप्त होती हैं और आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ई–समाधान को अग्रेषित कर दी जाती हैं।

इसके अलावा, अप्रैल 2022 में एक टेली–हेल्पलाइन केंद्र को चालू किया गया था। हरियाणा राज्य भर के विभिन्न हितधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए 05 टेलीफोन लाइनों के साथ टेली–हेल्पलाइन सेल की स्थापना की गई है। इस सुविधा में कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से ट्रेजरी अधिकारियों, डीडीओ आदि जैसे अन्य हितधारकों के साथ भी इंटरफेस है ताकि कॉलर के मुद्दे को जल्दी से संवाद और हल किया जा सके। यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है और प्रतिदिन लगभग

200–250 कॉल प्राप्त हो रही हैं। इस सुविधा को लोक शिकायत प्रकोष्ठ और ई–समाधान के अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया था। राज्य सरकार ने टेली–सेंटर के प्रचालनों के वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है।

कोविड के दौरान शिकायतों के निवारण में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, एक सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पेंशनभोगी/जीपीएफ ग्राहक और अन्य हितधारक एजी कार्यालय तक पहुंच सकते हैं और टेलीफोन पर अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

टेली–हेल्पलाइन कैसे काम करती है:

- फोन करने वाला टेली–हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है। कॉल का जवाब केंद्र में दिया जाता है और आधिकारिक कॉलर की शिकायत की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है।
- प्रत्येक मशीन पर एक पूर्व–डिजाइन किया गया गुगल फॉर्म प्रदान किया जाता है जिसे ऑपरेटर भरता है और भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजता है।
- यदि, इस कार्यालय के अंत में समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो इसे निपटान माना जाता है।
- यदि इसमें ट्रेजरी ऑफिसर और डीडीओ जैसे अन्य हितधारक शामिल हैं, तो संबंधित पक्षों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की व्यवस्था की जाती है।
- उपरोक्त दोनों मामलों में, यदि समाधान प्रदान नहीं किया जाता है, तो कॉलर को एक अद्वितीय नंबर दिया जाता है जिसका उपयोग बाद में कॉलर द्वारा शिकायत पर अपडेट लेने के लिए किया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगी को शारीरिक यात्रा की परेशानी को बचाने में मदद मिलती है, खासकर महामारी के दौरान।

इस पहल से पेंशनभोगियों तक एजी (ए एंड ई), हरियाणा के कार्यालय की अधिक पहुंच संभव हुई है।

ई–समाधान

हरियाणा राज्य में लगभग 3 लाख पेंशनभोगी और 1.09 लाख जीपीएफ ग्राहक हैं। पात्रता समारोह के लिए एजी कार्यालय को संलग्न करने और हरियाणा राज्य में राज्य सरकार और जनता के साथ एक इंटरफेस करने की आवश्यकता होती है। इन कार्यों की गंभीरता और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय ने ई–समाधान को लागू करके इस जुड़ाव को प्रभावी बनाने का प्रयास किया है।

ई–समाधान **महालेखाकार (ए एंड ई), हरियाणा** के हकदारी कार्य से संबंधित शिकायतों को प्रस्तुत करने और निवारण के लिए एक वेब–आधारित आवेदन है। प्रदेश में पेंशनर और फंड सब्सक्राइबर्स के विशाल आधार के कारण कार्यालय में प्राप्त शिकायतों की संख्या बहुत अधिक थी। शिकायतें कार्यालय में कागजी प्रतियों में प्राप्त हुईं और मैन्युअल रूप से हल की गईं। मैनुअल प्रतिक्रिया अत्यधिक विलंब, अवैज्ञानिक और भारी भंडारण और दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति में समस्याओं जैसे मुद्दों से भरी हुई थी। ई–समाधान की परिकल्पना शिकायतों के समाधान के एक तेज और गतिशील तरीके के रूप में की गई थी जो मुख्य रूप से इस कार्यालय के पात्रता कार्यों से उत्पन्न होती है। प्रारंभ में एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओजीएमएस) के रूप में विकसित, यह अब न केवल पेंशन और धन से संबंधित कार्यों से संबंधित शिकायतों को संभालने का एक प्राथमिक और सुविधाजनक साधन बन गया है, बल्कि राज्य सरकार के विभागों, डीडीओ और पेंशनभोगियों के साथ–साथ जीपीएफ ग्राहकों और अन्य हितधारकों के साथ ऋण और अग्रिम और अन्य सामान्य संचार के लिए भी है।

ई–समाधान में,

- उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर को यूजरनेम के रूप में उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।
- शिकायत ऑनलाइन जमा की जा सकती है।
- ऑडियो के रूप में शिकायत प्रस्तुत करने का विकल्प भी है।
- एक अद्वितीय ओजीएमएस नं भविष्य में अनुरोध प्रगति पर नजर रखने के लिए उत्पन्न होता है।
- शिकायतों का आबंटन नियमों के आधार पर संबंधित अनुभागध्अधिकारियों को स्वतः ही कर दिया जाता है।
- शिकायत के समाधान में प्रगति के बारे में व्यक्ति को अद्यतन करने के लिए पोर्टल में शिकायत के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में एसएमएस भेजने का भी प्रावधान है।
- यह प्रणाली उन शिकायतों का भी ध्यान रखती है जो भौतिक स्वरूप में प्राप्त होती हैं। उन्हें ई–समाधान सेल के अधिकारियों द्वारा ई–समाधान में स्कैन और अपलोड किया जाता है। इस मामले में समाधान की प्रक्रिया ऑनलाइन शिकायतों के समान ही है।

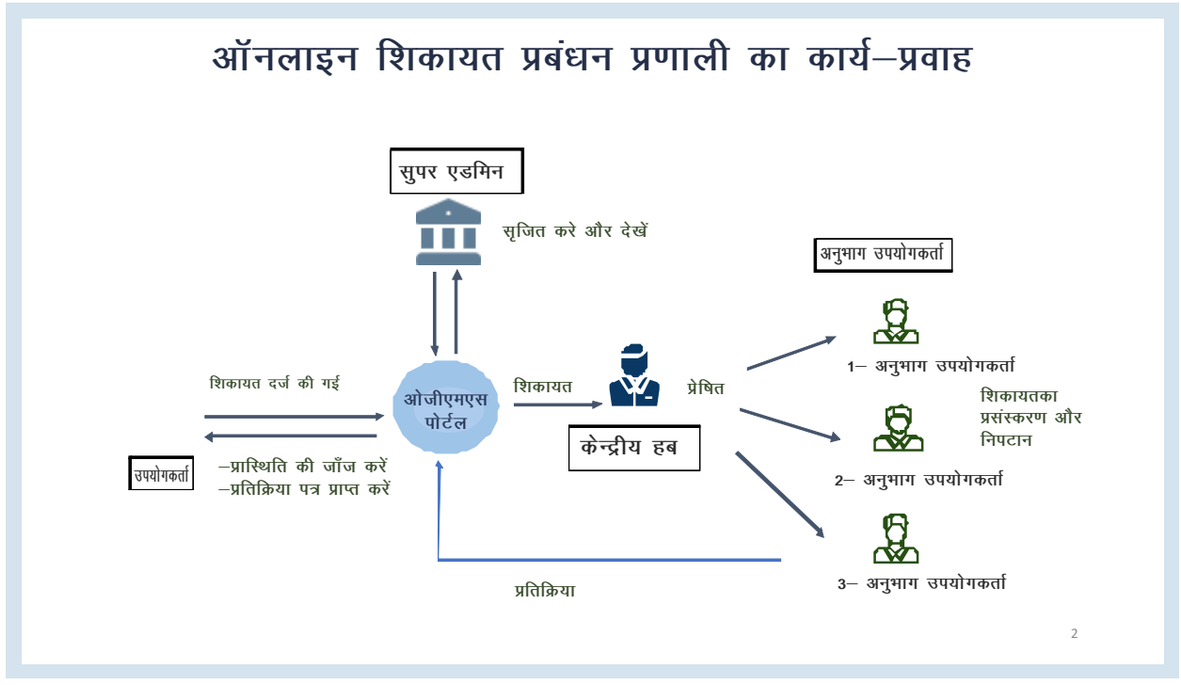

- शिकायतों की वास्तविक समय ट्रैकिंग सक्षम है।

ई–समाधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

ए
शिकायत के निपटान तक विभिन्न चरणों में एसएमएस अलर्ट।

बी
कुशल एमआईएस रिपोर्टिंग प्रणाली, जो लागत प्रभावी, समय की बचत और पारदर्शी है

सी
रीयलटाइम शिकायत स्थिति ट्रैकिंग

डी
प्रतिक्रिया पत्र प्रिंटआउट के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

इ
शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कई प्रारूपों के साथ अत्यधिक संगठित डेटा

ई–समाधान का प्रभावः

क. शिकायतों का उत्तर देने और उनका समाधान करने के लिए बहु–उपयोगकर्ता सुविधा प्रदान की गई।

ख. अब तक 90% शिकायतों का निपटान

ग. प्रतिवर्तन समय को 1 दिन (आदर्श परिदृश्य में) तक कम कर दिया गया।

घ. दिनांक/स्थितिवार रिपोर्ट प्राधिकृत की जा सकती है।

ङ. शिकायतों की वैधता की जांच की जा सकती है।

III. वेब आधारित शिकायत निवारण मॉड्यूल

प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) पश्चिम बंगाल के कार्यालय ने एक वेब आधारित शिकायत निवारण मॉड्यूल की संकल्पना, डिजाइन, विकास और संचालन किया, जिसने शिकायतों के प्रस्संस्करण और समयसीमा की निगरानी को प्रभावी बनाया, जिससे शिकायत समाधान के लिए प्रतिवर्तन समय में सुधार करने में मदद मिली।

महालेखाकार कार्यालय में शिकायत पहचान और पंजीकरण प्रणालियों के कई बिंदु थे और उनमें से प्रत्येक का अपना प्रोटोकॉल और मान्यता, निवारण, रिपोर्टिंग का अपना तंत्र था। इससे समस्याएं पैदा हुईं, जहां कभी–कभी कुछ शिकायतों को प्राथमिकता दी जाती थी, जैसे कि आरटीआई आवेदन और अन्य पर कम सख्ती से कार्रवाई की जा रही थी। इसके अलावा, उच्च अधिकारियों के पास शिकायतों की समयसीमा और लंबित मामलों की निगरानी के लिए प्रासंगिक एकीकृत डेटा नहीं था। इसलिए कोविड के व्यवधान और शिकायतों को तेजी से और उचित तरीके से संसाधित करने के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता में वृद्धि को देखते हुए एक वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई।

इसलिए, विभिन्न प्रकार की शिकायतों के प्रवाह का विश्लेषण और मानचित्रण करने के बाद एक आईटी समाधान विकसित करना आवश्यक समझा गया । मौजूदा प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया गया और 4आर (रिकागनिशन, रिड्रेसल, रिपोर्टिंग, रेमेडी) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्भियांत्रिकी किया गया। इस कार्यालय के विभिन्न विंगों को क्रियाशील रखा गया था।

परिणाम और प्रभाव

	पुरानी प्रणाली	नवीन प्रणाली (माडयुल) का प्रभाव
स्वीकरण	• शिकायतों की प्राप्ति के कई बिन्दू, इसलिए शिकायत की मात्रा के बरे में जागरूकता का कोई एकीकरण नहीं है।	• फीडबैक और शिकायतों के लिए एकल प्रवृत्ति तथा रिर्पोटिंग के एकीकृत मंच
स्वीकरण	• शिकायतों की समय सीमा तथा फीडबैक उचित रूप से पालन नहीं किया गया था क्योंकि फाईल में संसाधित किया गया था।	• समय–सीमा के मानदंड जो पहले मौजूद नहीं थे, बनाए गये और उनका पालन करने में सक्षम बनाया गया (विवरण ग्राफ में दिया गया है)
रिर्पोटिंग	• बकाया शिकायतों का कोई रजिस्टर नहीं है और डीएजी को जानकारी देने के लिए अथवा डीएजी और पीएजी द्वारा निगरानी की कोई पद्धति नहीं है	• जब भी किसी शिकायत का निपटान किया जाता है तो डीएजी के लिए वास्तविक समय के आधार पर निगरानी और अद्यतित डैशबोर्ड
निवारण	• अनुभाग, समन्वय, प्रेषण के मध्य एकाधिक संचलन	• प्रत्यक्ष अनुभागयी निवारण, बिना अनावरक फाईल संचलन के

पहले के ऑफलाइन दृष्टान्तों और ऑनलाइन मॉड्यूल तंत्र के बीच लगने वाले समय में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वेबसाइट के फीडबैक खंड में प्राप्त टिप्पणियां उस गतिशीलता को दर्शाती हैं जिसके साथ इस कार्यालय द्वारा शिकायतों को संबोधित किया जाता है। वेबसाइट में प्राप्त एक महीने (मार्च 2022) के लिए ग्राफ "फीडबैक प्रतिक्रियाओं" का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

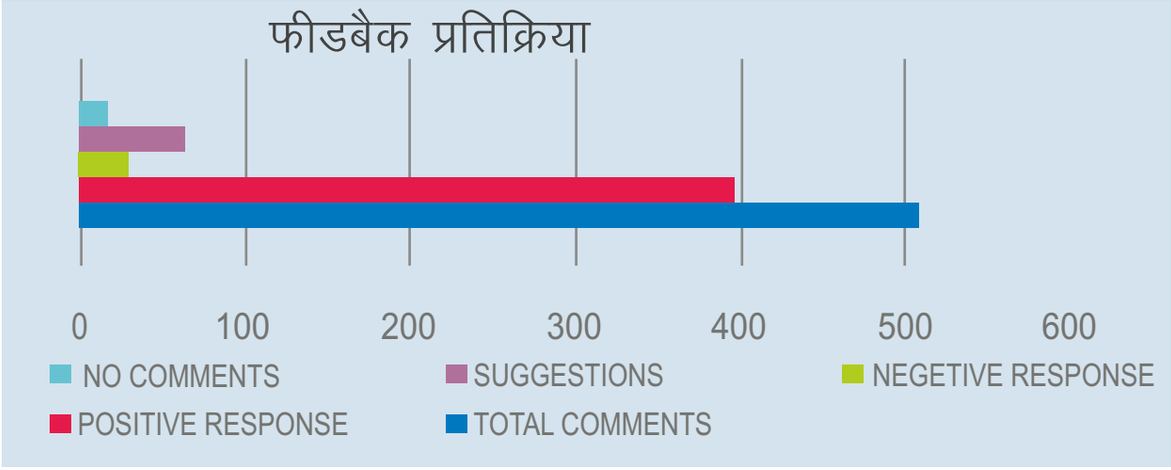

IV. पेंशन और जीपीएफ संवाद

महालेखाकार (ले. एवं हक) के अधिकतर कार्यालय सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखा का प्रबंधन करते है और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन को अधिकृत करते है। इन सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए परेशानी मुक्त शिकायत निवारण तंत्र होना महत्वपूर्ण है। **प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक–I) महाराष्ट्र के कार्यालय** ने प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न शिकायत निवारण तंत्र शुरू किए।

पेंशन / जीपीएफ संवाद

पेंशन और जीपीएफ संवाद का उद्देश्य पेंशनभोगियों को 'घर पर पेंशन सेवा' प्रदान करना है। पेंशनभोगी इन साप्ताहिक पेंशन संवाद अंतर्क्रिया के लिए कार्यालय की वेबसाइट / ईमेल या टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन या वॉयसमेल में नंबर के माध्यम से पंजीकरण करते है। कार्यालय का सुधार और नवाचार प्रकोष्ठ पेंशनभोगी की पसंद के आधार पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल / जूम / फोन कॉल के माध्यम से इन साप्ताहिक पेंशन संवाद अंतर्क्रिया का आयोजन करता है। जहां भी आवश्यक हो, सहायता के लिए कोषागार अधिकारियों और आहरण व संवितरण अधिकारी को बुलाया जाता है। ऑनलाइन पेंशन / जीपीएफ अभिदाता संवाद हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट लिंक https://cag.gov.in/ae/mumbai/en. पर उपलब्ध है।

एक वॉयसमेल सेवा भी शुरू की गई है– जिसका उपयोग करके पेंशनभोगी वॉयस रिकॉर्डिंग (वॉयस मेल नंबर– 020–71177775) के माध्यम से पेंशन संवाद 24 / 7 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पेंशनभोगियों को 2 कार्य दिवसों के भीतर कार्यालय से फोन किया जाता है और उनके मुद्दों को समाधान के लिए लिया जाता है। एक टोल फ्री नंबर सेवा भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से पेंशनभोगी (टोल फ्री नंबर 1800–22– 0014) / जीपीएफ ग्राहक पेंशन संवाद के लिए पंजीकरण करने के लिए 1800–22–0014 पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी सहायता सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

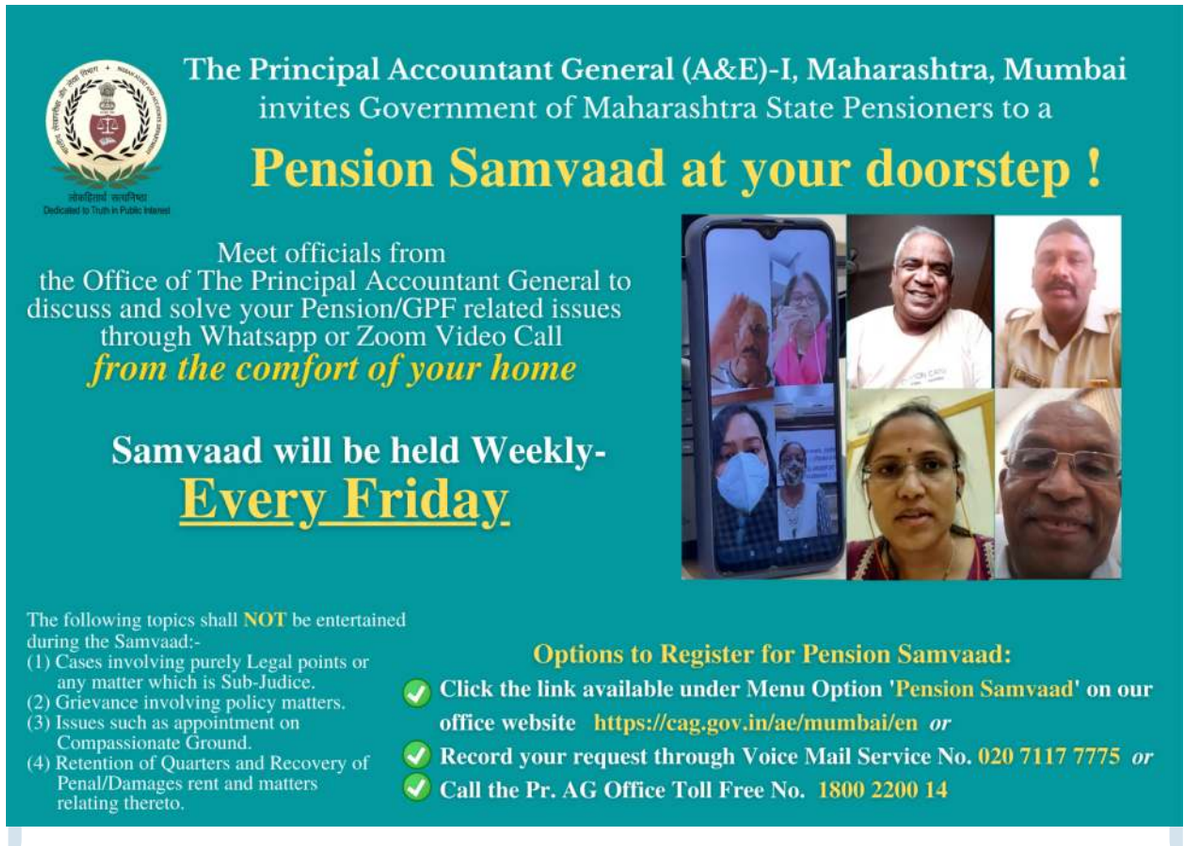

पेंशन / जीपीएफ सेवा पत्र

कार्यालय की वेबसाइट https://cag.gov.in/ae/mumbai/en/ae-शिकायत–सुझाव पर एक ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स पेंशनभोगियों को अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय बिना अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

ऑनलाइन हेल्पडेस्क

एक ऑनलाइन हेल्पडेस्क helpdesk.mh1.ae@cag.gov.in जो 24 / 7 परिचालित है को तैयार किया गया है जिसके तहत डीडीओ, कोषागार अधिकारी, पेंशनभोगी और जीपीएफ अभिदाता कार्यालय को लिखकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं।

राज्य सरकार के डीडीओ के लिए कार्यशालाओं और पेंशनभोगियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए लघु वीडियो के प्रसार के साथ उपरोक्त प्रयासों ने कार्यालय की सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता की है और सभी ने इसकी सराहना की है।

दूरदर्शन सह्यादि (एक क्षेत्रीय मराठी चौनल) ने डिजिटल पहल 'पेंशन संवाद' पर 17.09.2022 को एक रिपोर्ट / फिल्म प्रसारित की थी। इस सुविधा के लिए लिंक (अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ) नीचे दिया गया है।

https://drive.google.com/file/d/1jcsZpGCMDh9Qr5oNDnA4Y5-EJLJCLOiH/view?usp=drivesdk

क्षमता निर्माण हेतु पहल

क्षमता निर्माण कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोण, प्रेरणा और कार्य में दक्षता प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक क्षमता में सुधार करने हेतु एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्षमता निर्माण संगठनात्मक निष्पादन को प्रभावित करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक ज्ञान–आधारित संगठन है, और यह आवश्यक है कि कर्मचारियों का कौशल–विकास निरंतर होता रहे।

इस भाग में हम क्षमता निर्माण को संबोधित करने हेतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई पहलों को प्रदर्शित करेंगे।

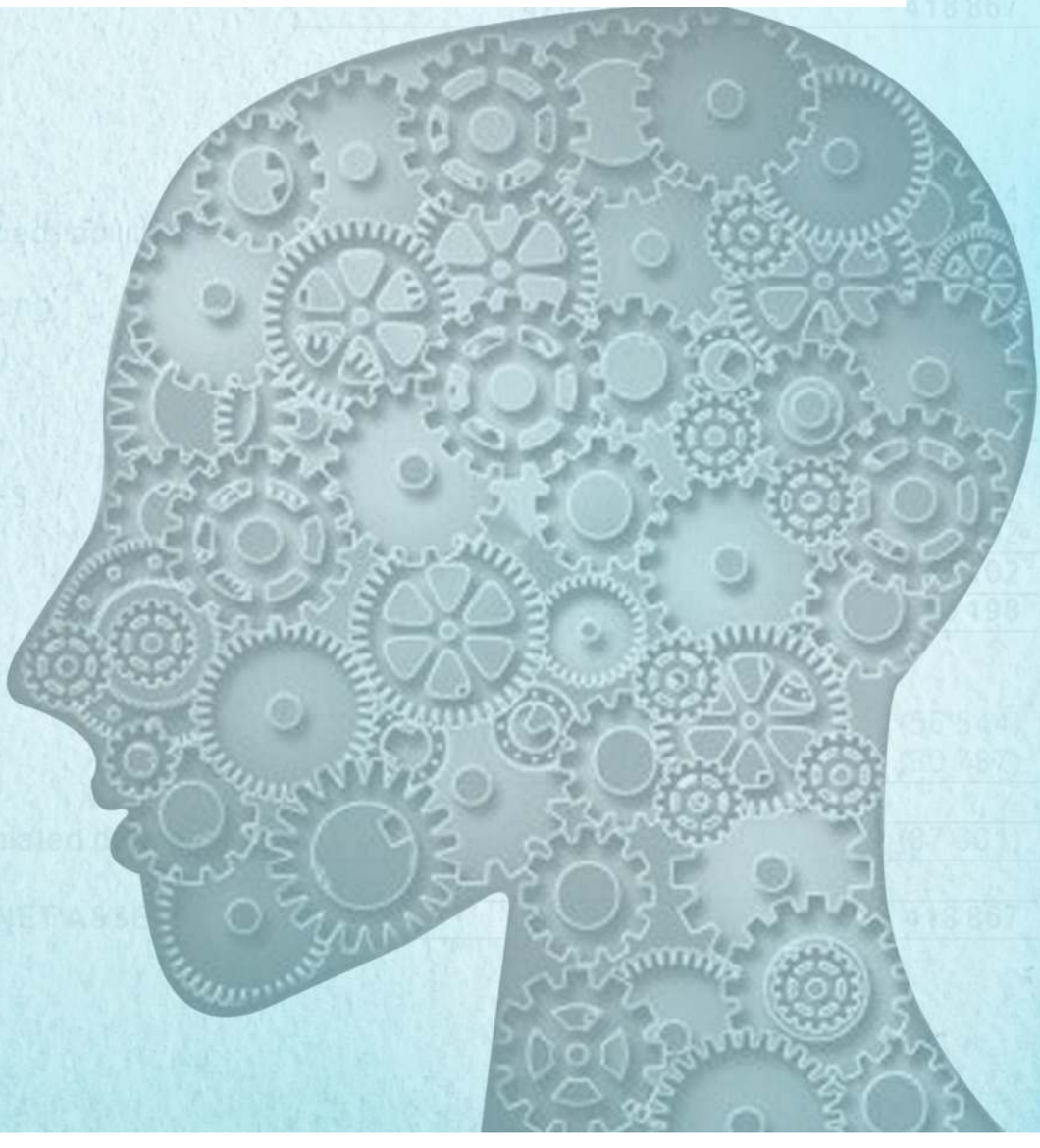

''लेखापरीक्षक, अपने आप को प्रशिक्षित करें!''– शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और शिक्षण माध्यम के रूप में थिएटर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भविष्य के लिए तैयार कौशल से सुसज्जित दक्ष लेखापरीक्षकों का एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे है। सही कौशल की पहचान करने के लिए **मुख्यालय के आंतरिक प्रशिक्षण विभाग** ने प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से आईटी प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) कर 35,000 से अधिक कर्मचारियों को समाहित किया, जो सीएजी संस्था में किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है।

हाल के वर्षों में, शिक्षण "स्व–निर्धारित शिक्षण" दृष्टिकोण में बदल गया है, जहां शिक्षार्थी यह निर्धारित करता है कि उसके लिए क्या प्रासंगिक है, और प्रशिक्षक केवल प्रशिक्षु को सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल शिक्षण पद्धतियां स्वायत्तता और शिक्षार्थी–केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। प्रशिक्षण विंग ने संगठन में प्रसार के लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर–प्वाइंट, ईमेल, ई–ऑफिस, सरकार की आईटी एप्लीकेशन जैसे कि पीएफएमएस, बीईएमएस और स्पैरो पर सेल्फ–लर्निंग वीडियो (एसएलवी) विकसित किए थे। इस दर्शन के साथ अनुरूप, "कभी भी, कहीं भी और किसी भी मंच पर" शिक्षण को सक्षम करने के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई थी। एलएमएस को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बेहतर ढंग से काम करने के साथ–साथ विषय वस्तु को छोटे बिट्स में भी तोड़ दिया गया था जिसका प्रतिभागियों द्वारा आसानी से उपभोग किया जा सकता है।

एलएमएस प्रणाली पाठ्यक्रमों के रूप में डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम को कई मॉड्यूल में विभाजित किया गया है, साथ ही कई उप–मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। प्रमाणित होने से पहले प्रतिभागियों से एलएमएस में एक अंतिम पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। एलएमएस पोर्टल कर्मचारियों को अपने घर या कहीं और से अपनी प्रगति और समय पर अपनी पसंद के विषयों में प्रशिक्षण के लिए आसान सुविधा प्रदान करता है। कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों के विषयों की प्रस्तुति की जाएगी जिससे वे प्रासंगिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं। पर्यवेक्षी अधिकारी भी वास्तविक समय के आधार पर अपने कर्मचारियों की प्रगति का पता लगाने में सक्षम होंगे।

एलएमएस के साई प्रशिक्षण पोर्टल के साथ एकीकरण से पूरी संस्था में क्षमता निर्माण की इसकी समग्र प्रभावशीलता में और सुधार होगा।

सामग्री विकास

हालांकि यह कहा जाता है कि "साधन ही साधक है", कोई भी एलएमएस उचित सामग्री और नवीन पद्धतियों के बिना कार्य नहीं करती है। सामग्री के मामले में, हम ऐसा कार्य करते हैं जो विशिष्ट है और हमारे देश के अंदर इसका कोई समकक्ष नहीं हैं। इसलिए, हमें संस्थानिक प्रतिभा का उपयोग करके हमारी अधिकांश सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है।

सामग्री विकसित करने की इस पहल के एक भाग के रूप में, मुख्यालय में प्रशिक्षण विंग ने **क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई** से नवंबर 2021 में एसएलएम ऑडियो–विजुअल प्रारूप के रूप में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और एकीकृत बजट और व्यय प्रबंधन प्रणाली (आईबीईएमएस) पर सेल्फ–लर्निंग मॉड्यूल (एसएलएम) को विकसित करने के लिए कहा।

एसएलएम तैयार करने के लिए आईटी ज्ञान के साथ–साथ पीएफएमएस और आईबीईएमएस के कार्य संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तदनुसार, संकाय सदस्यों (आईएस) ने प्रशासन कार्यों के डोमेन ज्ञान वाले कार्मिकों के साथ कार्य किया और छह भागों में लगभग पांच घंटे की अवधि का एसएलएम तैयार किया।

कहना सरल है और करना कठिन, मॉड्यूल तैयार करने के लिए न केवल तकनीकी विशेषज्ञता और कार्य संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि अत्यधिक धैर्य, वॉयस मॉड्यूलेशन पर नियंत्रण, ऑडियो और विजुअल के बीच समन्वय और बहुत सारे संपादन कौशल की भी आवश्यकता होती है।

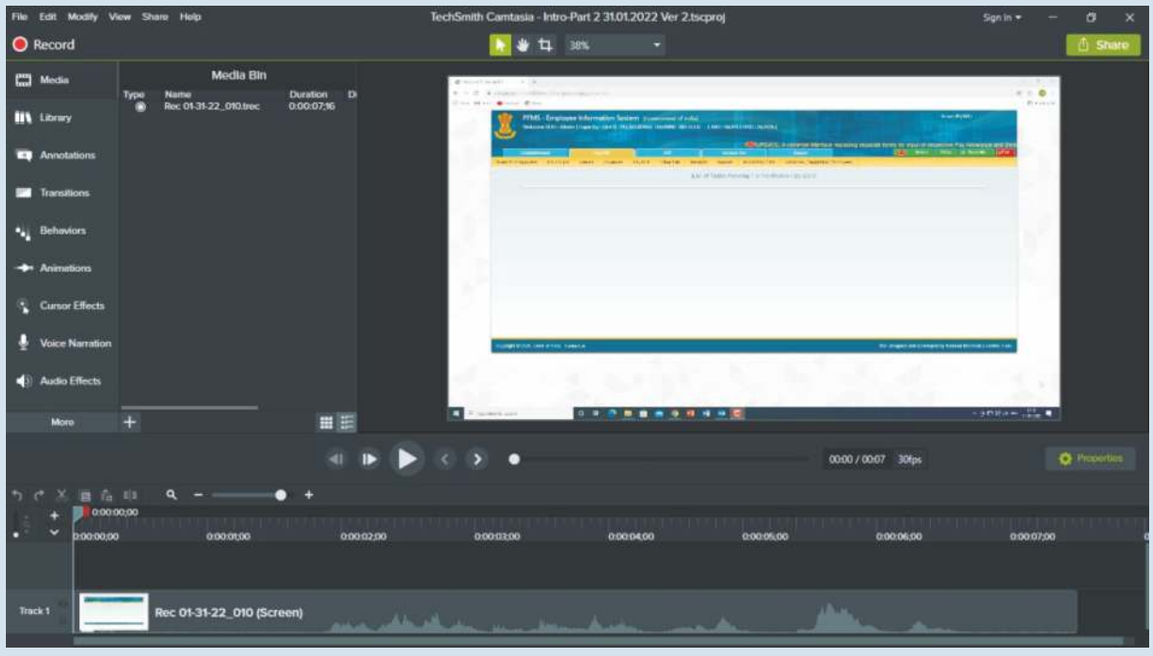

एक रिकॉर्डिंग–सह–संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था जो वॉयस और स्क्रीन को एक साथ रिकॉर्ड कर सकता था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद, क्षेत्र के विशेषज्ञों को रिकॉर्डिंग को ठीक करने, वॉयस मॉड्यूलेशन में सुधार करने, वॉयस और स्क्रीन टाइमिंग को एकीकृत करने, कर्सर की गतिविधि को रेखांकित करने के लिए इसे दर्शकों के अनुकूल बनाने और कुछ विशेष प्रभावों को भी शामिल करने के कार्य में लगाया गया था।

थियेटर का शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयोग

हमारे कार्यालय संदेश को प्रसारित करने के लिए लगातार नवीनता लाते हैं और नई प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करते है। कक्षा सत्रों की एकरसता को तोड़ने और एक विश्वासप्रद और दिलचस्प तरीके से सॉफ्ट स्किल पर संदेश प्रसारित करने के लिए, हमने संस्थानिक प्रतिभा का उपयोग करके लघु नाटकों के निर्माण की यात्रा शुरू की।

इन लघु नाटकों को एक पेडोलॉजिकल टूल के रूप में कक्षा परिवेश में दिखाने के लिए प्रशिक्षण टूल के रूप में अभिप्रेत किया जाता है। संदेश को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने हेतु इन्हें लघु विरामों के दौरान भी दिखाया जा सकता है, या प्रशिक्षण के शुरुआती सत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

एक अग्रणी उद्यम के रूप में, **आरटीआई चेन्नई** ने 'समय की पाबंदी' पर एक लघु नाटक का निर्माण किया। यह एक संपूर्ण संस्थानिक निर्माण है जिसमें सभी भूमिकाएं हमारे कर्मचारी निभा रहे हैं। यह लघु नाटक विभिन्न पाठ्यक्रमों में 'व्यक्तिगत और व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिता' पर सत्रों के दौरान दिखायी गई। इस नाटक को लक्षित दर्शकों ने खूब सराहा। तमिल भाषा के लघु नाटक को अंग्रेजी उप–शीर्षकों के साथ सीएजी संस्था के अन्य कार्यालयों के बीच प्रसार के लिए मुख्यालय को अग्रेषित किया गया है।

समंक विश्लेषिकी कार्यों पर सीडीएमए समर्थन वीडियो (सीएसवी)

परिचय

डेटा प्रबंधन और एनालिटिक्स के लिए केंद्र (सीडीएमए) विभिन्न भारतीय और राज्य लेखापरीक्षित डेटासेट पर डेटा एनालिटिक्स के संचालन में शामिल रहा है। इस तरह के डेटा एनालिटिक्स के दौरान, विभिन्न डेटा एनालिटिक्स टूल (ओपन सोर्स और प्रोपराइटरी दोनों) जैसे टेबलो, पायथन, आर, केएनआईएमई, एक्सेल, एसक्यूएल आदि का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक टूल के अपने फायदे और नुकसान हैं। विभिन्न डेटा एनालिटिक्स परियोजनाओं के दौरान, सीडीएमए ने पाया कि कुछ टूल लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए विशिष्ट डेटा एनालिटिक्स कार्यों के लिए अधिक अनुकूल हैं। इसलिए लेखापरीक्षा कार्यों की एक सांकेतिक सूची संकलित करने की आवश्यकता थी जिससे विशिष्ट टूलों का उपयोग करके निष्पादित किया जा सकता है। विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यों के लिए सुझाए गए चयनित टूलों को उपयोगकर्ताओं को समझाया जाना चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीडीएमए सीएसवी–सीडीएमए सपोर्ट वीडियो नामक एक ज्ञान साझाकरण पहल के साथ उभरा है जिसमें लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों पर अल्पकालिक वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि अधिकारी डेटा विश्लेषण में अपने कौशल को सुधार सकें।

ऑनलाइन उपलब्ध डेटा विश्लेषण वीडियो आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और ट्यूटोरियल/उदाहरण बिक्री डेटा पर आधारित होते हैं और एक विशेष उपकरण/तकनीक तक सीमित होते हैं। साई इंडिया सरकारी डेटा सेटों से संबंधित है, जिन्हें हम प्रत्ययी क्षमता में संभालते हैं और ये अन्य डेटा साझाकरण प्लेटफार्मों पर उपलब्ध डेटासेट से गुणवत्ता और सामग्री दोनों में काफी अलग हैं।

सीएसवी पहल के तहत, सीडीएमए आमतौर पर सीएजी संस्था में उपयोग किए जाने वाले एनालिटिक्स टूल का उपयोग करके लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक विशिष्ट प्रश्नों को संबोधित करने के लिए वीडियो बना रहा है। हम निरंतर आधार पर अग्रिम विश्लेषिकी पर अधिक से अधिक वीडियो जोड़ेंगे।

कार्य क्षेत्र और लक्षित दर्शक

सीएसवी वीडियो पहल अंततः लेखापरीक्षित डेटासेट को विशिष्ट टूल का उपयोग करके विभिन्न लेखापरीक्षा एनालिटिक्स कार्यों के लिए सभी बुनियादी और उन्नत चरणों को शामिल करेगी। हम विभिन्न टूलों जैसे कि टेबलों, केएनआईएमई, एक्सेल, एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, पायथन, आर, आइडिया, आर्क जीआईएस, आदि का उपयोग करके अधिकांश लेखापरीक्षा एनालिटिक्स कार्यों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। वीडियो में शामिल किए गए कुछ कार्य इस प्रकार हैं:

- डेटा सेट जोड़ना/मर्ज करना,
- एकत्रीकरण या संक्षप्तीकरण,
- डुप्लिकेट लाभार्थी, नमूनाकरण विधियां,

- डेटा प्रोफाइलिंग के लिए सामान्य सांख्यिकी,
- हीट मैप्स विकसित करना,
- टेबलो सर्वर तक कैसे पहुंचें,
- डेटा तैयारी–वित्तीय वर्ष,
- डेटासेट को जोड़ना,
- डेटा क्लीनिंग–डेटा फील्ड को मान्य करना,
- स्थान के लिए आईपी एड्रेस,
- डेटाबेस तक पहुँच,
- वीपीएन – उपयोग और अनुप्रयोग,
- फुजी मैचिंग का उपयोग,
- जिओ–फेंसिंग एनाल्यसिस

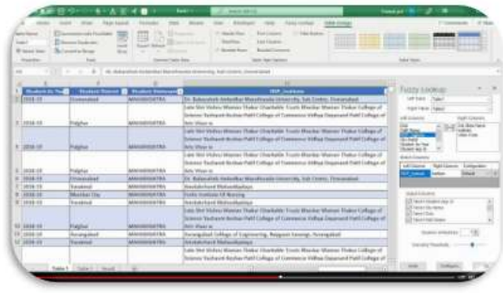

स्थायित्व

वीडियो एक विशिष्ट लेखापरीक्षा पूछताछ के लिए विभिन्न टूलों के उपयोग को दिखाते हुए स्वव्याख्यात्मक हैं जिन्हें विभिन्न चरणों का पालन करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो सीडीएमए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध होगी। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के समर्थन के साथ, सीडीएमए का उद्देश्य शिक्षण वीडियो यूनिवर्स को बढ़ाना है ताकि प्रत्येक आईएएडी अधिकारी आवश्यकतानुसार प्रासंगिक वीडियो का उल्लेख करके डेटा एनालिटिक्स से संबंधित लेखापरीक्षा कार्यों को निष्पादित या पूरा करने में सक्षम हो।

वीडियो के स्क्रीन शॉट के नमूने

आईडीईए में डेटा सेट जोड़ना

केएनआईएमई में सांख्यिकी उत्पन्न करना

टेबलो का उपयोग कर हीट मैप

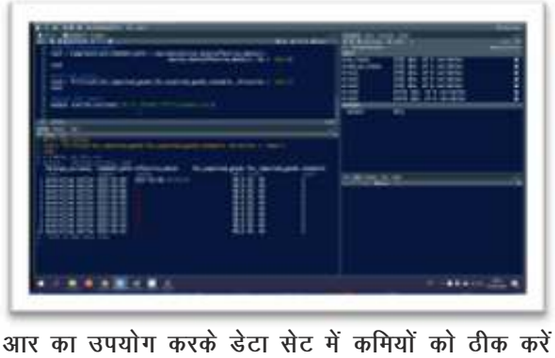

आर का उपयोग करके डेटा सेट में कमियों को ठीक करें

स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के लिए क्षमता निर्माण

संविधान में 73वें और 74वें संशोधन और राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों ने स्थानीय निकायों (एलवी) को सशक्त बनाया और इन निकायों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को प्रत्यायोजित किया। स्थानीय निकायों (एलबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा राज्य सरकार के स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों (एलएफए) द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इन लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) प्रदान करने के लिए अधिदेशित किये गये है।

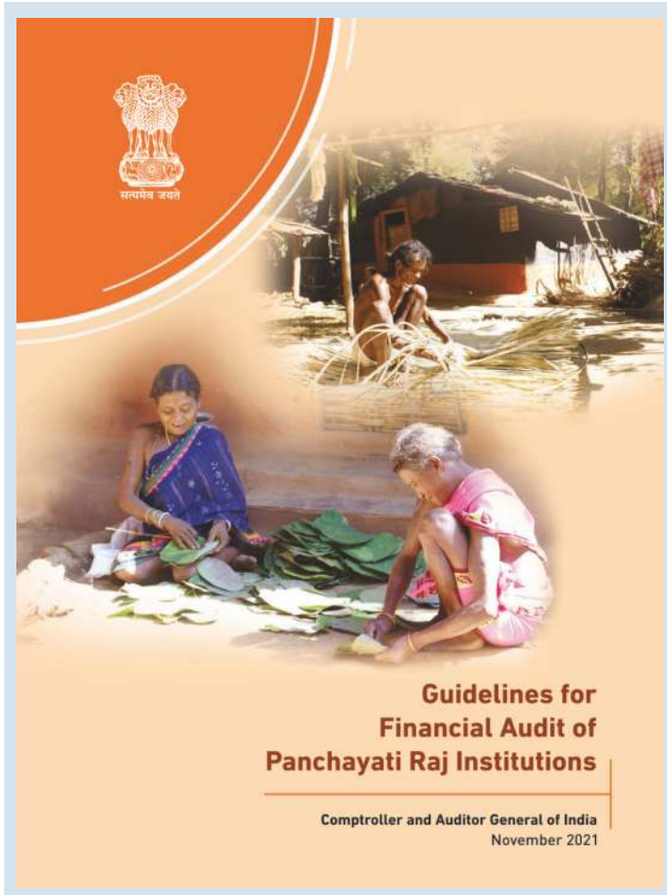

स्थानीय निकायों को निधियों के बढ़े हुए आबंटन से स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा और लेखाओं के उचित प्रबंधन की महत्ता में वृद्धि हुई है। सीएजी ने लेखांकन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों की लेखा और लेखापरीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए नवंबर 2020 में एक कार्य बल का गठन किया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (सितंबर 2021) द्वारा इसकी सिफारिशों पर चर्चा की गई थी। इसका समापन 'स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के माध्यम से सुशासन को बढ़ाने' पर एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा से हुई, जिसकी अध्यक्षता नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने की थी। इन प्रयासों से उभरे मुख्य मुद्दे स्थानीय निकायों में एलएफए और लेखा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। संबंधित डोमेन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को जिला–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए और स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कवरेज को बढ़ाकर और अतिरिक्त संसाधनों को तैनात करके फिर से केंद्रित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2020–21 में लेखापरीक्षा कवरेज में लगभग 125% की वृद्धि हुई।

एलएफए के समक्ष आने वाली चुनौतियों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए एलएफए साथ व्यापक विचार–विमर्श किया गया। एलएफए की भूमिका को सुदृढ़ करने और विधानमंडल द्वारा चर्चा की प्रणाली में सुधार आदि के लिए भी विभिन्न पहल की गईं। क्षमता निर्माण प्रयास वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडरों के साथ सुदृढ़ किए गए हैं जिनको राज्य महालेखाकार कार्यालयों द्वारा एलएफए के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है।

इन लेखापरीक्षाओं को प्रभावी बनाने के लिए पीआरआई की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए नए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे जिसमें लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरोत्तर मार्गदर्शिका शामिल है, ताकि इस बात पर टिप्पणी की जा सके

कि लेखा किस हद तक "सही और निष्पक्ष" दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अधिनियम में विभिन्न कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने और तकनीकी सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों से लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए एक विधायी समिति नामित करने का अनुरोध किया गया है। शहरी एलबी के लिए 74वें संशोधन के कार्यान्वयन की समीक्षा शुरू कर दी गई है और संबंधित प्रतिवेदन राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन' की निष्पादन समीक्षा से उत्पन्न सामान्य/प्रासंगिक मुद्दों का समेकन तैयार किया जा रहा है।

ये सभी प्रयास स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की क्षमता बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे।

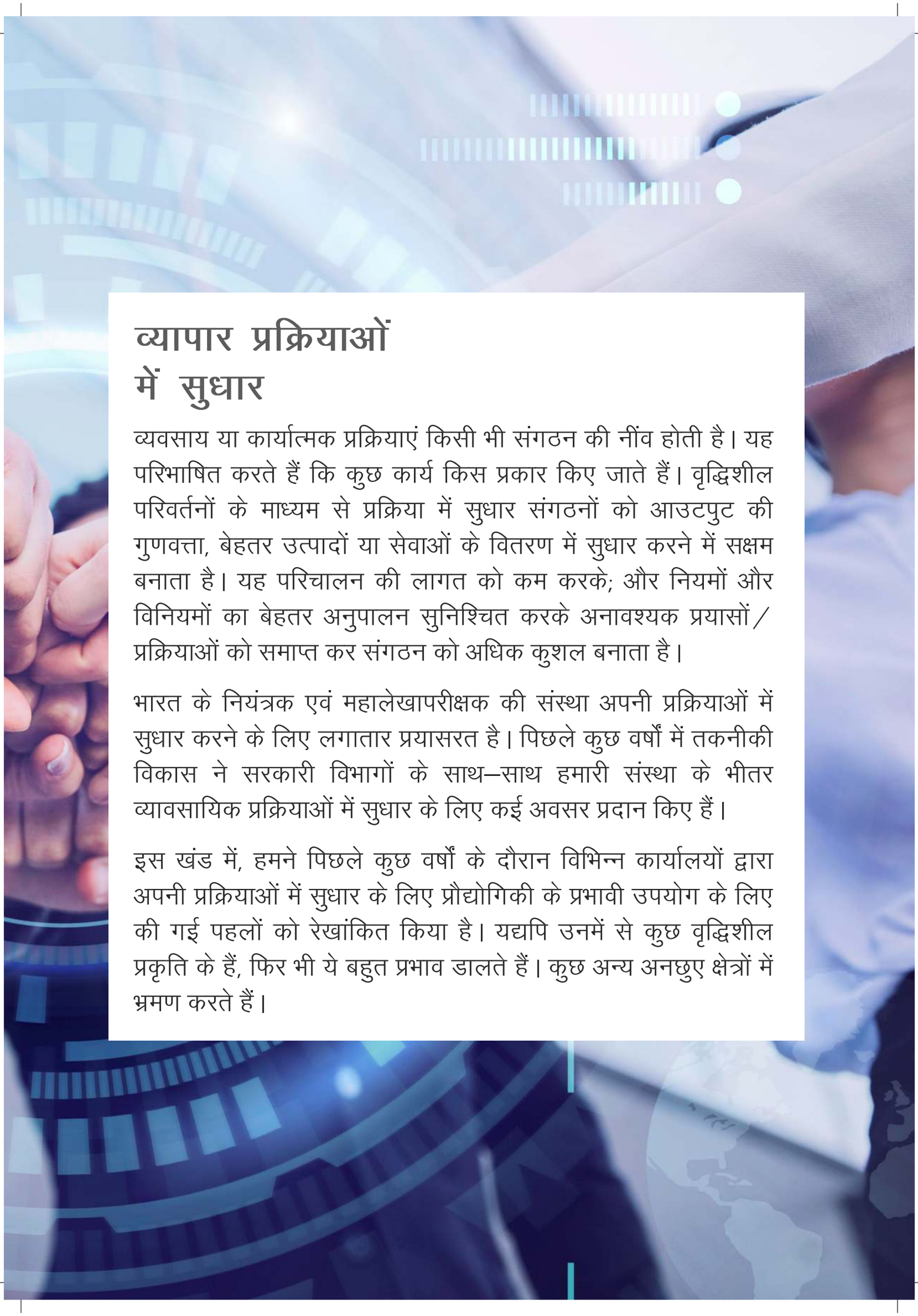

व्यापार प्रक्रियाओं में सुधार

व्यवसाय या कार्यात्मक प्रक्रियाएं किसी भी संगठन की नींव होती है। यह परिभाषित करते हैं कि कुछ कार्य किस प्रकार किए जाते हैं। वृद्धिशील परिवर्तनों के माध्यम से प्रक्रिया में सुधार संगठनों को आउटपुट की गुणवत्ता, बेहतर उत्पादों या सेवाओं के वितरण में सुधार करने में सक्षम बनाता है। यह परिचालन की लागत को कम करके; और नियमों और विनियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करके अनावश्यक प्रयासों/ प्रक्रियाओं को समाप्त कर संगठन को अधिक कुशल बनाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास ने सरकारी विभागों के साथ–साथ हमारी संस्था के भीतर व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कई अवसर प्रदान किए हैं।

इस खंड में, हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यालयों द्वारा अपनी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए की गई पहलों को रेखांकित किया है। यद्यपि उनमें से कुछ वृद्धिशील प्रकृति के हैं, फिर भी ये बहुत प्रभाव डालते हैं। कुछ अन्य अनछुए क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं।

'ई–ऑफिस' में ई–फाइल लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकास

निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय के पीछे के तर्क फाइलों में अभिलेखित होते हैं। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में से एक है, भौतिक फाइलों की मांग और प्राप्ति। चूंकि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के निदेशालय, ई–ऑफिस एप्लीकेशन की ई–फाइल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तित हो गए, इसलिए रेलवे में फाइल/अभिलेख का डिजिटलीकरण हो गया है। अधिकांश अभिलेख/फाइलें अब उनके ई–ऑफिस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अतः एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता हुई, जिसके द्वारा रेलवे बोर्ड के विभिन्न निदेशालयों के ई–रिकार्ड/फाइलों को लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए ई–मांग की जा सके।

आवश्यकता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमारे विभाग के **रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा (आरबीए) विंग** ने लेखापरीक्षा कार्यालयों की ई–फाइल प्रबंधन प्रणाली में एक ई–फाइल लेखापरीक्षा मॉड्यूल विकसित करने की पहल की। आरबीए रेलवे बोर्ड और एनआईसी के ठोस प्रयास से सितंबर 2021 में ई–फाइल लेखापरीक्षा मॉड्यूल शुरू हो गया।

ई–फाइल लेखापरीक्षा मॉड्यूल में लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा से जुड़ी विभिन्न ई–फाइलों की सूची देख सकता है और विशिष्ट फाइलों के लिए ऑनलाइन मांग कर सकता है। लेखापरीक्षा मॉड्यूल का डैशबोर्ड अनुरोधित फाइल, प्राप्त फाइलें, अनुरोधित फाइलें जो प्राप्त नहीं हुईं और अनुरोध की गई एवं लेखापरीक्षा के बाद लौटाई गई फाइलें प्रदर्शित करता है। लेखापरीक्षा मॉड्यूल में ई– फाइलें प्राप्त होने के बाद, भौतिक परिदृश्य की तरह ही ई–फाइल लौटाए जाने तक लेखापरीक्षा के पास रहेगी।

इस मॉड्यूल का प्रयोग आरबीए द्वारा कोविड–19 के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में कोई कार्य संचय या विलंब नहीं हुआ। इस मॉड्यूल ने बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित की तथा लेखापरीक्षा में लगने वाले समय को कम किया और रेलवे बोर्ड और लेखापरीक्षा के बीच तालमेल में सुधार किया।

इस मॉड्यूल का उपयोग विभिन्न लेखापरीक्षा कार्य जैसे कि ''आयात संविदा के माध्यम से चलस्टॉक पार्ट्स की अधिप्राप्ति'', ''वैगनों की अधिप्राप्ति और उपयोग'', ''स्पेक्ट्रम के प्रबंधन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा और ''ऊर्जा प्रबंधन और हरित पहल'' की चल रही लेखापरीक्षा के लिए विषयगत लेखापरीक्षा करने के लिए किया गया था।

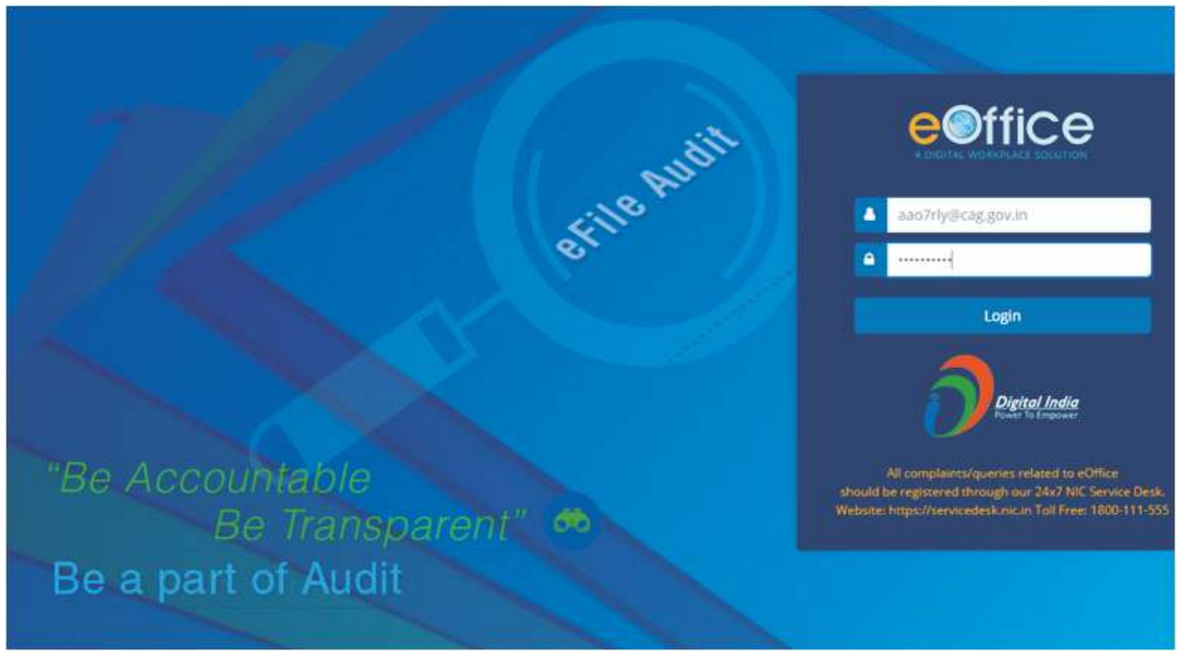
eFile Audit
"Be Accountable
Be Transparent"
Be a part of Audit
eOffice
A DIGITAL WORKPLACE SOLUTION
aao7rly@cag.gov.in
Login
Digital India
Power To Empower
All complaints/queries related to eOffice
should be registered through our 24x7 NIC Service Desk.
Website: https://servicedesk.nic.in Toll Free: 1800-111-555

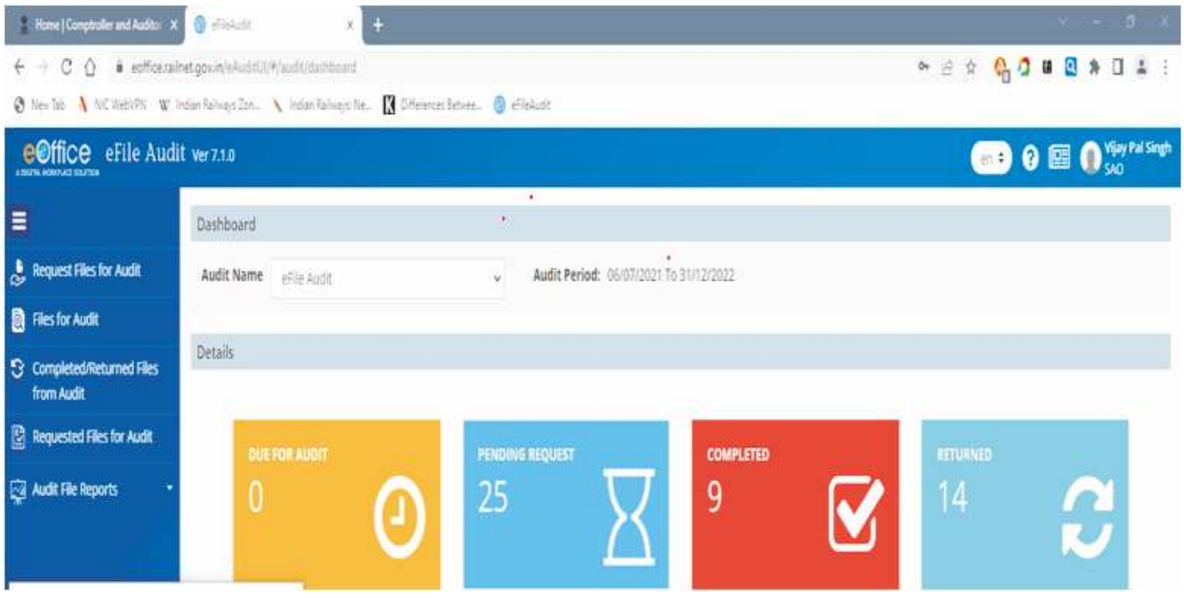
eOffice eFile Audit Ver 7.1.0
Vijay Pal Singh
SAO
Request Files for Audit
Files for Audit
Completed/Returned Files from Audit
Requested Files for Audit
Audit File Reports
Dashboard
Audit Name
eFile Audit
Audit Period: 06/07/2021 To 31/12/2022
Details
DUE FOR AUDIT
0
PENDING REQUEST
25
COMPLETED
9
RETURNED
14

पेंशन प्रोसेसिंग का डिजिटलीकरण

महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक.) राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को अधिकृत करता है। सेवानिवृत्ति बकाया के लिए कागजी आवेदन प्रस्तुत किये जाते थे। इससे समंकों का महालेखाकार के पेंशन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में प्रग्रहण कर लिया जाता था और अंतिम प्राधिकार डाक द्वारा भेजे गए कागज आधारित अभिलेख होते थे।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) केरल के कार्यालय ने केरल सरकार के सहयोग से सम्पूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल की।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी। अप्रैल 2018 तक, महालेखाकार कार्यालय ने कार्यालय के पेंशन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को राज्य सरकार के पेंशनभोगी सूचना प्रणाली (पीआरआईएसएम) मॉड्यूल और राज्य कोषागारों के खजाना पेंशन भुगतान मॉड्यूल (पीएमआईएस) के साथ एकीकृत किया। इनके साथ, कार्यालय पीआरआईएसएम से पेंशन संशोधन आवेदनों सहित पेंशन के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई–आवेदन प्राप्त कर सकता है और भुगतान के लिए पीआईएमएस को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई–प्राधिकार जारी कर सकता है।

केरल में महालेखाकार का कार्यालय राज्य सरकार के 'जेम्स' नामक डिजिटल प्रणाली में राजपत्रित अधिकारियों के सेवा विवरण और वेतन विवरण का अनुरक्षण करता है। कार्यालय ने 'पीआरआईएसएम' से 'जेम्स' में पेंशन आवेदन की प्राप्ति में सुधार करने की पहल की। इन आवेदनों में राजपत्रित अधिकारियों के पेंशन दावों को संसाधित करने के लिए सभी आवश्यक डेटा जेम्स से शामिल किए जाते हैं और राजपत्रित अधिकारियों के पेंशन मामलों को संसाधित करने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डेटा को पेंशन विंग के साथ साझा किया जाता है, इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया कागज रहित हो जाती है।

कार्यालय ने सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी घटना की पुष्टि करने और प्राधिकारों के अनुमोदन के लिए पेंशन स्वीकृत अधिकारियों से पेंशनभोगियों के डिजिटल इवेंट/नॉन–इवेंट प्रमाण–पत्र की प्राप्ति को भी लागू किया है।

डिजिटल रूप से पेंशन संसाधन के लिए आवश्यक जानकारी की प्राप्ति ने डेटा प्रारूप को मानकीकृत किया है। इससे उन मामलों की संख्या कम हो गई है, जिन पर जानकारी के अभाव में आपत्ति जताई जाती है और वापस भेज दिया जाता है। यह आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाता है। इसके अलावा पेंशन अभिलेख, महालेखाकार के कार्यालय में बहुत लंबे समय तक संग्रहीत किए जाते हैं और पेंशन के संशोधन जैसे भविष्य के संदर्भों के लिए आवश्यक होते हैं। संग्रहण के लिए स्पेस, दस्तावेजों को कुशलतापूर्वक पुनर्प्राप्त करना आदि बड़ी चुनौतियां थी। राज्य सरकार और मैसर्स केलट्रॉन लिमिटेड (राज्य सरकार के पीएसयू) की सहायता से कार्यालय ने पेंशन अभिलेख को डिजिटलीकृत करने की पहल की। एक सख्त गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रण तंत्र का पालन करते हुए, कार्यालय दस्तावेजों को डिजिटल बनाने और उन्हें दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली में संग्रहीत करने में सक्षम था, जिसने भूमिका–आधारित पहुंच के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा सरल पुनर्प्राप्ति की सुविधा प्रदान की।

इन डिजिटलीकरण प्रयासों ने एक मामले को संसाधित करने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को कम कर दिया और कई पेंशनभोगियों को लाभान्वित करते हुए सेवा की गुणवत्ता में काफी सुधार किया।

पुराने पेंशन अभिलेखों का डिजिटलीकरण

पेंशन अभिलेखों की अवधारण अवधि लंबी है। लंबी अवधि के लिए भौतिक अभिलेख संग्रहीत करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, **महालेखाकार (लेखा व हक.) तेलंगाना (तत्कालीन आंध्र प्रदेश)** के कार्यालय ने 2015 में अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रयास किया। हालांकि, सूचीकरण का अभाव, गुणवत्ता के मुद्दों और डेटा फील्ड की खोज हेतु विकल्पों की कमी के कारण, इस डिजिटलीकृत अभिलेख की प्रयोज्यता सीमित थी। पिछले प्रयास से सबक सीखते हुए, कार्यालय ने पेंशन अभिलेखों को डिजिटल बनाने की पहल की, जो उच्च गुणवत्ता के होंगे और प्रयोज्यता में सुधार करने के लिए सर्च फीचर के साथ योग्य होंगे।

कार्यालय ने दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडेक्सिंग जैसी उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके और दृढ़ गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) प्रक्रिया का पालन करके इसे प्राप्त किया।

पेंशन फाइलों में 33 महत्वपूर्ण डेटा क्षेत्रों की पहचान की गई जो पेंशन के संशोधन सहित भविष्य की कार्रवाइयों के लिए प्रासंगिक हैं। प्रत्येक फाइल में डेटा ब्लॉक के पैटर्न और इन क्षेत्रों के स्थान पर चित्र पढ़ने वाले एप्लीकेशन को प्रशिक्षित करने के बाद स्कैनिंग के दौरान ओसीआर तकनीक का उपयोग करके इन समंक क्षेत्रों का प्रग्रहण किया जा रहा है। प्रग्रहित किए गए डेटा बिंदुओं को एक डेटाबेस में रखा जाता है जिसे स्कैन किए गए दस्तावेजों से जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य के प्रसंस्करण को अधिक प्रभावी ढंग से सक्षम किया जा सके। 33 महत्वपूर्ण डेटा फील्ड को कैप्चर करने के लिए पहचाने गए पृष्ठों के लिए पृष्ठ टेम्पलेट सेटअप करने की प्रक्रिया में मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया गया था।

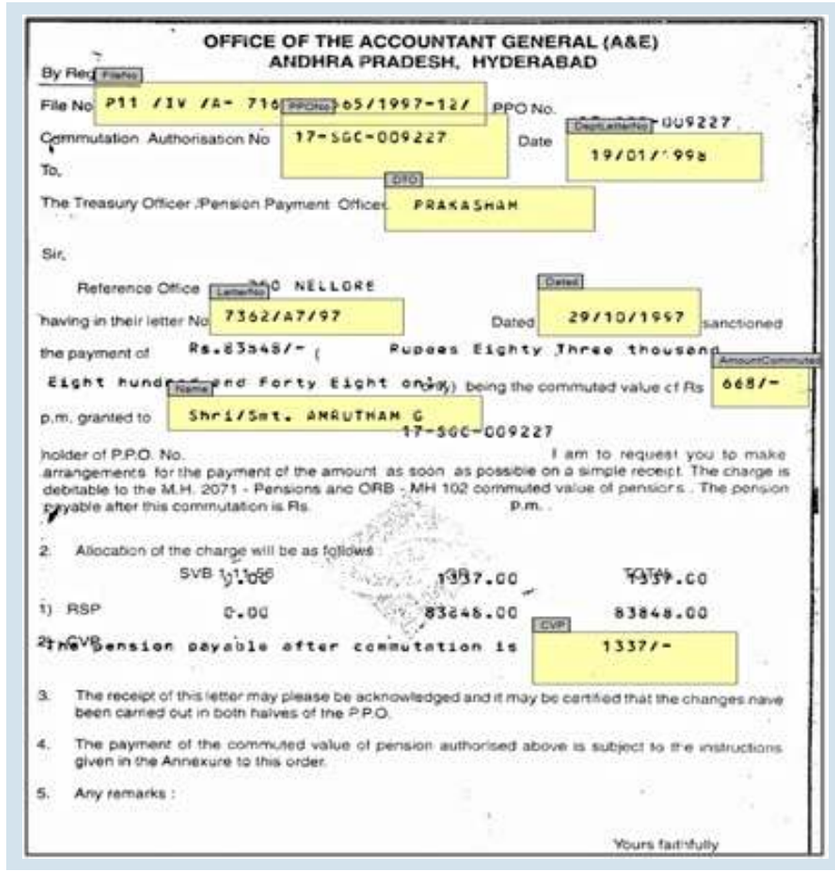

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD

By Reg
File No P11 /IV /A- 716 65/1997-12/ PPO No.
Commutation Authorisation No 17-SGC-009227 Date 19/01/1998
To,
The Treasury Officer /Pension Payment Officer PRAKASHAM

Sir,

Reference Office NELLORE
having in their letter No 7362/A7/97 Dated 29/10/1997 sanctioned the payment of Rs.83848/- (Rupees Eighty Three thousand Eight hundred and Forty Eight only) being the commuted value of Rs 668/- p.m. granted to Shri/Smt. AMRUTHAM G holder of P.P.O. No. 17-SGC-009227 I am to request you to make arrangements for the payment of the amount as soon as possible on a simple receipt. The charge is debitable to the M.H. 2071 - Pensions and ORB - MH 102 commuted value of pensions. The pension payable after this commutation is Rs p.m.

2. Allocation of the charge will be as follows

	SVB		TOTAL
	0.00	1337.00	1337.00
1) RSP	0.00	83848.00	83848.00

2) CVP The pension payable after commutation is 1337/-

3. The receipt of this letter may please be acknowledged and it may be certified that the changes have been carried out in both halves of the P.P.O.

4. The payment of the commuted value of pension authorised above is subject to the instructions given in the Annexure to this order.

5. Any remarks :

Yours faithfully

डिजिटलीकरण के पहले चरण के बाद, लक्षित उपयोगकर्ताओं द्वारा हाइलाइट की गई एक बड़ी कमी पेंशन फाइल की एकल स्क्रॉल करने योग्य चित्र से निपटने में कठिनाई थी जिसे प्रासंगिक डेटा बिंदुओं की पहचान करने के लिए दस्तावेज व्यूअर के भीतर ऊपर/नीचे स्क्रॉल करने की आवश्यकता थी, जैसे मूल सेवा सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन या पेंशनभोगी का पदनाम एवं किसी भी गतिविधि के लिए ।– इस कठिनाई को दूर करने और डिजिटाइज्ड फाइल को अधिक उपभोग्य बनाने के लिए,

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD

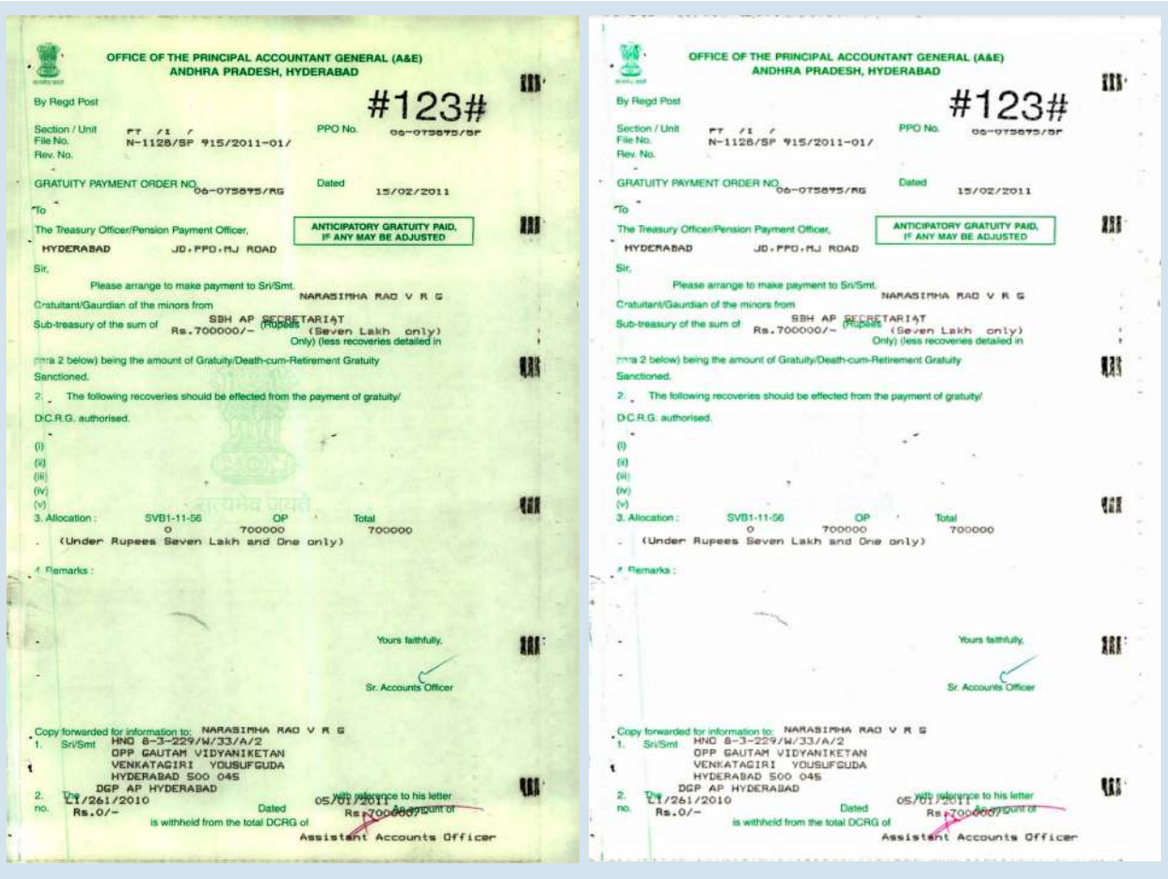

#123#

By Regd Post

Section / Unit FT /1 /
File No. N-1128/SF 915/2011-01/
Rev. No.
PPO No. 06-075875/SF

GRATUITY PAYMENT ORDER NO 06-075875/RG Dated 15/02/2011

To
The Treasury Officer/Pension Payment Officer,
HYDERABAD JD.PPO.MJ ROAD

ANTICIPATORY GRATUITY PAID, IF ANY MAY BE ADJUSTED

Sir,
Please arrange to make payment to Sri/Smt. NARASIMHA RAO V R G
Gratuitant/Gaurdian of the minors from SBH AP SECRETARIAT
Sub-treasury of the sum of Rs.700000/- (Rupees (Seven Lakh only) Only) (less recoveries detailed in para 2 below) being the amount of Gratuity/Death-cum-Retirement Gratuity Sanctioned.

2. The following recoveries should be effected from the payment of gratuity/ D.C.R.G. authorised.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

3. Allocation : SVB1-11-56 0 | OP 700000 | Total 700000
(Under Rupees Seven Lakh and One only)

4. Remarks :

Yours faithfully,
Sr. Accounts Officer

Copy forwarded for information to:
1. Sri/Smt NARASIMHA RAO V R G
HNO 8-3-229/W/33/A/2
OPP GAUTAM VIDYANIKETAN
VENKATAGIRI YOUSUFGUDA
HYDERABAD 500 045
2. The DGP AP HYDERABAD with reference to his letter no. L1/261/2010 Dated 05/01/2011 An amount of Rs.0/- is withheld from the total DCRG of Rs.700000/-

Assistant Accounts Officer

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD

#123#

By Regd Post

Section / Unit FT /1 /
File No. N-1128/SF 915/2011-01/
Rev. No.
PPO No. 06-075875/SF

GRATUITY PAYMENT ORDER NO 06-075875/RG Dated 15/02/2011

To
The Treasury Officer/Pension Payment Officer,
HYDERABAD JD.PPO.MJ ROAD

ANTICIPATORY GRATUITY PAID, IF ANY MAY BE ADJUSTED

Sir,
Please arrange to make payment to Sri/Smt. NARASIMHA RAO V R G
Gratuitant/Gaurdian of the minors from SBH AP SECRETARIAT
Sub-treasury of the sum of Rs.700000/- (Rupees (Seven Lakh only) Only) (less recoveries detailed in para 2 below) being the amount of Gratuity/Death-cum-Retirement Gratuity Sanctioned.

2. The following recoveries should be effected from the payment of gratuity/ D.C.R.G. authorised.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

3. Allocation : SVB1-11-56 0 | OP 700000 | Total 700000
(Under Rupees Seven Lakh and One only)

4. Remarks :

Yours faithfully,
Sr. Accounts Officer

Copy forwarded for information to:
1. Sri/Smt NARASIMHA RAO V R G
HNO 8-3-229/W/33/A/2
OPP GAUTAM VIDYANIKETAN
VENKATAGIRI YOUSUFGUDA
HYDERABAD 500 045
2. The DGP AP HYDERABAD with reference to his letter no. L1/261/2010 Dated 05/01/2011 An amount of Rs.0/- is withheld from the total DCRG of Rs.700000/-

Assistant Accounts Officer

द्वितीय चरण में मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके डिजीटल दस्तावेजों को अनुक्रमित किया जा रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को भविष्य संदर्भों के लिए विशिष्ट पृष्ठों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजीटल अभिलेख उच्च गुणवत्ता और उपभोग्य हैं, वेन्डर और कार्यालय कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक स्तरीय तंत्र क्यूसी स्थापित किया गया है।

डिजिटाइज्ड अभिलेख और उसके साथ पैरामीटरों का दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली में संग्रहीत किए जा रहा हैं। यह दस्तावेज की तेजी से पुनर्प्राप्ति में सहायता करता है। दस्तावेज पुनर्प्राप्ति के अतिरिक्त, दस्तावेज दृश्य के भीतर एक अंतर्निहित खोज सुविधा है जो जानकारी को पुनः प्राप्त करना आसान बनाती है और इस प्रकार अधिक समयबद्ध सेवा वितरण में सहायता करती है, जबकि भौतिक दस्तावेज पुनर्प्राप्ति में खर्च किए गए जनशक्ति और मानव घंटों के संदर्भ में आवश्यकता को भी कम करती है।

उपर्युक्त परिणामों के अतिरिक्त, यह भी उम्मीद की जाती है कि इस अभ्यास के पूरा होने से भौतिक पेंशन फाइलों के आवागमन/स्थायी निपटान के साथ कार्यालय परिसर के भीतर एक बड़े भौतिक स्थान की आवश्यकता को कम करने में सहायता मिलेगी और मुक्त स्थान को कार्यालय द्वारा बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

अगस्त 2022 तक 3,25,904 फाइलों में से 2,94,821 पेंशन फाइलों की स्कैनिंग पूर्ण हो चुकी है और इस उद्देश्य के लिए गठित एक समर्पित टीम द्वारा समानांतर रूप से चलाई जा रही क्यूसी प्रक्रिया ने 87,850 फाइलों का सत्यापन पूरा कर लिया है।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों की निगरानी के लिए वेब एप्लीकेशन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, कंपनियों/निगमों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की लेखापरीक्षा करता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। विधायिका की लोक लेखा समिति (पीसीए) प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा पैराओं पर चर्चा करती है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशें करती है। इन सिफारिशों का अनुसरण किया जाना चाहिए और संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियों की निगरानी की जानी चाहिए।

इससे पहले, पीएसी के साथ भौतिक माध्यम से सम्पर्क होता था। इसकी अपनी अंतर्निहित सीमाएं हैं। इसमें शामिल कई हितधारकों के कारण, उत्तरों को समेकित करना और वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना चुनौतीपूर्ण था। इन सीमाओं को दूर करने के लिए, **प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा, हरियाणा के कार्यालय** ने पीएसी की सिफारिशों और की गई कार्रवाई टिप्पणियों की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया।

कार्यालय द्वारा विकसित एप्लीकेशन के प्रथम चरण में लेखापरीक्षा पैराग्राफ के विवरण, पीएसी की सिफारिशों, की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ आदि पर जानकारी डेटा प्रविष्टि के माध्यम से कैप्चर किए जाते है। डेटाबेस में डेटा कैप्चर होने के बाद, उपयोगकर्ता डेटा को छांट सकता है और उनकी आवश्यकता के आधार पर मुद्दों का विश्लेषण कर सकता है। एप्लीकेशन का डैशबोर्ड उपयोगकर्ता के लिए ड्रिल डाउन विकल्पों के साथ लेखापरीक्षा पैरा और एटीएन की स्थिति का अवलोकन करने की सुविधा देता है। एक वेब–आधारित एप्लीकेशन होने के कारण, इसे कई डिवाइसेज में एक्सेस किया जा सकता है।

एप्लीकेशन ने समिति और अन्य उपयोगकर्ताओं/हितधारकों को डिजिटल पेपरलेस वातावरण में कार्य करने में सहायता की। एप्लीकेशन ने विलंब को दूर करने में सहायता की और पारदर्शिता में सुधार किया।

इस एप्लीकेशन के द्वितीय चरण में विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय आधार पर संचार के लिए सुविधाओं का विकास, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण को सक्षम करना, पुनरीक्षण, एटीएन/को भेजना और अन्य संचार डेटा प्रविष्टि की वर्तमान प्रथा को समाप्त करेगा एवं प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करेगा।

चूंकि पीएसी का कामकाज और सिफारिशें, लेखापरीक्षा कार्यालयों में समान है, इसलिए इस एप्लीकेशन को उन कार्यालयों द्वारा आसानी से दोहराया जा सकता है जहां ऐसी प्रणाली पहले से मौजूद नहीं है।

वाउचर जाँच प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

महालेखाकार (लेखा व हक.) का कार्यालय कोषागारों से प्राप्त वाउचरों की जांच करता है। वाउचर संवीक्षा के बाद राज्य के मासिक लेखों का संकलन किया जाता है। वाउचर जांच धोखाधड़ी वाले लेन–देन, लेखांकन में त्रुटियों, अभिलेखों की चूक आदि की पहचान करने में सहायता करती है। जिन वाउचरों के व्यय संबंधित विवरण में कमी होती हैं, को लेखाओं के उचंत शीर्ष में रखा जाता है और मामलों को संशोधित किए जाने तक अंतिम लेखा शीर्षों में शामिल नही किया जाता है। इस प्रकार, वाउचर संवीक्षा, लेखा संकलन और केन्द्रीय लेखापरीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

यह दिशानिर्देश 'स्तरीकृत अनियमित नमूनाकरण' के आधार पर वाउचरों की दो–चरणों में सत्यापन प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं। पूर्व में वाउचर संवीक्षा के परिणामों को विभागीय संकलन के प्रत्येक अनुभाग में भौतिक अभिलेखों के रूप में रखा गया था। इसने समेकन प्रक्रिया को कठिन, समय लेने वाला, कार्य का दोहराव और प्रबंधन अंतर्दृष्टि को सीमित कर दिया जिसे संवीक्षा से प्राप्त किया जा सकता था।

इससे उबरने के लिए, **प्रधान महालेखाकार (लेखा. व हक.) महाराष्ट्र कार्यालय** ने वाउचर स्तरीय संकलन (वीएलसी) एप्लीकेशन में "वाउचर के सत्यापन'' के लिए एक मॉड्यूल विकसित करके प्रक्रिया को डिजिटल करने की पहल की। इस मॉड्यूल में, लेखाकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा जांच करने के लिए चयनित नमूना वाउचर उपलब्ध होते है। फ्रंट–एंड–उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूपों को इस मॉड्यूल का भाग बनाया गया था, जिसमें संवीक्षा के दौरान देखे गए मुद्दों को केप्चर किया जा सकता था।

चूंकि जानकारी डेटाबेस में कैप्चर की गई है, इसलिए विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदन अब आसानी से उत्पन्न किए जा सकते है जैसे श्रेणीवार मुद्दों, कोषालय और डीडीओ वार मामलों, अनुभागवार सत्यापन जांच विवरण, कुल लंबित वाउचर सूची, समेकित त्रुटि प्रतिवेदन, सभी डीडीओ के त्रुटि सूचना पत्र आदि।

प्रतिवेदन तैयार करने के लिए समय को कम करने के अतिरिक्त, इसने व्युत्पन्न अंतर्दृष्टि की गुणवत्ता में भी सुधार किया और अधिक वाउचरों की जांच के लिए मानव संसाधनों के आवंटन किया मामलों को हल करने के लिए डीडीओ/कोषालयों के साथ अनुपालन आदि, को सक्षम किया। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, इससे जांच की गुणवत्ता, वाउचर की मात्रा में सुधार हुआ है जिसे जांचा जा सकता है और संवीक्षा के बाद मामलों को सुधारा जा सकता है।

तथ्य यह है कि इस मॉड्यूल को कार्यालय द्वारा संस्थानिक तौर पर विकसित किया गया था, जिससे उपलब्धि प्राप्ति में बढ़ोत्तरी हुई।

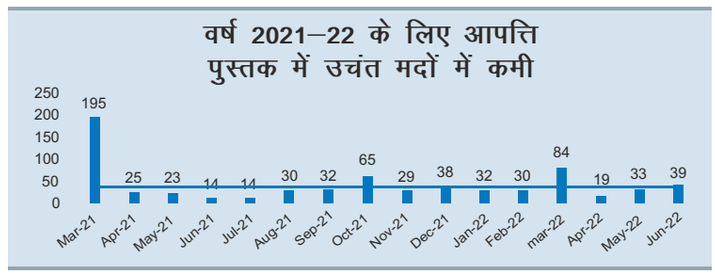

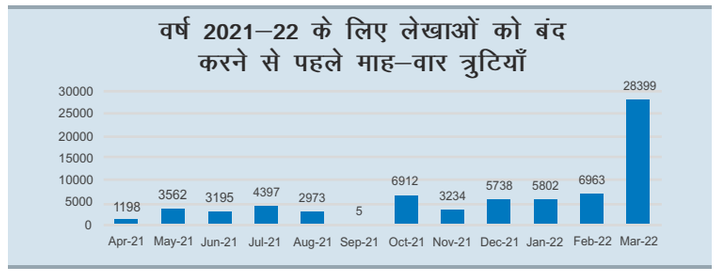

प्रदर्शन एक नजर में– रेलवे लेखापरीक्षा के प्रबंधन में सहायता

कहा जाता है कि एक तस्वीर कई हजार शब्दों से बेहतर है। आज के प्रबन्धक दबावग्रस्त है हर समय उनके पास समय की कमी होती है। उन्हें अपने कार्य को आसान बनाने और उनके निर्णय लेने के लिए अपने पास उपकरणों की आवश्यकता होती है। डैशबोर्ड विकसित करके आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी जुनूनियों ने कदम रखा है। डैशबोर्ड दृश्य उपकरण हैं, जो प्रबंधकों को इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न मीट्रिक्स के अद्यतित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। **दक्षिण–मध्य रेलवे (दमरे) के जोनल लेखापरीक्षा कार्यालय** ने सीएजी की रेलवे लेखापरीक्षा विंग के लिए डैशबोर्ड विकसित किया है।

डैशबोर्ड के बारे में:

क्षेत्रीय रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों (जेडआरएओ) के लिए निष्पादन डैशबोर्ड रेलवे लेखापरीक्षा के 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की एक दृश्य प्रस्तुति है। यह एक आधुनिक समय के डेटा विजुअलाइजेशन दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो आँकड़ों और कंप्यूटिंग के ज्ञान की आवश्यकता के बिना डेटा से समझ बनाने वाले रिश्तों और प्रवृति का मौके पर उपयोग करता है। यह वेब–होस्ट किया गया, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड सीएजी मुख्यालय द्वारा बेहतर निगरानी और जेडआरएओ द्वारा आसान रिपोर्टिंग की आवश्यकता को पूरा करता है।

योजना:

परंपरागत रूप से, जेडआरएओ के कार्य की निगरानी एक पूर्वनिर्धारित त्रैमासिक स्प्रेडशीट के माध्यम से की गई थी। जिसे पढ़ना बोझिल था। यह कई जेडआरएओ की त्वरित तुलना या साल–दर–साल तुलना की सुविधा प्रदान नहीं करता है। एक बार आवश्यकता महसूस होने के बाद, जेडआरएओ – एससीआर की एक आंतरिक टीम एक डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करने के लिए पहुंची जो एक नजर में निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

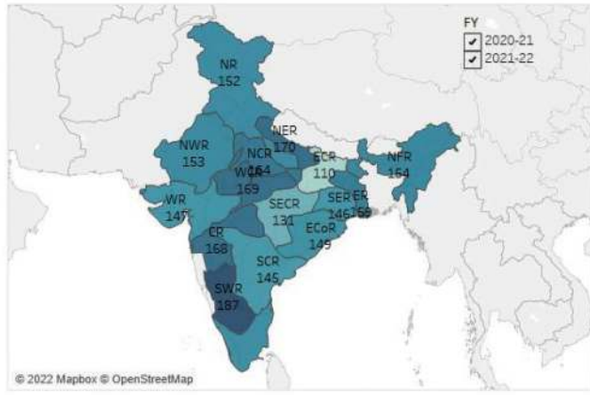

Zone Code	Composite Score		Performance Goals		Development Goals		Additional Competencies	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
SWR	93.0	94.0	100.0	100.0	64.3	69.3	52.5	47
NER	83.0	87.0	89.0	90.0	57.7	73.3	0.0	0
WCR	84.0	85.0	89.5	86.4	60.0	79.0	10.0	10
CR	80.0	88.0	87.1	94.9	51.5	59.8	30.0	30
NCR	87.0	77.0	98.9	85.4	41.5	43.2	10.0	10
ER	80.0	79.0	83.9	80.9	63.7	69.2	20.0	41
NFR	75.0	79.0	80.9	86.3	49.0	49.3	9.0	72
NWR	66.0	87.0	67.8	91.5	56.5	68.2	13.0	28
NR								

	CR		ECoR
	2020-21	2021-22	2020-21
Draft Para	5	11	3
Provisional Para	2	0	2
Special Letter	16	10	5
Performance Audit in time	1	1	1
Performance Audits delayed	0	0	1
TBA LDPs in time	2	5	0
TBA LDPs delayed	0	0	2
Annual Audit Plan achived in %	100	100	100
Inspection Reports In time	25	158	15
Inspection Reports Delayed	18	20	8
IR Timeliness	58	89	65
Certified in time	0	2	18
Certfied with delay (not due to Audit)	53	55	39
Certified with delay	4	0	2
Annexure J	1	1	2
Annexure K	5	10	18
Correction Slips	12	12	28
Comments	8	3	0
Recoveries	₹ 6M	₹ 20M	₹ 30M
ATNs in time	13	19	9
ATNs delayed	0	0	0
RTI utilisation %	100	100	100
GOs serving	1	1	1
GO Inspection days per month	0	1	0
Apex & Audit Committe meetings	13	42	4
PHOD interactions	5	13	5
Access to IT applications	1	1	11
Special Activities (Lead etc)	3	3	0
Obs using CAATs	0	0	0
Local Reviews	0	0	0

चूंकि टीम में पेशेवर लेखापरीक्षक शामिल थे, इसलिए इसने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक समग्र प्रदर्शन स्कोर की गणना करने के लिए एक तात्कालिक पद्धति विकसित की। प्रदर्शन मापदंडों का एक व्यापक सेट परिभाषित किया गया था, और उनके सापेक्ष महत्व के अनुसार उन्हें सौंपा गया। संगत पैरामीटरों में जारी की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या, निरीक्षण प्रतिवेदन की समयबद्धता आदि शामिल हैं। कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण, प्रबंधन के साथ बातचीत आदि जैसी अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल हैं।

मापदंडों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है– निष्पादन लक्ष्य (कोर लेखापरीक्षा गतिविधियां), विकास लक्ष्य (लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार करने वाली गतिविधियां) और अतिरिक्त दक्षताएं (क्षमता निर्माण उपाय)। डैशबोर्ड में एक मॉड्यूलर संरचना है जहां नए मापदंडों को जोड़ा जा सकता है, और अप्रचलित को आसानी से हटा दिया जाता है और इसे फिर से डिजाइन किए बिना भार को समायोजित किया जाता है। नवाचार की एक अभिनव पहल में, डैशबोर्ड के लिए डेटा ओआईओएस में डेटा संग्रह टूलकिट का उपयोग करके एकत्र किया गया था, जो सीएजी में कार्यान्वयन के तहत एक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली है। ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर केएनआईएमई का उपयोग करके डेटा सफाई और प्रसंस्करण किया गया था। टेब्ल्यू पर एक वेब–होस्ट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया गया था।

विजुअलाइजेशन में कई दृश्य हैं, जो महत्वपूर्ण मापदंडों पर जेडआरएओ के प्रदर्शन और प्रत्येक कार्यालय के लिए एक समग्र भारित स्कोर का संकेत देते हैं। डैशबोर्ड का स्वरूप अंतर–क्षेत्रीय तुलना के साथ–साथ लगातार वर्षों/तिमाहियों में एकल जेडआरएओ के प्रदर्शन का निर्धारण करने की अनुमति देता है। सीएजी मुख्यालय और व्यक्तिगत जेडआरएओ प्रदर्शन की कमी के कारणों का निर्धारण कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। मॉडल मापनीय है और इसका उद्देश्य मानव–घंटों में काफी बचत के साथ 18 जेडआरएओ में से प्रत्येक में कम से कम 12 आवधिक प्रतिफल को समाहित करना है, जिससे कोर लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए समय उपलब्ध हो जाता है; यह डैशबोर्ड निगरानी को अंदर की ओर मोड़ने का एक प्रेरित उदाहरण है, जहां डेटा–केंद्रित आईटी टूल का उपयोग हमारे अपने प्रदर्शन की निगरानी और सुधार करने के लिए किया जाता है।

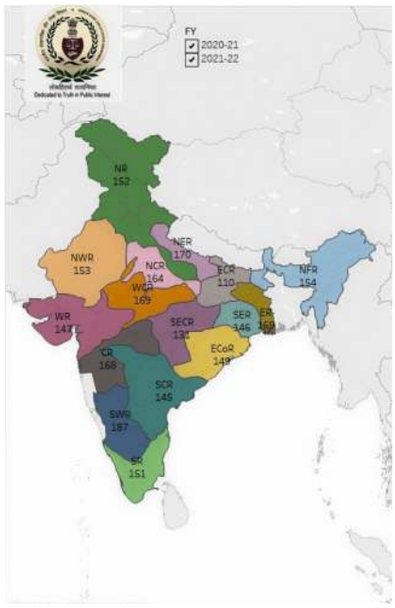

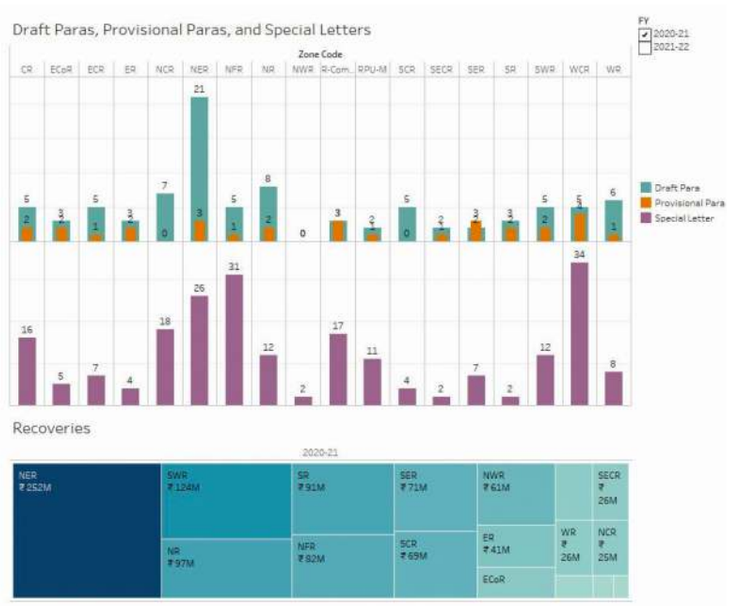

प्रदर्शन एक नजर में – लेखा और हकदारी कार्यों के प्रबंधन में सहायता

राज्यों में महालेखाकार (लेखा व हक.) के कार्यालयों को राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्राधिकृत करने का उत्तरदायित्व सौपा गया है और कुछ राज्यों में सेवारत राजपत्रित कर्मचारियों की पात्रताओं का भी प्रबंधन किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता सरकारी पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों को प्रभावित करता है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में त्वरित सेवा और मानक की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जीए विंग, कार्यालयों के प्रदर्शन की त्रैमासिकी मुख्य प्रतिवेदन क्षेत्र (केआरए) फ्रेमवर्क के माध्यम से बारीकी से निगरानी करता है।

कार्यालयों में केआरए प्रतिवेदन से जानकारी का समेकन और इसका विश्लेषण कठिन और समय लेने वाला था। केआरए प्रतिवेदन समेकन की प्रक्रिया को सरल बनाने, बेहतर प्रबंधन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए **जीए विंग मुख्यालय** ने गूगल फॉर्म, शेयरपॉइंट और व्हाट्सएप जैसी आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की सहायता ली। केआरए प्रतिवेदन में मांगी गई जानकारी को सरल तथा अधिक केंद्रित बनाया गया और गूगल फॉर्म में एक एकीकृत प्रारूप के माध्यम से मांगा गया। सूचना के पिछले त्रैमासिक संग्रह के विपरीत, मासिक जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद इस प्रतिवेदन को जीए विंग के शेयरपॉइंट साइट में उपलब्ध कराया जाता है, जहां जीए विंग के विभिन्न डेस्क अधिकारी अपने संबंधित राज्यों के आंकड़ों की समीक्षा कर सकते हैं।

समीक्षा किए गए डेटा का उपयोग करके टेब्ल्यू सॉफ्टवेयर में एक अखिल भारतीय डैशबोर्ड विकसित किया गया था। इसने क्रॉस–स्टेट/ऑफिस तुलना और बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता की। जीए विंग द्वारा प्रबंधित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों में सुधार की गुंजाइश को सहजता से सूचित किया गया था। मुद्दे के समाधान होने तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों की कई बार दैनिक निगरानी की जाती थी।

जैसा कि जनवरी 2022 के रुझान से पता चलता है, इस नई तकनीक के सक्षम सक्रिय दृष्टिकोण ने 31 (लेखा व हक.) कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार करने में सहायता की है। यह सकारात्मक और पुनः आश्वस्त करने वाला है और सीएजी संस्था द्वारा सेवा वितरण के मानकों को भविष्य में बढ़ाने में सहायता करेगा।

Number of Original Pension cases
Vacancy- Cadre Wise
March
April
Vacancy percentage (Sr. A...
Vacancy percentage(AAO)
Vacancy percentage (Sr. A...

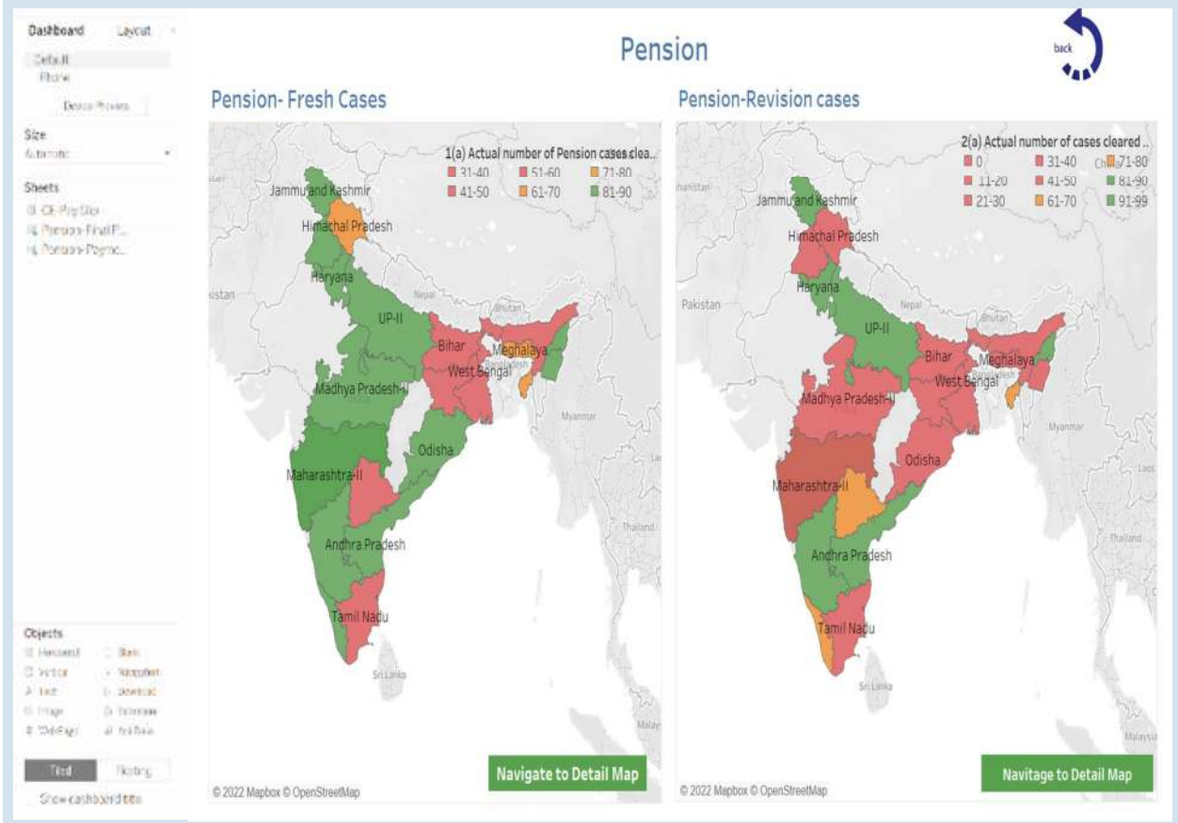
Pension
back
Pension- Fresh Cases
Pension-Revision cases
1(a) Actual number of Pension cases clea...
2(a) Actual number of cases cleared ...
Jammu and Kashmir
Himachal Pradesh
Haryana
UP-II
Bihar
Meghalaya
West Bengal
Madhya Pradesh-II
Odisha
Maharashtra-II
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Navigate to Detail Map
Navitage to Detail Map
© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

लेखापरीक्षा टूलकिट

मैनुअल निर्देशों की संदर्भ पुस्तकें हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य करने में सहायता करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मैनुअल को कार्य के माहौल में नवीनतम विकास के साथ अपडेट किया जाए अन्यथा यह पुराना और उपयोग में सीमित हो जाता है। जांच सूची का उपयोग अक्सर दिन–प्रतिदिन के मामलों के साथ–साथ महत्वपूर्ण पेशेवर कार्यों के लिए संरचित और चरणवार तरीके से कार्य करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। जांच सूची का उपयोग न केवल पेशेवरों द्वारा किए गए कार्यों में दक्षता लाता है, बल्कि गैर–अनुपालन के जोखिम को भी काफी हद तक कम करता है। विकसित कानूनी संरचना और अनुपालन के साथ, जांच सूची का महत्व अब पेशेवर कायों और संगठित तरीके से कार्यों के शेड्यूलिंग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। संकलन परिपत्र, निर्देश या अच्छी प्रथाओं के तैयार संदर्भ है जो कर्मचारियों की सहायता करते है।

अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए **महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), मुंबई कार्यालय** के सीमाशुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा, सीआरए विंग के सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार सीआरए विंग की लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के लिए **जांच सूची** तैयार करने की पहल की। क्षेत्रीय पार्टियों की सुविधा के लिए लेखापरीक्षा के दौरान प्रयोग की जाने वाली विभिन्न जॉचों को सारणीबद्ध किया जाता है जो उन्हें क्षमता निर्माण, ज्ञान वृद्धि और लेखापरीक्षा उत्पाद में एकरूपता रखने में सहायता करता है।

कार्यालय ने सीआरए विंग द्वारा किए गए विभिन्न लेखापरीक्षा के संबंध में परिपत्रों और अधिसूचनाओं का संकलन तैयार करने की पहल की। कार्यालय ने महानिदेशक–विदेशी व्यापार की लेखापरीक्षा पर एक मैनुअल भी तैयार किया जिसे सीआरए विंग द्वारा किया गया। इससे लेखापरीक्षा टीमों के ज्ञान को बढ़ाने और लेखापरीक्षा के दौरान निर्णय लेने में तेजी लाने में सहायता मिली है।

इसी तरह, **महानिदेशक लेखापरीक्षा (उत्तर रेलवे), नई दिल्ली के कार्यालय** ने संशोधित रेलवे लेखापरीक्षा मैनुअल का छठा संस्करण जारी किया। रेलवे लेखापरीक्षा मैनुअल के (रैम) के 5वें संस्करण (मई 2001 में जारी) का संशोधन रेलवे में बढ़ते कम्प्यूटरीकरण के कारण आवश्यक हो गया था, जिसमें कई आईटी एप्लीकेशनों का कार्यान्वयन और एक अवधि में रेलवे के कोड और मैनुअल में व्यापक परिवर्तन शामिल थे। पिछले दो दशकों में, निष्पादन लेखापरीक्षा एक अलग स्ट्रीम के रूप में विकसित हुई है और अनुपालन लेखापरीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा में कई बदलाव हुए हैं।

रैम के नवीनतम संस्करण में रेलवे वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा, स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा, रेलवे विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे कम्प्यूटरीकृत एप्लीकेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा आदि जैसे मुद्दों का समाधान करने की कोशिश की गई है। ई–ऑफिस, रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, अनुसंधान डिजाईन और मानक संगठन, रेलवे खेल पदोन्नति बोर्ड, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल वाणिज्यिक और रेलवे आईटी एप्लीकेशन के बारे में सूचना/नोट्स, ओआईओएस पर अध्यायों को पहली बार रैम में शामिल किया गया है। संशोधन, व्यापक परामर्श और गुणवत्ता जांच के माध्यम से किए गए थे।

इन मैनुअल और संकलनों के नवीनतम संस्करणों की व्यापक रूप से सराहना की गई है जो क्षमता निर्माण को आगे बढाएंगें और कर्मचारियों को उनके कार्य में सहायता करेंगे।

भारत के सार्वजनिक लेखापरीक्षक संस्थान की पहल

भारत के सार्वजनिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईपीएआई) की स्थापना 1996 में एक संस्था के रूप में की गई थी। आईपीएआई एक 'गैर–लाभकारी' संगठन है जिसमें सार्वजनिक लेखाकरण, लेखापरीक्षा और सार्वजनिक वित्त के अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। आईपीएआई आंतरिक संचालन प्रणाली और परियोजनाओं/योजनाओं के फोरेंसिक और निष्पादन लेखापरीक्षा, निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रबंधन, लेखाकरण और लेखापरीक्षा में आंतरिक लेखापरीक्षा, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

आईपीएआई ने प्रशिक्षण, कार्यकारी नियम पुस्तिकाओं के विकास और लेखापरीक्षा और लेखाकरण मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने के माध्यम से क्षमता निर्माण में कई प्रतिष्ठित संगठनों की सहायता की। आईपीएआई को अक्सर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कुछ संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण, नियमपुस्तिकाओं को अद्यतन करने और क्षमता निर्माण में इसी तरह की तकनीकी सहायता और नए संगठनों की स्थापना में सहायता करने का कार्य सौंपा जाता है।

आईपीएआई की पहल से सीएजी संस्था और लेखा विभाग को जोखिम कम करने में सहायता मिलती है। आईपीएआई ने पिछले कुछ वर्षों में अवैतनिक सदस्यों के रूप में पेशेवरों को शामिल करके और समझौता ज्ञापन के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ अधिक सक्रिय साझेदारी करके क्षमता निर्माण करने की कोशिश की है। आईपीएआई ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में सार्वजनिक लेखापरीक्षा और वित्त की पीठ की स्थापना की है। ग्राहक संगठनों में नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा करने के प्रयासों को जारी रखने के अतिरिक्त आईपीएआई विभिन्न क्षेत्रों में तदनुसार टीमों का निर्माण करके मूल्य वर्धन कार्यों को करने का प्रयास कर रहा है।

आईपीएआई प्रणालियों और नियंत्रणों में सुधार लाने में उनकी सहायता करने के लिए स्वायत्त संगठनों तक पहुंच रहा है और अब सार्वजनिक लेखापरीक्षा जैसे पीआरएवीइएसएच (स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए समान मंच हेतु योजना) क्षमता निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

आईपीएआई ने संपादकीय बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले आईपीएआई की पत्रिका के लिए भेजे गए गए लेखों की ''डबल ब्लाइंड रिव्यू'' पहल भी की है। डबल–ब्लाइंड रिव्यू में, लेख को एक ऐसी व्यवस्था के तहत समीक्षक को भेजा जाता है जहां न तो लेखक और न ही समीक्षक को दूसरे की पहचान पता चलती है। यह लेख की गुणवत्ता का स्पष्ट मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, ग्राहकों को प्रतिपादन से पहले चयनित मसौदा प्रतिवेदन की समीक्षा जोखिम और भौतिकता मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

आईपीएआई ने हमारे मसौदा प्रतिवेदन को शीघ्र अंतिम रूप देने और उत्तर में प्रदान की गई पूछताछ और जानकारी/स्पष्टिकरण की उचित सराहना के लिए क्षेत्रीय टीमों और ग्राहकों के साथ ऑनलाइन बातचीत भी शुरू की है। कुछ कार्य समर्पित टास्क फोर्स मोड में निष्पादित किए जाते हैं जिससे एक ही टीम एक परियोजना प्रमुख के मार्गदर्शन में विभिन्न स्टेशनों पर निरीक्षण करती है।

इन सभी पहलों और नियोजित उपायों का प्रभाव आने वाले महीनों में दिखाई देगा। हमारे प्रयासों की सफलता से सीएजी संस्था पर संसाधनों का दबाव भी कम होने की संभावना है क्योंकि नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने से लेखापरीक्षा जोखिम कम हो जाएंगे और बेहतर उपयोग के लिए कुछ संसाधन मुक्त हो जाएंगे।

सम्पादकीय दलः

के. श्रीनीवासन
के.एस. सुब्रमनीयन
रोली एस. माल्गे
प्रिया पारिख
राज कमल रंजन
पुष्पेन्द्र गहलोत
सोफिया गुप्ता

हम आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया का
dgsmu@cag.gov.in पर अनुरोध करते हैं

Designed & Printed by :
Censer Advertising Pvt. Ltd., Rohini, New Delhi

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

http://www.cag.gov.in